वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

भारतीय होटल निगम
लिमिटेड

भारतीय होटल निगम
लिमिटेड

विषय-वस्तु

		पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मंडल	1
2.	अध्यक्ष का संदेश	2
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	4
4.	प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	15
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	35
6.	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	36
7.	31 मार्च 2023 का तुलन पत्र	73
8.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण	74
9.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	75
10.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण	76
11.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अंगभूत टिप्पणियाँ	78

कॉर्पोरेट जानकारी

निदेशक मंडल (31.03.2024 तक)

श्री असंगबा चुबा एओ अध्यक्ष
श्री प्रांजोल चंद्रा
श्रीमती रुबीना अली
श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री दीपक खुल्लर

मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री के. गोपाल कृष्ण

कंपनी सचिव
सुश्री सोनम गोसाईं

लेखा परीक्षक
मेसर्स जैन जगावत कामदार एंड कंपनी

कानूनी सलाहकार
मेसर्स एम.वी.किनी एंड कंपनी

बैंकर
एक्सिस बैंक
जे एंड के बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
सिंडिकेट बैंक
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

पंजीकृत कार्यालय
सेंटॉर होटल
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
नई दिल्ली 110 037.

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट
लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग विक्रोली (पश्चिम),
मुंबई - 400083

अध्यक्ष का सन्देश

प्रिय शेयर धारकों,

आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। वर्षों से, कंपनी ने कई ऊँचाइयां हासिल की हैं और साथ ही कई उतार भी अनुभव किये हैं।

कोविड के चलते पिछले दो वर्षों की नकारात्मक स्थिति के बाद और प्रतिकूल भू-राजनीतिक स्थिति के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत में यात्रा के क्षेत्र में उछाल देखा गया। विभिन्न शहरों में वर्ष भर चलने वाले जी-20 कार्यक्रमों के सतर्कतापूर्ण नियोजन, जिसका समापन सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के साथ हुआ, से भारत में यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन मिला।

यह भारत के होटलों में अधिभोगों में 34% की वृद्धि और प्रति कमरा उपलब्ध राजस्व (रेवपर्स) में 15.80% की वृद्धि में परिलक्षित होता है।

घरेलू कॉरपोरेट, अवकाश और एमआईसीई (मीटिंग, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियों) बाजारों की ओर से होटल क्षेत्र में मजबूत मांग देखी गई। हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा भारतीयों से अपनी गंतव्य शादियाँ भारत में ही आयोजित करने के आग्रह से भी होटल क्षेत्र काफी लाभान्वित हुआ। दिल्ली के द्वारका में भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे नए कन्वेंशन सेंटर खोलने से कन्वेंशन उद्योग को नए सिरे से बढ़ावा मिला है और इससे दिल्ली में बड़े सम्मेलनों के आयोजन हेतु नई मांग भी पैदा होगी।

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के लिए 8% से अधिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्वानुमान और बढ़ती सामाजिक आकांक्षाओं, नए पर्यटक आकर्षणों, आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में भारत का बढ़ता कद, बढ़ती कनेक्टिविटी, मजबूत होते मैक्रोज़, नीतिगत हस्तक्षेप, स्टार्ट-अप पर फोकस के साथ-साथ डिजिटल विस्फोटन, रक्षा, सेमी-कंडक्टर और अन्य भावी विकास उद्योगों जैसे अनुकूल कारकों को देखते हुए भारतीय आतिथ्य क्षेत्र आने वाले वर्षों में एक सुदृढ़ व संधारणीय विकास के लिए तैयार है।

14 जून, 2022 को सेन्टॉर लेक व्यू होटल, श्रीनगर को सील कर दिए जाने के बावजूद, कंपनी वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में राजस्व में 55% की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एक मजबूत प्रदर्शन दर्ज करने में सफल रही। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में ईबीआईटीडीए मार्जिन में 42% की वृद्धि हुई।

दिल्ली से बाहर जाने वाली स्पाइसजेट उड़ानों को अतिरिक्त केटरिंग की सुविधा प्रदान करने से समग्र विकास में मदद मिली, जिससे इनफ्लाइट कैटरिंग से राजस्व में 9% की वृद्धि हुई और फ्लाइट कैटरिंग परिचालन के कारण ईबीआईटीडीए मार्जिन में 3.5% की वृद्धि हुई।

हमारी कंपनी ने अपने ग्राहक-आधार का विस्तार करने और नए व्यवसाय लाने के हर संभव प्रयास किये हैं। लागत की बात करें तो, हमने अपशिष्टता (वेस्टेज) को रोकने और कम करने और विवेकाधीन व्यय को नियंत्रित करने के लिए अपनी कार्यविधियों पर ध्यान दिया है। हम आने वाले वर्षों में भी इन उद्देश्यों पर कार्य करते रहेंगे और विशेषतः हमारी होल्डिंग कंपनी और हमारे नोडल मंत्रालय के पूर्ण समर्थन को देखते हुए, कंपनी के भविष्य की संभावनाओं पर आशावादी बने रहेंगे।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल राजस्व पिछले वर्ष के 352.36 मिलियन रुपये से बढ़कर 547.32 मिलियन रुपये हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 29.81% की बचत करके परिचालन लागत को काफी हद तक नियंत्रित करने में टीम सफल रही है। इसके परिणामस्वरूप सकल परिचालन घाटा कम हुआ है और पिछले वर्ष के 317.65 रुपये (मिलियन में) के मुकाबले घटकर 183.21 रुपये (मिलियन में) रह गया है।

कंपनी समग्र व्यय में कटौती के लिए निरंतर और कड़े उपाय लागू करके अपने घाटे को कम करने की दिशा में प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है, जिससे उसका घाटा धीरे-धीरे कम हो रहा है।

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

होटल कॉर्पोरेशन ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निगम से संबंधित शासन प्रणाली पर जारी दिशानिर्देशों, जहां भी वर्ष के दौरान लागू हो, का अनुपालन किया है। निगम से संबंधित शासन प्रणाली पर त्रैमासिक रिटर्न/वार्षिक रिटर्न निर्धारित समय के भीतर संबंधित अधिकारियों के पास दाखिल किए गए।

मैं, इस अवसर पर बोर्ड में अपने सहयोगियों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए, शेयर धारकों, कंपनी के ग्राहकों, केंद्र और राज्य सरकारों और साथ ही एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सभी स्तरों पर कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए उनकी सराहना भी करना चाहूंगा।

भवदीय,

अधोहस्ताक्षरी/-
श्री असंगबा चुबा एओ
अध्यक्ष

निदेशकों की रिपोर्ट

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक सहर्ष अपना 52वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा:

(रु.लाख में)

विवरण	2022-23	2021-22	भिन्नता %
कुल राजस्व	547.32	352.36	+55%
कुल परिचालन व्यय	730.53	670.01	+9%
सकल परिचालन (हानि)	(183.21)	(317.65)	-42%
ब्याज	481.80	501.30	-4%
नकद (हानि)	(665.01)	(818.95)	-19%
मूल्यह्रास	38.82	29.17	+33%
ओसीआई पूर्व शुद्ध (हानि)	(703.83)	(848.12)	-17%
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	18.21	5.61	+225%
तुलन पत्र में अग्रणीत शुद्ध (हानि)	(685.62)	(842.51)	-19%

अन्य वित्त संबंधी जानकारी

शेयर पूंजी

31 मार्च 2023 तक, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी, 100/- रुपये प्रति शेयर के अनुसार 1,50,00,000 शेयरों में विभाजित, 150,00,00,000/- रुपये (एक सौ पचास करोड़ रुपये) थी।

31 मार्च 2023 तक, कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 100/- रुपये प्रति शेयर के अनुसार 1,37,60,000 शेयरों में विभाजित, 137,60,00,000/- रुपये (एक सौ सैंतीस करोड़ साठ लाख रुपये) थी, जो निम्नानुसार थे:

- 100 रुपये प्रति शेयर के अनुसार 110,60,000 शेयरों में विभाजित रु.110,60,00,000 (एक सौ दस करोड़ साठ लाख रुपये) होल्डिंग कंपनी एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के पास है।
- 100 रुपये प्रति शेयर के अनुसार 27,00,000 शेयरों में विभाजित रु.27,00,00,000 (सत्ताईस करोड़ रुपये) भारत के राष्ट्रपति के नाम पर केंद्र सरकार के पास है।

वार्षिक योजना परिव्यय 2022-23

पिछले वर्षों की भांति, कंपनी को वर्ष 2022-23 में कोई वार्षिक योजना परिव्यय प्राप्त नहीं हुआ है।

शेयर पूंजी में परिवर्तन, यदि कोई हो

वर्ष के दौरान कंपनी की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

लाभांश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के संदर्भ में, संचित घाटे के कारण लाभांश को देय नहीं माना जा सकता।

अदावी लाभांश का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरण

चूंकि पिछले वर्षों में कोई अप्रदत्त/ अदावी लाभांश नहीं था, अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के प्रावधान लागू नहीं हुए।

आरक्षित निधि में अंतरित राशि

संचित घाटे को देखते हुए, निदेशक मंडल ने वर्ष के दौरान आरक्षित निधि में कोई राशि अंतरित न करने का निर्णय लिया है।

विदेश यात्राएँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने इस शीर्ष के अंतर्गत शून्य व्यय किया।

मानव संसाधन

कार्मिक

31 मार्च 2023 तक, कंपनी के वेतन-सूची में कुल 213 (ए.एम.आर.डी. के 17 जुलाई, 2023 के आदेश के अनुसार जम्मू-कश्मीर के संघ शासित प्रदेश द्वारा सीएलवीएच कर्मचारियों के समामेलन के पश्चात) स्थायी कर्मचारी थे, जबकि 31 मार्च 2022 तक यह संख्या 435 थी। कंपनी का मानना है कि व्यावसायिक माहौल की चुनौतियों का समाधान प्रेरित, चुस्त, परिवर्तन के अनुकूल, नवोन्मेषी और सीखने में तेज़ कार्यबल के साथ किया जा सकता है।

औद्योगिक संबंध

कंपनी में औद्योगिक संबंध हमेशा से ही सौहार्दपूर्ण रहे हैं।

सतर्कता

रिपोर्ट अधीन वर्ष के दौरान, भाहोनि की सभी इकाइयों में समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण व जाँच की गई है। वर्ष के दौरान, निविदा/खरीद प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों में समय-समय पर प्रक्रियात्मक परामर्श प्रदान किया गया है। 31 अक्टूबर 2022 और 6 नवंबर 2022 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

वैधानिक अनुपालन

भूतपूर्व सैनिकों का नियोजन

कंपनी भूतपूर्व सैनिकों के नियोजन के संबंध में सरकार से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन कर रही है।

राजभाषा नीति का क्रियान्वयन

राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का रोजगार

भाहोनि की छह में से तीन इकाइयों के विनिवेश के बाद, भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसलिए, कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं की गई। यद्दपि, कंपनी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पदों के आरक्षण संबंधी सरकारी निर्देशों का पालन करना जारी रखा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग। 31 मार्च 2023 तक स्थायी कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है:

कर्मचारियों की कुल संख्या	एससी कर्मचारियों की कुल संख्या	एससी कर्मचारियों का %	एसटी कर्मचारियों की कुल संख्या	एसटी कर्मचारियों का %	ओबीसी कर्मचारियों की कुल संख्या	ओबीसी कर्मचारियों का %
357	78	19.61	21.84	6.72%	39	10.92

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण

कंपनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। ऊर्जा खपत को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

कंपनी ने बीएसईएस के समक्ष यह मामला उठाया और 01.04.2023 से दिल्ली इकाई के लिए स्वीकृत भार को 5158 केवीए से घटाकर 1899 केवीए करवा दिया। इससे प्रति माह (लगभग) 3,50,000/- रुपये की लागत बचत हुई।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (2) (एम) के अनुसार प्रासंगिक नियमों के फॉर्म बी के तहत आवश्यक विवरण नहीं दिए गए हैं, क्योंकि कंपनी में कोई अनुसंधान और विकास गतिविधि नहीं है। चूँकि कंपनी एक सेवा उद्योग है, प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन या नवाचार का प्रश्न कंपनी पर लागू नहीं होता।

जमा राशियां

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

महत्वपूर्ण एवं वस्तुगत आदेश

दिसंबर 2021 में, जिस भूमि पर सेन्टॉर लेक व्यू होटल, श्रीनगर स्थित है, जम्मू-कश्मीर सरकार ने उसके पट्टे को समाप्त करने का नोटिस जारी किया । कंपनी ने उक्त समाप्ति नोटिस पर अपना जवाब दाखिल किया। यद्दपि, जनवरी 2022 में, जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली), 1988 के तहत एक संपदा अधिकारी नियुक्त किया और 14 जून, 2022 को, जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश ने सेन्टॉर लेक व्यू होटल, श्रीनगर को सील कर दिया और भाहोनि को परिसर से जबरन बेदखल कर दिया।

जुलाई 2023 में, ए.एम.आर.डी के तहत प्रस्ताव के अनुसार, श्रीनगर में सेन्टॉर लेक व्यू होटल (जिसे जून 2022 में जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सील कर दिया गया था), जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश को सौंप दिया गया और होटल के सभी कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में समाहित कर लिया गया।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (1) के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी भी वर्ष के दौरान जिस कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये या टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपये या शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, उस पर सीएसआर के लिए प्रावधान लागू होगा। चूंकि कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध घाटा हुआ है, इसलिए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई सीएसआर व्यय नहीं किया गया है।

विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आय और व्यय शून्य थे।

आरटीआई अधिनियम, 2005 का अनुपालन

होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया है ताकि नागरिकों को सूचना प्रदान की जा सके।

कंपनी ने आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों/अपीलों से निपटने के लिए अपनी संरचना को विकेंद्रीकृत किया है और आवेदनों/अपीलों के त्वरित निपटान के लिए 5 सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ), 6 लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और एक अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 22 अनुरोध/अपीलें प्राप्त हुईं, जिनमें से 20 अनुरोध/अपीलों का निपटान वर्ष के दौरान किया गया और शेष 2 का निपटान अगले वर्ष यानी 2023-24 में किया गया।

यौन उत्पीड़न

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) इसके अंतर्गत आते हैं।

वर्ष 2022 में यौन उत्पीड़न से संबंधित दो (2) शिकायतें प्राप्त हुईं। वर्ष 2023 के दौरान, दोनों शिकायतों का निपटारा कर दिया गया, शिकायत समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और प्रबंधन द्वारा उचित कार्रवाई की गई।

सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी के बारे में जानकारी

कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ

05.04.2022 को जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा नियुक्त संपदा अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। 15.04.2022 को कंपनी ने जवाब दाखिल किया और विस्तृत जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा। यद्दपि, 25.04.2022 को संपदा अधिकारी ने 45 दिनों के भीतर होटल परिसर खाली करने के लिए बेदखली आदेश जारी किया। इस अपील के माध्यम से अपीलीय प्राधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट, श्रीनगर) के समक्ष चुनौती दी गई थी। कंपनी ने विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय सहित कई दौर की मुकदमेबाजी की। 14.06.2022 को, संपदा अधिकारी ने कंपनी के होटल परिसर में प्रवेश किया और सभी कर्मचारियों को बाहर निकालने के बाद परिसर को सील कर दिया।

15.07.2022 को कंपनी ने माननीय जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने 16.11.2022 के आदेश के तहत कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा किया और विवाद को ए.एम.आर.डी तंत्र को संदर्भित किया। नतीजतन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा "विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र" के तहत एक समिति का गठन किया गया है।

जुलाई 2023 में, ए.एम.आर.डी के तहत प्रस्ताव के अनुसार, श्रीनगर स्थित सेन्टॉर लेक व्यू होटल को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को सौंप दिया गया और होटल के सभी स्थायी कर्मचारियों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पूर्ण रूप से नियुक्त कर लिया गया।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

विस्तृत प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट अलग से दी गई है।

निदेशक मंडल की बैठकें

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 173 के तहत अपेक्षित अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, तथा दो बैठकों के बीच समय अंतराल पर विचार करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन किया गया।

बोर्ड बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
259	29 जुलाई 2022	4	3
260	13 सितम्बर 2022	4	3
261	30 नवम्बर 2022	4	3
262	10 फरवरी 2022	4	3

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

- वार्षिक लेखों को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया, साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया था।
- निदेशकों द्वारा ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन तथा निरंतर रूप से लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2023 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा निदेशकों की जानकारी और योग्यता के अनुसार धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी।

- एक असूचीबद्ध कंपनी होने के कारण कंपनी पर धारा 134(3)(ई) के प्रावधान लागू नहीं होते।
- यह कि वार्षिक लेखा को"चालू प्रतिष्ठान" के आधार पर तैयार किया गया है।
- निदेशकों द्वारा सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की गई हैं और ऐसी प्रणालियाँ समुचित हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

कंपनी ने, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के अपवाद के साथ, निगम से संबंधित शासन प्रणाली की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। इस मामले पर प्रशासनिक मंत्रालय के साथ बातचीत जारी है। इस वार्षिक प्रतिवेदन की अंगभूत विस्तृत कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न है।

लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स जैन जगावत कामदार एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मुंबई को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

सचिवाल्यिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सचिवाल्यिक लेखा परीक्षा करने हेतु मेसर्स ए. कौशल एंड एसोसिएट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, दिल्ली को नियुक्त किया है।

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवाल्यिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुलग्नक II में संलग्न है

सचिवाल्यिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

स्वतंत्र निदेशक

(i) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित धारा-149(4) के अनुसार कंपनी द्वारा कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई है।

(ii) कंपनी अधिनियम की धारा-177(2) के अनुसार कंपनी द्वारा लेखा परीक्षा समिति में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का अनुपालन नहीं किया गया है।

(iii) कंपनी अधिनियम की धारा-178(1) के अनुसार कंपनी ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।

(iv) *कंपनी अधिनियम की धारा-178(1) के अनुसार कंपनी ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का अनुपालन नहीं किया है।*

प्रबंधन की टिप्पणियाँ

यह एक तथ्यात्मक कथन है।

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के खंड (97) के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के परामर्श से की जाएगी और इस मामले में कंपनी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके मद्देनजर, उक्त अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में कंपनी अपेक्षित नियमों का अनुपालन करने में अक्षम थी।

(v) *कंपनी ने सामान्यतः भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।*

प्रबंधन की टिप्पणियाँ

संज्ञान में लिया गया

(vi) *यह कि कंपनी ने 10.02.2023 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में 06.12.2022 से प्रभावी अपने कंपनी सचिव की नियुक्ति की है।*

(vii) *यह कि कंपनी ने 26.12.2022 को पारित परिपत्र प्रस्तावों के माध्यम से 14.12.2022 से अपने नामित निदेशक श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति की है।*

(viii) *यह कि कंपनी ने 26.12.2022 को पारित परिपत्र प्रस्तावों के माध्यम से 01.03.2023 से अपने नामित निदेशक श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा की नियुक्ति की है।*

प्रबंधन की टिप्पणियाँ

यह एक तथ्यात्मक कथन है।

कंपनी के आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन के खंड (97) के अनुसार, निदेशक मंडल की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के परामर्श से की जाएगी। बोर्ड केवल नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा नियुक्त निदेशकों के निर्देशों पर ही कार्य कर सकता है।

आंतरिक लेखा परीक्षक

इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन; इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा; धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता

लगाना; लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता; और कंपनी के परिचालन के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समुचितता के मूल्यांकन के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं और नियंत्रणों की समीक्षा करने, सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और संसाधनों के इष्टतम उपयोग और कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा को सुकर बनाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल द्वारा मेसर्स एल.बी. झा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नियुक्त किया गया है।

ऋण, गारंटी और निवेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया था, अतः धारा 186 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पार्टी लेन-देन आर्म्स लेंग्थ आधार पर और व्यवसाय के सामान्य क्रम (आर्डिनरी कोर्स ऑफ़ बिज़नस) में थे। कंपनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं किये गए हैं, जिनके बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के प्रतिकूल होने की संभावना हो।

सामान्य बैठक में कंपनी का अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में धारा 188 की उपधारा (1) के प्रथम एवं द्वितीय प्रावधान से छूट, जो किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ उसके द्वारा किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं के संबंध में एक सरकारी कंपनी को प्रदान की जाती है।

सभी संबंधित पार्टी लेन-देन लेखा परीक्षा समिति और अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं।

अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देनों का विवरण फॉर्म एओसी -2 में अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न है।

लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं हुआ, जिसके लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों को अधिनियम की धारा 143(12) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लेखा परीक्षा समिति और/या बोर्ड को रिपोर्ट करना आवश्यक था।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(क) ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण: आपकी कंपनी ने ऊर्जा के गैर-नवीकरणीय स्रोतों के संरक्षण और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए जहाँ भी संभव हो, सभी प्रयास किए हैं।

(ख) विदेशी मुद्रा आय और व्यय

	(रूपये)
आय	शून्य
व्यय	शून्य

जोखिम प्रबंधन

कंपनी में जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने की प्रक्रिया जारी है जिसमें निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखा है:

- जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों का अवलोकन प्रदान करना
- जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी द्वारा लागू दृष्टिकोण की व्याख्या करना
- प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना तैयार करना
- एक "जोखिम" संस्कृति विकसित करना जो सभी कर्मचारियों को जोखिमों और संबंधित अवसरों की पहचान करने और प्रभावी कार्यों के साथ उनकी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करे।
- न्यूनतम व्यवधान और लागत के साथ योजनाबद्ध और समन्वित तरीके से मौजूदा और नए जोखिमों की पहचान, आकलन और प्रबंधन करना, ताकि कंपनी की मानवीय, भौतिक और वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण हो सके।

वार्षिक रिटर्न

अधिनियम की धारा 92(3) और धारा 134(3)(ए) के अनुपालन में, 31 मार्च, 2023 तक आपकी कंपनी के वार्षिक रिटर्न की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.centaurhotels.com पर होस्ट की जाएगी।

<u>कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का विवरण:</u>

क्रं.सं.	नाम	पद	नियुक्ति की तिथि
1	श्री दीपक खुल्लर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	5 नवम्बर 2020
2	श्रीमती थ्रीटी साइरस दलाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	11 फरवरी 2015
3	श्रीमती ईशा जैन	कंपनी सचिव (01.10.2021- 22.08.2022 तक)	1 अक्टूबर 2021
4	सुश्री सोनम गोसाईं	कंपनी सचिव	6 दिसम्बर 2022

स्वतंत्र होने की घोषणा

भाहोनि, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के आर्टिकल 97 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होगी, जिनमें सभी की नियुक्ति एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाएगी, जो बदले में भारत सरकार के निर्देशों के अधीन ऐसा कर सकते हैं।

आर्टिकल्स के उपरोक्त प्रावधानों के मद्देनजर, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से भाहोनि के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को नामित करने का अनुरोध किया गया है, जबकि, नियुक्तियाँ अभी प्रतीक्षारत हैं।

निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के निदेशकों के गठन और केएमपी में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं

क्रं.सं.	नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1	श्री दीपक साजवान उप सचिव, ना.वि.मंत्रालय	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के नामित निदेशक	11.02.2022	14.12.2022
2	श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, उप सचिव ना.वि.मंत्रालय	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के नामित निदेशक	14.12.2022	-
3	श्री विक्रम देव दत्त	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष और नामित निदेशक	27.01.2022	28.02.2023
4	श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव ना.वि.मंत्रालय	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष और नामित निदेशक	01.03.2023	-

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

क्रं.सं.	नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1	श्रीमती ईशा जैन	कंपनी सचिव	01.10.2021	22.08.2022
2	सुश्री सोनम गोसाईं	कंपनी सचिव	06.12.2022	-

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के माध्यम से दी गई छूट के मद्देनजर, निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी नहीं दी गई है:

i. बोर्ड, इसकी समितियों और व्यक्तियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन

i. निदेशकों के चयन और नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक के लिए तय नीति

ii. पारिश्रमिक नीति - कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों को पारिश्रमिक

iii. संबंधित पार्टी लेनदेन

यद्यपि उपरोक्त अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनियों को धारा 188 के प्रथम प्रावधान के आवेदन से छूट दी गई है, अर्थात किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं के संबंध में शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में, इसके लिए बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। तदनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए एआई एसेट्स होल्डिंग और इसकी सहायक कंपनियों के साथ वित्त लागत - ब्याज 45.26 करोड़ रुपये और बिक्री राजस्व 3.43 करोड़ रुपये के लिए संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए बोर्ड की स्वीकृति ली गई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर "शून्य टिप्पणियाँ" रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) के तहत भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों का आपकी कंपनी द्वारा लागू सीमा तक अनुपालन किया गया है।

दिवाला एवं दिवालियापन संहिता 2016 के अंतर्गत किए गए आवेदन या लंबित कार्यवाही का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के अंतर्गत कंपनी के नाम पर कोई आवेदन नहीं किया गया या कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी।

एकमुश्त निपटान पर मूल्यांकन राशि और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करते समय मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों का कोई एकमुश्त निपटान नहीं हुआ है।

स्वीकृति

कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दिए गए प्रोत्साहन व सहयोग की निदेशक सराहना करते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड से प्राप्त सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए भी बोर्ड आभार व्यक्त करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑडिट बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों, सांविधिक लेखा परीक्षकों और बैंकों को निदेशक धन्यवाद देते हैं।

निदेशक **मंडल की ओर से**

हस्ताक्षरकर्ता/-
असंगबा चुबा एओ
अध्यक्ष

दिनांक: 05.04.2024
स्थान: नई दिल्ली

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

आर्थिक माहौल:

कोविड-19 महामारी से प्रभावित दो वर्षों के बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 में वैश्विक अर्थव्यवस्था सुधार के चरण की और अग्रसर हुई है। वर्ष के दौरान वैश्विक पर्यटन में सतत सुधार हुआ और अधिकांश बाजार महामारी-पूर्व स्तर के करीब पहुंच गए हैं। इस उल्लेखनीय परिवर्तन के पीछे का कारण विभिन्न देशों में धीरे-धीरे हटाए गए यात्रा प्रतिबंध और उनमें की गई ढील है और साथ ही पहली की तरह व्यवसाय, शिक्षा या छुट्टी मनाने के लिए यात्रा करने की लोगों में जागृत हुई प्रबल इच्छा है। भारत भी इससे अलग नहीं था और सरकार के कई हस्तक्षेपों, विशेषकर सड़कों के बुनियादी ढांचे का निर्माण जो बहुत मजबूत विकास पथ था, इससे पर्यटन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में उभर कर सामने आया। भारतीयों ने एक बार फिर बड़ी संख्या में यात्रा करना शुरू कर दिया है, हवाई अड्डों पर भीड़ है, होटलों में अच्छी बुकिंग है और भावी विकास संभावनाओं में नया उत्साह है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था: समीक्षाधीन वर्ष:

बेसलाइन पूर्वानुमान के अनुसार विकास दर 2022 में 3.4 प्रतिशत से गिरकर 2023 में 2.8 प्रतिशत हो जाएगी, जो 2024 में 3.0 प्रतिशत पर आ जाएगी। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में विशेष रूप से स्पष्ट विकास मंदी देखने को मिलेगी, जो 2022 में 2.7 प्रतिशत से घटकर 2023 में 1.3 प्रतिशत हो जाएगी। वित्तीय क्षेत्र पर और अधिक दबाव के साथ एक संभावित वैकल्पिक परिदृश्य में, 2023 में वैश्विक विकास घटकर लगभग 2.5 प्रतिशत रह जाएगा, जबकि उन्नत अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 1 प्रतिशत से नीचे आ जाएगी। बेसलाइन में वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति 2022 में 8.7 प्रतिशत से गिरकर 2023 में 7.0 प्रतिशत हो जाएगी, जो उपयोगी वस्तु की कम कीमतों के कारण होगी, लेकिन अंतर्निहित (कोर) मुद्रास्फीति में और अधिक धीमी गति से गिरावट आने की संभावना है। अधिकांश मामलों में मुद्रास्फीति का लक्ष्य पर वापस आना 2025 से पहले संभव नहीं है।

(स्रोत: आईएमएॅफ़- विश्व आर्थिक परिदृश्य - अप्रैल 2023)

भारतीय अर्थव्यवस्था: समीक्षाधीन वर्ष:

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ऐसे समय में आया है जब विश्व भर में अनिश्चितताएँ व्याप्त हैं। मुश्किल से महामारी का प्रकोप कम हुआ था कि फरवरी 2022 में यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया। खाद्य, ईंधन और उर्वरक की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई। जैसे-जैसे मुद्रास्फीति की दर में तेज़ी आई, उन्नत देशों के केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति को कड़ा करने के लिए जवाबी कार्रवाई की। कई विकासशील देशों, विशेष रूप से दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, कमज़ोर होती मुद्राओं, उच्च आयात कीमतों, जीवन यापन की बढ़ती लागत और मज़बूत होते डॉलर के संयोजन के कारण गंभीर आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ा, जिससे ऋण सेवा अधिक महंगी हो गई, जिसे संभालना बहुत मुश्किल साबित हुआ। 2022 की दूसरी छमाही में, सरकारों और परिवारों को राहत मिली। उपयोगी वस्तु की कीमतें चरम पर हैं।

भारत के लिए 2022 खास रहा। यह भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ थी। भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जिसे मौजूदा डॉलर में मापा गया है। भारत की मामूली सी जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। वास्तविक रूप से, मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अर्थव्यवस्था के 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह वृद्धि 8.7 प्रतिशत थी। उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि काफी धीमी हो गई है। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 6 प्रतिशत से नीचे है। थोक मूल्य 5 प्रतिशत से नीचे की दर से बढ़ रहे हैं। वित्तीय वर्ष के

पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर) में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 2021-22 की इसी अवधि की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल तेल की ऊंची कीमत ने भारत के आयात बिल को बढ़ा दिया और व्यापारिक व्यापार घाटे को बढ़ा दिया, लेकिन चालू खाता घाटे और इसके वित्तपोषण को लेकर चिंताएं साल बीतने के साथ कम हो गई हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर सुविधापूर्ण है और बाहरी ऋण कम है। भारत में मानसून अच्छा रहा और जलाशय का स्तर पिछले साल और 10 साल के औसत से अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है क्योंकि यह अमृत काल में प्रवेश कर रही है, जो एक आधुनिक, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी शताब्दी की ओर 25 साल की यात्रा है। सावधानीपूर्वक और सचेत रूप से अपनाई गई नीतियों ने यह सुनिश्चित किया है कि रिकवरी मजबूत और टिकाऊ हो।

(स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23)।

वैश्विक आतिथ्य और पर्यटन उद्योग:

संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों का आगमन 917 मिलियन था, जो 2021 से दोगुना है, लेकिन 2019 के पूर्व-महामारी स्तर 63% तक पहुंच गया है।

जनवरी-सितंबर 2023 की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ने पूर्व-महामारी स्तर के 87% (-13% बनाम 2019) पर वापसी की, जिसका मुख्य कारण 2023 की तीसरी तिमाही में लोगों में लम्बे समय से दमित इच्छा थी।

जनवरी और सितंबर 2023 के बीच अनुमानित 975 मिलियन पर्यटकों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा की, जो 2022 के इन्हीं महीनों की तुलना में 38% की वृद्धि है, जबकि 2019 की तुलना में 13% कम है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों के 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, जो 2019 में गंतव्यों द्वारा अर्जित 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लगभग 93% है। ये परिणाम 2023 में मांग में मजबूत सुधार को दर्शाते हैं।

जनवरी में प्रकाशित यूएनडब्ल्यूटीओ परिदृश्यों के अनुरूप, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आगमन कुल मिलाकर 1.3 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2022 से 33% अधिक है और पूर्व-महामारी के स्तर का लगभग 90% है। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के पूरी तरह से महामारी-पूर्व स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है, और प्रारंभिक अनुमान 2019 के स्तर से 2% अधिक वृद्धि का संकेत देते हैं। यूएनडब्ल्यूटीओ का यह केंद्रीय पूर्वानुमान एशिया में सुधार की गति और मौजूदा आर्थिक और भू-राजनीतिक नकारात्मक जोखिमों के विकास के अधीन है।

(स्रोत: यूएनडब्ल्यूटीओ, बैरोमीटर नवंबर 2023)।

भारतीय आतिथ्य एवं पर्यटन उद्योग:

वित्त वर्ष 2022-23 भारतीय यात्रा और पर्यटन उद्योग में मजबूत सुधार का वर्ष बना रहा। अधिकांश देशों में भारत से आने और जाने वाली उड़ानों पर प्रतिबंधों में ढील दी गई। भारत के भीतर यात्रा के लिए यात्रा प्रतिबंध, दस्तावेज़ीकरण और प्रमाणपत्रों में भी उत्तरोत्तर ढील दी गई। नतीजतन, आवास की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से देश के भीतर घरेलू अवकाश यात्रा, शादियों, सामाजिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों और व्यापार यात्रा की बहाली से उत्पन्न हुई थी। कैलेंडर वर्ष 2022 में विदेशी पर्यटकों का आगमन 6.19 मिलियन था, जबकि 2021 में यह 1.52 मिलियन था।

दृष्टिकोण:

2024 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के पूरी तरह से महामारी-पूर्व स्तर पर वापसी करने की उम्मीद है, जिसमें प्रारंभिक अनुमान

2019 के स्तर से 2% अधिक वृद्धि का भी संकेत देते हैं। यूएनडब्ल्यूटीओ का यह केंद्रीय पूर्वानुमान एशिया में सुधार की गति और मौजूदा आर्थिक और भू-राजनीतिक नकारात्मक जोखिमों के विकास पर निर्भर करता है।

नवीनतम यूएनडब्ल्यूटीओ टूरिज्म कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वेक्षण में सकारात्मक दृष्टिकोण परिलक्षित होता है, जिसमें 67% पर्यटन पेशेवरों ने 2023 की तुलना में 2024 के लिए बेहतर या बहुत बेहतर संभावनाओं का संकेत दिया है। कुछ 28% पर्यटन पेशेवरों को उसी स्तर के प्रदर्शन की उम्मीद है, जबकि केवल 6% ने 2024 में पर्यटन के क्षेत्र में पिछले साल से भी बदतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई हैं।

वर्ष 2022-23 में भारत में संगठित होटल क्षेत्र में अधिभोग में 34% की वृद्धि देखी गई। भारतीय यात्री बड़ी संख्या में भारत की यात्रा करते रहे हैं। 2022-23 के दौरान हासिल की गई अधिभोग और एडीआर दोनों में घरेलू पर्यटन का प्रमुख योगदान था। व्यावसायिक यात्रा में भी तेजी आई और उड़ान परिचालन ने भी चरम को छुआ। जी20 की अध्यक्षता के साथ, भारत हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत, हमारी अनूठी और विशिष्ट यात्रा पेशकशों और हमारे सुरक्षित और पर्यटक अनुकूल स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए पहले से कहीं बेहतर स्थिति में है। आर्थिक समृद्धि और रोजगार सृजन पर इसके कई गुना प्रभाव के साथ पर्यटन देश के विकास के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक होगा।

कंपनी का दृष्टिकोण:

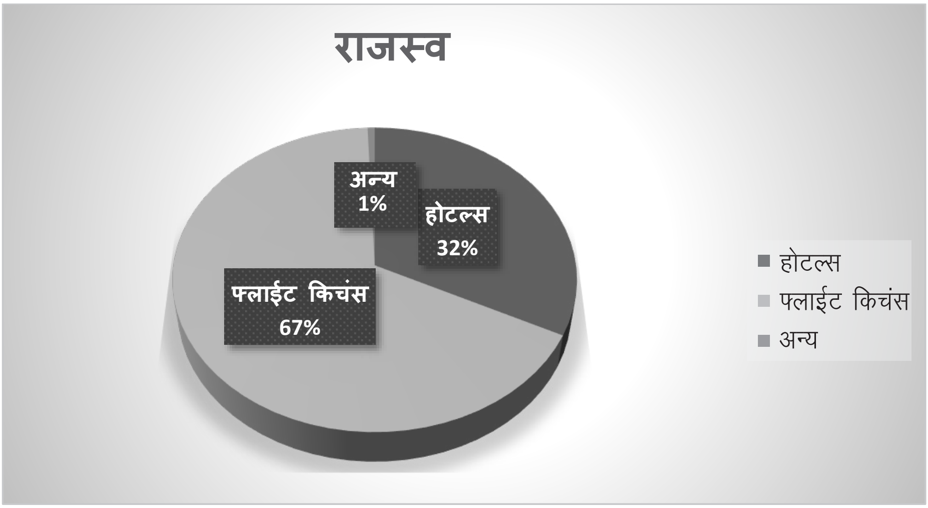

वर्ष 2022-23 के लिए खंडवार रिपोर्टिंग:

(रूपये लाख में)

विवरण	होटल्स	फ्लाईट किचंस	अन्य	कुल
राजस्व	174.30	369.62	3.40	547.32
परिचालन (हानि)	(104.62)	(46.95)	(31.64)	(183.21)
शुद्ध (हानि)	(141.39)	(59.17)	(485.06)	(685.62)

वित्त वर्ष 2022-23 में आपकी कंपनी के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। होटल क्षेत्र में कमरे अधिभोग में वृद्धि (57%) और फ्लाईट खानपान क्षेत्र में भोजन की उच्च मांग के कारण राजस्व में 55% की वृद्धि हुई और परिचालन हानि में 42% की कमी आई। वित्त वर्ष 2021-22 में शुद्ध घाटा 19% कम हुआ। यह प्रदर्शन 14.06.2022 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा सेन्टॉर लेक व्यू होटल, श्रीनगर को अचानक सील करने के बावजूद है।

जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियाँ:

कंपनी एयर इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

- यह अपने परिचालन मानकों को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिभा को उन्नत बना रहा है।
- कंपनी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंटों, कॉरपोरेट्स (एफआईटी और कॉन्फ्रेंस), शादियों और अवकाश के व्यवसायों को लक्षित करके होटल के लिए अपने ग्राहकों को व्यापक बनाने पर ध्यान लगा रही है। इसी प्रकार, अपने फ्लाईट खानपान व्यवसाय के लिए, कंपनी एक अतिरिक्त एयरलाइन से सफलतापूर्वक व्यवसाय अर्जित करने में सफल रही है।
- कंपनी द्वारा व्यवसाय के अन्य क्षेत्रों की खोज करके व्यवसाय मॉडल को जोखिम- मुक्त बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ:

आपकी कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक समय-समय पर कंपनी के लेनदेन की लेखा परीक्षा करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग पर्याप्त और उचित है। आंतरिक लेखा परीक्षा में यह भी सत्यापित किया जाता है कि सिस्टम में आंतरिक नियंत्रण और चेक्स और बैलेंस पर्याप्त, उचित और अद्यतित हैं या नहीं। लेखा परीक्षा से सिस्टम में उजागर हुई किसी भी कमज़ोरी के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। प्रबंधन द्वारा प्रमुख बैक-ऑफ़िस प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और एकीकरण की शुरूआत की जा रही है और फ्रंट ऑफिस और मालसूची प्रबंधन के लिए पीएमएस पैकेज को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है जो आंतरिक नियंत्रण तंत्र को और उन्नत बनाने में मदद करेगी।

सुनाम-प्रतिष्ठान अवधारणा:

कंपनी अपनी आय में वृद्धि करने, निश्चित लागत को कम करने और संसाधनों को तर्कसंगत बनाने के अवसरों का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

प्रबंधन का मानना है कि खानपान राजस्व, शादी/सामाजिक बाजार और घरेलू कॉर्पोरेट और अवकाश यात्रा हमारे व्यवसाय का मुख्य आधार होंगे। कंपनी एयरलाइंस की बढ़ती मांग को पूरा करके शैफ़ेयर इकाइयों में क्षमता उपयोग बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है। प्रबंधन को विश्वास है कि हितधारकों और अपने मानव संसाधनों की मदद से कंपनी वित्तीय प्रदर्शन में सुधार लाने में सक्षम होगी।

संलग्नक - ए

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

कंपनी का अच्छी निगम से संबंधित शासन प्रणाली में दृढ़ विश्वास है और यह नियमित रूप से इसका पालन करती रही है। पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के मूल्य कंपनी की मूल प्रकृति को आकार देते हैं। **कंपनी प्रतिबद्ध है:**

1. **निगम से संबंधित शासन प्रणाली संहिता पर कंपनी के सिद्धांत को हासिल करने** के लिए जो निगम से संबंधित शासन प्रणाली का उच्चतम मानक है। निगम से संबंधित शासन प्रणाली के संबंध में कंपनी का सिद्धांत अपने सभी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, खुलासे करना और कानूनों और विनियमों के ढांचे के भीतर सभी हितधारकों के मूल्य को बढ़ावा देना है।

2. निदेशक मंडल

होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भाहोनि) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो वर्तमान में भारत सरकार के मंत्रालय के तहत एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की सहायक कंपनी है। 01.04.2021 से 11.01.2022 की अवधि के लिए, भाहोनि एयर इंडिया लिमिटेड (एआई) की सहायक कंपनी थी। जबकि एआई के विनिवेश और एआईएसएएम के निर्णय के अनुसार, 11.01.2022 को भाहोनि में एआई के निवेश को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) को अंतरित कर दिया गया और तदनुसार नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) दिनांक 31.12.2021 के बाद दिनांक 11.01.2022, 27.01.2022 और 11.02.2022 14.12.2022 और 28.02.2023 का कार्यालय ज्ञापन जारी करके भाहोनि के बोर्ड का पुनर्गठन किया।

इसके निदेशकों की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, निदेशकों की संख्या तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होगी, जिनमें सभी की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

तदनुसार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आदेश दिनांक 28.02.2023 द्वारा निर्धारित भाहोनि के बोर्ड की संरचना इस प्रकार है:

31 मार्च 2023 तक निदेशक मंडल

श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	– नामित निदेशक
श्रीमती रूबीना अली संयुक्त. सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय	– नामित निदेशक
श्री प्रांजोल चंद्रा निदेशक नागरिक उड्डयन मंत्रालय	– नामित निदेशक
श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव उप कुल सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय	– नामित निदेशक

नागरिक उड्डयन मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14.12.2022 के माध्यम से नामित निदेशक, श्री दीपक साजवान को 14.12.2022 से भाहोनि के बोर्ड से निष्कासित कर दिया गया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28.02.2023 के माध्यम से एआई एसेट होल्डिंग के सीएमडी, श्री विक्रम देव दत्त को 28.02.2023 से भाहोनि के बोर्ड से निष्कासित कर दिया गया।

इसके अलावा, दिनांक 28.02.2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, श्री. सत्येन्द्र कुमार मिश्रा को 01.03.2023 से सीएमडी, एआई एसेट्स होल्डिंग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया और इसलिए अंततः भाहोनि के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में बने रहे।

चूंकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.02.2023 के आदेश के तहत बोर्ड के पुनर्गठन में अध्यक्ष की स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया था, अतः भाहोनि बोर्ड ने अपने परिपत्र संकल्प संख्या 63 दिनांक 10.03.2023 के माध्यम से श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा को भाहोनि के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय /होल्डिंग कंपनी से किसी भी अगले निर्देश तक अपेक्षित प्रस्ताव पारित किया।

बोर्ड श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान कंपनी के बोर्ड में सीएमडी, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के रूप में प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना करता है।

बोर्ड की बैठकों, वार्षिक आम बैठक, निदेशकों की उपस्थिति, निदेशकों और निदेशकों द्वारा धारित समिति पदों के बारे में विवरण इस प्रकार हैं:

3. बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर चार बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं:

259	29 जुलाई 2022
260	13 सितम्बर 2022
261	30 नवम्बर 2022
262	10 फरवरी 2023

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड/शेयरधारकों की बैठकों में उनकी उपस्थिति सहित निदेशकों का विवरण

निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया	अंतिम एजीएम में भाग लिया
श्री विक्रम देव दत्त, - अध्यक्ष (27 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2023 तक)	बी.टेक और पीजीडीएम, आईएएस (यूटी:93)	4	4	हाँ

निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया	अंतिम एजीएम में भाग लिया
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा संयुक्त सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (01 मार्च 2023 से)	एम.टेक (एप्लाइड जियोलॉजी) एमए (सार्वजनिक नीति में)	4	1	हाँ
श्रीमती रूबीना अली, संयुक्त सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (11 फरवरी 2022 से)	पीजीडीएम	4	4	हाँ
श्री प्रांजोल चंद्रा, निदेशक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (11 जनवरी 2022 से)	बी. ई. मैकेनिकल	4	4	हाँ
श्री. दीपक साजवान, उप सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (11 फरवरी 2022 से 14 दिसंबर 2022 तक)	पीजीडीएम	4	-	नहीं
श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव उप सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (14 दिसंबर 2022 से)	पीजीडीएम	4	1	हाँ

बोर्ड समितियों के निदेशक पद और सदस्यता

कंपनी के निदेशकों द्वारा धारित विभिन्न समितियों में निदेशक पद और सदस्यता का विवरण इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद का विवरण	समितियों में धारित सदस्यताएँ
श्री विक्रम देव दत्त, - अध्यक्ष (27 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2023 तक)	बी.टेक और पीजीडीएम, आईएएस (यूटी:93)	4	मुख्य अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड अध्यक्ष एवं नामित निदेशक एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड,	एआईएएचएल सदस्य नामांकन और पारिश्रमिक समिति
			एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड,	एआईएएसएल अध्यक्ष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति
			एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड,	एआईईएसएल अध्यक्ष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति
				ए.ए.ए.एल अध्यक्ष मानव संसाधन समिति फ्लाईट सुरक्षा समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति

निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद का विवरण	समितियों में धारित सदस्यताएँ
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा संयुक्त. सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (01 मार्च 2023 से)	एम.टेक (एप्लाइड जियोलॉजी) एमए (सार्वजनिक नीति में)	4	मुख्य अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड अध्यक्ष एवं नामित निदेशक एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड,	एआईएएचएल अध्यक्ष नामांकन और पारिश्रमिक समिति एआईएएसएल अध्यक्ष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति एआईईएसएल अध्यक्ष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति ए.ए.ए.एल अध्यक्ष मानव संसाधन समिति फ्लाईट सुरक्षा समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति
श्रीमती रूबीना अली संयुक्त सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (11 फरवरी 2022 से)	पीजीडीएम	4	निदेशक	भाहोनि सदस्य लेखा परीक्षा समिति

निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद का विवरण	समितियों में धारित सदस्यताएँ
श्री प्रांजोल चंद्रा, निदेशक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (11 जनवरी 2022 से)	बी. ई. मैकेनिकल	4	निदेशक एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड,	ए.ए.ए.एल सदस्य लेखा परीक्षा समिति मानव संसाधन समिति फ्लाईट सुरक्षा समिति भाहोनि सदस्य लेखा परीक्षा समिति
श्री दीपक साजवान, उप सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (11 फरवरी 2022 से 14 दिसंबर 2022 तक)	पीजीडीएम	-	निदेशक एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	ए.ए.ए.एल सदस्य लेखा परीक्षा समिति मानव संसाधन समिति फ्लाईट सुरक्षा समिति भाहोनि सदस्य लेखा परीक्षा समिति
श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव उप सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (14 दिसंबर 2022 से)			निदेशक एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	ए.ए.ए.एल सदस्य लेखा परीक्षा समिति मानव संसाधन समिति फ्लाईट सुरक्षा समिति भाहोनि सदस्य लेखा परीक्षा समिति

4. बोर्ड प्रक्रिया

निदेशक मंडल की बैठकें आम तौर पर नई दिल्ली में दूसरी मंजिल, बोर्ड रूम, एयर इंडिया रिजर्वेशन बिल्डिंग या किसी अन्य स्थान पर निदेशक की सुविधानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से या शारीरिक उपस्थिति के साथ आयोजित की जाती थीं। बैठकों की अनुसूची काफी पहले से निर्धारित होती हैं। अत्यावश्यकता या आकस्मिकता के मामले में, प्रस्तावों को परिसंचरण द्वारा पारित किया जाता है। कंपनी के परिचालन प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बोर्ड

तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करता है। बैठकों का एजेंडा संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है और सीईओ और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। बोर्ड से संबंधित कागज़ निदेशकों को पहले ही वितरित कर दिए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों को सभी जानकारी पहुंचाई जाती है और वे चर्चा के एजेंडे में किसी भी मामले को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने और आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट समय-समय पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। कंपनी के मामलों पर बेहतर और अधिक ध्यान देने करने के लिए, बोर्ड कुछ मामलों को खास प्रयोजन हेतु गठित बोर्ड की समितियों को सौंपता है।

5. आचार संहिता

सीपीएसई के लिए निगम से संबंधित शासन प्रणाली पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में, बोर्ड ने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता लागू की है। कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा संहिता के अनुपालन की पुष्टि करने की एक प्रणाली है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुपालन की घोषणा रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

6. बोर्ड समितियाँ

लेखा परीक्षा समिति

31 मार्च 2023 तक, लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

श्रीमती रूबीना अली, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय	अध्यक्ष
श्री प्रांजोल चंद्रा, निदेशक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय	सदस्य
श्री ब्रजेश कुमार, उप निदेशक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय	सदस्य
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	आमंत्रित

लेखा परीक्षा समिति की बैठक के लिए निर्दिष्ट संख्या, कुल संख्या का 1/3 या 2 जो भी अधिक हो, होगी। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

इस समिति के संदर्भ हेतु शर्तें इस प्रकार हैं:

- कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की अनुशंसा करना;
- लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;
- आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करना और आंतरिक एवं बाह्य लेखापरीक्षकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना और साथ ही यह निर्धारित करना कि आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है या नहीं;

- लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले लेखापरीक्षक के साथ लेखा परीक्षा की प्रकृति और कार्य-क्षेत्र पर चर्चा करना;
- वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना;
- वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, और उस पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करना और वैधानिक लेखा परीक्षकों की सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना;
- संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेनदेन की मंजूरी या बाद में कोई संशोधन करना;
- अंतर-नैगमिक ऋणों और निवेशों की संवीक्षा करना;
- कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो;
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना;
- सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाए गए धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।
- बोर्ड द्वारा वांछित किसी अन्य मामले पर विचार करना।

लेखा परीक्षा समिति की बैठकें

बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों सहित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षा समिति की वर्ष के दौरान तीन बार बैठक हुई, जिसका विवरण निम्नवार है:

41वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक	29 जुलाई 2022
42वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक	13 सितंबर 2022
43वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक	30 नवंबर 2022

पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक आम बैठकें

इन बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

बैठकों की संख्या	**बैठकों की तिथि व समय**	
51वीं वार्षिक आम बैठक	30 दिसंबर 2022 1230 बजे	होटल सेन्टॉर परिसर, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110037
51वीं स्थगित वार्षिक आम बैठक	15 फरवरी 2023 1000 बजे	होटल सेन्टॉर परिसर, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110037
50वीं वार्षिक आम बैठक	30 सितंबर 2021 1130 बजे	पहली मंजिल, ट्रांसपोर्ट एनेक्सी बिल्डिंग, एयरइंडिया कॉम्प्लेक्स, पुराना हवाई अड्डा, सांता क्रूज़ (ई), मुंबई-400 029
असाधारण आम बैठक	13 जनवरी 2022 1500 बजे	होटल सेन्टॉर परिसर, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110037

बैठकों की संख्या	बैठकों की तिथि व समय	
49वीं वार्षिक आम बैठक	31 दिसंबर 2020 1230 बजे	पहली मंजिल, ट्रांसपोर्ट एनेक्सी बिल्डिंग, एयरइंडिया कॉम्प्लेक्स, पुराना हवाई अड्डा, सांता क्रूज़ (ई), मुंबई-400 029
असाधारण आम बैठक	28 अक्टूबर 2020 1130 बजे	
असाधारण आम बैठक	10 जून 2020 1500 बजे	

7. प्रकटीकरण और वैधानिक अनुपालन

निदेशक के हित, संबंधित पार्टी लेनदेन, वैधानिक रजिस्टरों के रखरखाव से संबंधित पर्याप्त प्रकटीकरण किए गए हैं और सूचित निर्णय लेने के लिए निदेशक मंडल के समक्ष समय-समय पर रखे गए हैं, साथ ही बोर्ड द्वारा व्यवसाय को संभालने के लिए विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल और नामित अधिकारियों के प्राधिकरण की स्पष्ट नीति का पालन किया है। प्रकटीकरण, सूचित करने, आवंटन और नियुक्तियों के संदर्भ में एमसीए फाइलिंग समयबद्ध तरीके से की गई है और कोई भी मामला लंबित नहीं है।

8. सीईओ/सीएफओ घोषणा:

वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता, उचित अनुपालन और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित किया गया है, जिसे बोर्ड और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा गया था और जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

अधोहस्ताक्षरी/-
असंगबा चुबा एओ
अध्यक्ष
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

दिनांक: 05.04.2024
स्थान: नई दिल्ली

<u>आचार संहिता</u>

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा लागू आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

अधोहस्ताक्षरी/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

दिनांक: 05.04.2024
स्थान: नई दिल्ली

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा घोषणा

सेवा में,
निदेशक मंडल,
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

हम, दीपक खुल्लर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और के. गोपालकृष्ण, मुख्य वित्तीय अधिकारी, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसके बाद से "कंपनी"), एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि:

1. हमने वर्ष के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और यह हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार है:
   क) इन विवरणों में वस्तुतः कोई भी असत्य कथन नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या न ही इसमें ऐसे बयान शामिल हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;
   ख) ये विवरण कंपनी के कार्यों की स्थिति, साथ ही परिचालन और नकदी प्रवाह के परिणामों का सत्य व निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। वित्तीय विवरण, लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों सहित मौजूदा आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ, सभी भौतिक मामलों में अनुरूपता में तैयार किए गए हैं।
2. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन हो।
3. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का समग्र उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं। इसकी निगरानी आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य द्वारा की जाती है, जिसमें पर्याप्तता और प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन शामिल है। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रबंधन के सभी स्तरों और वैधानिक लेखापरीक्षकों के समन्वय में कार्य करता है, और निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को महत्वपूर्ण मुद्दों की रिपोर्ट करता है।

   महत्वपूर्ण कमियों और कमजोरियों के संबंध में की गई किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई से लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को अवगत कराया जाता है।
4. हम लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को सूचित करते हैं:
   क) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन;
   ख) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन;
5. हम आगे घोषणा करते हैं कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए

अधोहस्ताक्षरी/-
दीपक खुल्लर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पैन: AAAPK1185C

अधोहस्ताक्षरी/-
के. गोपालकृष्ण
मुख्य वित्तीय अधिकारी
पैन: AEIPK8939C

दिनांक: 20.12.2023
स्थान: नई दिल्ली

वर्ष 2022-23 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक बी

फॉर्म नंबर एओसी-2 (अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ निश्चित आर्म्स लेंग्थ लेनदेन भी शामिल हैं।

1. उन अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विवरण जो आर्म्स लेंग्थ के आधार पर नहीं हैं:

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन दर्ज नहीं किया गया था, जो आर्म्स लेंग्थ के आधार पर नहीं था।

2. आर्म्स लेंग्थ के आधार पर किये गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अधिनियम की धारा 188(1) के तहत संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्थाएं/लेन-देन व्यवसाय के सामान्य क्रम (आर्डिनरी कोर्स ऑफ़ बिज़नस) में आर्म्स लेंग्थ के आधार पर थे, जिन्हें 30 नवंबर 2022 को हुई कंपनी की 261वें बोर्ड बैठक में विधिवत अनुमोदित किया गया था। आर्म्स लेग्थ के आधार पर अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण इस प्रकार है:

संबंधित पार्टी का नाम और होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	लेन-देन की अवधि	लेन-देन की मुख्य शर्तें	राशि रु. (मिलियन में)
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) होल्डिंग	वित्त लागत - ऋण पर ब्याज होटल आवास और खानपान सेवाओं से अर्जित राजस्व	1 अप्रैल 2022 -31मार्च 2023	वर्ष के दौरान दर्ज किए गए संबंधित पार्टी लेनदेन (आरपीटी) व्यवसाय के सामान्य क्रम में और आर्म्स लेंग्थ के आधार पर थे	452.66 0.02
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) साथी सहायक कंपनी (एआईएएचएल की सहायक कंपनी)	होटल आवास और खानपान सेवाओं से अर्जित राजस्व	1 अप्रैल 2022 -31 मार्च 2023		18.49
एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) साथी सहायक कंपनी (एआईएएचएल की सहायक कंपनी)	होटल आवास और खानपान सेवाओं से अर्जित राजस्व	1 अप्रैल 2022 -31 मार्च 2023		13.82
एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएल) साथी सहायक कंपनी (एआईएएचएल की सहायक कंपनी)	होटल आवास और खानपान सेवाओं से अर्जित राजस्व	1 अप्रैल 2022 -31 मार्च 2023		1.98

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

अधोहस्ताक्षरी/-
असंगबा चुबा एओ
अध्यक्ष

दिनांक: 05.04.2024
स्थान: नई दिल्ली

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्य,
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
होटल सेन्टॉर परिसर
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
नई दिल्ली-110037

हमने सचिवीय लेखा परीक्षा की है कि "होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" (इसके बाद से "कंपनी") द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों का और अच्छी नैगमिक प्रथाओं का पालन किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार की गई है जिससे हमें नैगमिक आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और फाइल की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन और साथ ही सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एततद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की ऑडिट अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की सीमा, तरीके और विषय के अनुसार उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं।

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखरखाव की गई पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और दाखिल की गई रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है, :

i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

ii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

iii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा तक उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम।

कंपनी के प्रबंधन ने प्रबंधन अभ्यावेदन पत्र दिनांक 30.01.2024 के माध्यम से पुष्टि की है कि कंपनी निम्नलिखित कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन करती है, जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं:

क) खाद्य अपमिश्राण निवारण अधिनियम, 1954;

ख) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006;

ग) होटल बीमा पॉलिसी;

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि:

1. कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित धारा-149(4) के अनुसार, कंपनी ने कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।
2. कंपनी अधिनियम की धारा-177(2) के अनुसार, कंपनी ने लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अपेक्षित शर्त का अनुपालन नहीं किया है।
3. कंपनी अधिनियम की धारा-178(1) के अनुसार, कंपनी ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।
4. कंपनी अधिनियम की धारा-178(1) के अनुसार, कंपनी ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अपेक्षित शर्त का अनुपालन नहीं किया है।
5. यह कि कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सामान्यतः जारी सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।
6. कंपनी ने 10.02.2023 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में 06.12.2022 से अपना कंपनी सचिव नियुक्त किया है।
7. कंपनी ने 26.12.2022 को पारित परिपत्र संकल्प के माध्यम से 14.12.2022 से अपने नामांकित निदेशक श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया है।
8. कंपनी ने 17.03.2023 को पारित परिपत्र संकल्प के माध्यम से 01.03.2023 से अपने नामांकित निदेशक सत्येन्द्र कुमार मिश्रा को नियुक्त किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन विधिवत रूप से केवल गैर-कार्यकारी निदेशक के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए, सिवाय इसके कि कंपनी ने कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किए हैं।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की बैठकों सहित बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए, जैसा भी मामला हो, सभी निदेशकों/सदस्यों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है, एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट्स निर्धारित बैठक से ठीक पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले एजेंडा विषयों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने साथ ही बैठक में सार्थक रूप से भागीदारी के लिए प्रणाली भी मौजूद है।

सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड के सदस्यों ने किसी भी एजेंडा विषय पर असहमति व्यक्त नहीं की है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली व प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियम विनियमों, दिशानिर्देशों के अनुसरण में ऐसा कोई विशिष्ट घटना/कार्य नहीं किया है जिससे कंपनी के मामलों पर बड़ा प्रभाव पड़ा हो।

ए. कौशल एवं एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

अधोहस्ताक्षरी/-
सीएस अमित कौशल
एफसीएस- 6230, सीपी नंबर- 6663
UDIN: F006230E003553721

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 07.03.2024

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अनुलग्नक-। के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक – I

सेवा में,
सदस्य,
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
होटल सेन्टॉर परिसर
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
नई दिल्ली-110037

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है:

1. सचिवीय रिकॉर्ड का प्रबंधन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हमारा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित थी।

5. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

ए. कौशल एवं एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

अधोहस्ताक्षरी/-
सीएस अमित कौशल
एफसीएस- 6230, सीपी नंबर- 6663
UDIN: F006230E003553721

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 07.03.2024

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय होटल निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसरण में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय होटल निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। 28 दिसंबर 2023 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा उनके द्वारा की गई है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय होटल निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यात्मक पेपर के बिना ही स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण मेरे संज्ञान में नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक की आवश्यकता हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए व उनकी ओर से

संदीप रॉय
महानिदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, मुंबई

स्थान: मुंबई.
दिनांक:- 27 फरवरी 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

1. अहर्क राय

हमने होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के स्टैंडअलोन तुलन पत्र, (व्यापक आय सहित) लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण, तब समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण, नकदी प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण, और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य स्पष्टीकरण सूचनाएं (इसके पश्चात् स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित) सम्मिलित हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के अहर्क राय अनुभाग में वर्णित मामलों के अतिरिक्त, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकरण सिद्धांतों के अनुरूप हैं और 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों, और अन्य व्यापक आय सहित इसकी हानि, इक्विटी में परिवर्तन और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह की कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा अपेक्षित जानकारी और वास्तविक और निष्पक्ष मत प्रदान करते हैं।

अहर्क राय का आधार

हम नीचे वर्णित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनमें पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थता के कारण वित्तीय विवरणों पर मिथ्या कथनों के प्रभाव और अज्ञात मिथ्या कथनों के संभावित प्रभाव शामिल हैं, जो कि भौतिक हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से व्यापक नहीं हैं।

1. जम्मू-कश्मीर सरकार और सेन्टॉर लेक व्यू होटल (सीएलवीएच) के बीच मतभेद

- सेन्टॉर लेक व्यू होटल (सीएलवीएच) विवाद में होटल संपत्ति के संबंध में स्वामित्व, प्रबंधन और देनदारियों से संबंधित मुद्दों पर विवाद में भारतीय होटल निगम (भाहोनि) और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (यूटी) शामिल हैं।
- भाहोनि और बीडीएंडपी होटल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के बीच एक प्रबंधन समझौते की समाप्ति से टकराव उत्पन्न हुआ, जिससे इसमें शामिल पक्षों के बीच कानूनी कार्यवाही और विवाद शुरू हो गए। भाहोनि द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, जम्मू-कश्मीर के माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायिक स्तरों पर विभिन्न नोटिस, अपील और याचिकाएं दायर की गईं।
- सरकारी हस्तक्षेप, विशेषकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया। जिसके परिणामस्वरूप विवाद को समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (ए.एम.आर.डी.) को संदर्भित किया गया।
- 17 जुलाई, 2023 की ए.एम.आर.डी. समाधान योजना के परिणामस्वरूप सीएलवीएच का स्वामित्व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को हस्तांतरित के दिया गया।

- o केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ने सीएलवीएच में काम कर रहे भाहोनि लि० के 145 कर्मचारियों को अपने अधीन ले लिया।
- o केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ने निम्नलिखित दायित्व लेने पर सहमती व्यक्त की:

क्र. सं.	विवरण	राशि करोड़ में
1.	31.03.2022 तक नेट ब्लॉक पर सीएलवीएच का मूल्यांकन	6.07
2.	01.03.2023 के बाद से जम्मू-कश्मीर सरकार के लिए कर्मचारी दायित्व	**17.58***
3.	श्रमिकों का वेतन भुगतान (मार्च-जून 2023)	3.08
	जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा कुल देय (सहमत देनदारियाँ)	**26.73**

* ***कंपनी ने वर्तमान वित्तीय अवधि के लिए कर्मचारी देयता को लेखाबद्ध नहीं किया है जो निकट भविष्य में देय है।***

- ➢ सीआरपीएफ/बीएसएफ के लिए दरों में पुनरीक्षण - ₹19.69 करोड़ आगे की तर्कसंगतता /विवरण प्रस्तुत करने पर, के संबंध में जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश भाहोनि के दावों की जांच करेगा।
- ➢ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को व्ययों की साझा लागत के लिए भाहोनि के 31.03.2022 तक- ₹ 12.61 करोड़ के दावे की जांच के लिए और अधिक तर्कसंगतता/विवरण/दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता है। भाहोनि के ऐसे प्रावधान पर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर 45 दिनों के भीतर दावों की जांच करेगा और उनका निपटान करेगा।

(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की नोट संख्या 32 देखें)

इस तथ्य पर संज्ञान लें कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सीएलवीएच के आंकड़े, जैसा कि वित्तीय विवरण में बताया गया है प्रबंधन द्वारा बिना किसी सहायक दस्तावेज़/विवरण के लेखा बहियों से उपलब्ध कराए गए हैं और इसलिए प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के आंकड़ों की केवल समीक्षा की गई है और यह लेखा परीक्षा के अधीन है।

वित्तीय विवरण में 31 मार्च, 2023 तक सीएलवीएच की कुल संपत्ति 580.07 मिलियन रुपये और वर्ष के अंत के लिए 35.68 मिलियन रुपये का कुल राजस्व शामिल है।

इस इकाई की वित्तीय जानकारी प्रबंधन द्वारा तैयार की गई थी इसलिए हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में इसके प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं।

इस तथ्य पर संज्ञान लें कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सीएलवीएच के आंकड़े, जैसा कि वित्तीय विवरण में बताया गया है, में ग्रेच्युटी व्यय का मूल्य और ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान शामिल हैं, लेकिन इसमें अवकाश नकदीकरण व्यय और बीमार अवकाश देयता और विशेषाधिकार अवकाश दायित्व के प्रावधान शामिल नहीं हैं।

2. मालसूची:

मालसूची अभिलेख व लेखांकन अभिलेख एकीकृत नहीं हैं। इसके अलावा, मालसूची पर आंतरिक नियंत्रण की कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी जिस पर हम लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु भरोसा कर सकें। ऐसी कोई संतोषजनक लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं मौजूद नहीं हैं जिनका प्रयोग करके हम इस मालसूचियों के अस्तित्व, मात्रा और स्थितियों के बारे में खुद को संतुष्ट करने और उनके मूल्य का आकलन करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर सकें।

उपरोक्त के संबंध में आवश्यक पाए गए किसी भी समायोजन का 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

इसके अलावा, मालसूची के समापन मूल्य पर पहुंचने के लिए किसी उचित मानक तंत्र को अपनाने की बजाय, नियमित उपभुक्त मालसूची का मूल्यांकन वर्ष के अंत में समापन इन्वेंट्री की 50% लागत के रूप में प्राप्त किया जाता है।

"मालसूची" की श्रेणी में सीएलवीएच का अप्रयुक्त स्टॉक शामिल है, जिसका मूल्य वर्तमान में लागत पर है, जो कि इंड एएस -2 "मालसूची" के निर्दिष्ट दिशानिर्देशों से विचलन दर्शाता है। मानक के अनुसार, ऐसी मालसूची का मूल्य उसके शुद्ध वसूली योग्य मूल्य या लागत से कम होना चाहिए। अपेक्षित है कि सीएलवीएच पर स्टॉक मूल्य इसकी दर्ज लागत से कम हो सकता है। लेखांकन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन विधियों में इस विसंगति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अप्रयुक्त मालसूची के लिए मूल्यांकन दृष्टिकोण की समीक्षा और समायोजन करना इंड एएस-2 के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं में सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है।

(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट संख्या 06 और 48 देखें)

3. एमएसएमईडी अधिनियम का अनुपालन

कंपनी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत एमएसएमई विक्रेताओं को वर्गीकृत किया है। खरीद का अनुपालन; एमएसएमई इकाइयों को बकाया पर ब्याज, यदि कोई हो, के प्रावधान को सत्यापित नहीं किया जा सका। इसलिए हम एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी संस्थाओं को भुगतान करने में देरी और ब्याज की देनदारी और ऐसे विलंबित भुगतान पर अनुपालन का निर्धारण करने में असमर्थ हैं।

(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट संख्या 18 और 45 देखें)।

4. लेखांकन अभिलेखों में विसंगतियाँ:

कुछ ऐसे क्षेत्र भी हमारे सामने आए जिनमें लेखांकन रिकॉर्ड को स्पष्ट या पूरा करने के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। ये अवलोकन लेनदेन की रिकॉर्डिंग, गलत लेखांकन प्रविष्टियों, गलत आवंटित लेनदेन आदि से संबंधित हैं जहां कुछ विसंगति, अपूर्णता या अस्पष्टता प्रतीत होती है। एक सहज समीक्षा द्वारा व्यापक और सटीक वित्तीय दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित करके इन क्षेत्रों को परिष्कृत किया जा सकता है। अभिलेखों की सटीकता बढ़ाने के लिए इन बारीक अंतरों को हल करने पर त्वरित विचार अति सराहनीय होगा।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकरण मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत, आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारी अनुभाग में हमारी जिम्मेदारियों को वर्णित किया गया है। अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत हम स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गए लेखा परीक्षा प्रमाण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी अहर्क राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

इस मामले के संबंध में हमारी राय परिवर्तनीय नहीं है।

महत्वपूर्ण मामले

हम निम्नलिखित तथ्यों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:-

1. **प्राप्य राशियां:**

कंपनी ने शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र/ई-मेल भेजे हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं प्रबंधन को प्राप्त हुई हैं किन्तु मिलान के अधीन हैं। यद्यपि, पुष्टिकरण प्राप्त करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को अधिक सुदृढ बनाना अपेक्षित है। ऐसी पुष्टियों, मिलानों और/या आकलन के लंबित रहने तक, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव सुनिश्चित योग्य व मात्रात्मक नहीं है। हम वसूली योग्य राशि और उसकी आवधिकता के लिए लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं। ***(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट संख्या 7 और 37 देखें)***

- हमारे संज्ञान में आया है कि सीएलवीएच से संबंधित संभावित अतिरिक्त राशियाँ प्राप्य हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा दावों की उचित जांच और सत्यापन पर, ये राशियाँ वर्तमान प्राप्य राशियों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। ये संभावित प्राप्य राशियाँ सीआरपीएफ/बीएसएफ के लिए दरों के पुनरीक्षण से उत्पन्न हुई हैं और हमारा मानना है कि सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और सत्यापन के साथ, ये राशि समग्र प्राप्य शेष, राजस्व के साथ-साथ कर प्रभाव, यदि कोई हो, में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है। हम इन संभावित प्राप्तियों और इसके लेखांकन उपायों की सटीकता और प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत परीक्षा और सत्यापन प्रक्रिया का प्रस्ताव करते हैं, जिससे अंततः वित्तीय स्थिति बेहतर होगी।
- नियमित ग्राहकों के पास क्रेडिट पॉलिसी से परे डेबिट शेष है, जिसके लिए पर्याप्त वसूली कदम उठाने के लिए कोई जांच-चार्ट तैयार नहीं किया गया है। 3 वर्ष का बकाया पूरा होने पर, इस राशि को संदिग्ध ऋण मान लिया जाता है। यद्यपि, पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना अपेक्षित है। यहां तक कि, इसे तब तक विवादित नहीं दिखाया जाता जब तक कि कानूनी कार्यवाही नहीं होती। पुनर्प्राप्ति, आवधिकता या विवादित या अन्यथा के संबंध में कोई लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के अभाव में, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या यह विवादित/वसूली योग्य है या नहीं।
- कंपनी ने कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार किए गए प्रावधानों के अतिरिक्त कुछ पक्षों के संबंध में कानूनी नोटिस/ मुकद्दमों के चलते खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया है।

2. **देय राशियां:**

- व्यापार देय की ओर देय राशि; प्राप्त जमा(एसडी/ईएमडी); सरकारी विभाग और अन्य पक्षों के संबंध में कंपनी पुष्टिकरण प्राप्त करने और मिलान करने और/या सही शेष राशि का आकलन करने की उचित प्रणाली का पालन नहीं करती है। तदनुसार, विभिन्न पक्षों को देय राशि पुष्टि, समाधान और/या मूल्यांकन के अधीन है। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट संख्या 18 और 37 देखें)
- ऐसी पुष्टियों, मिलानों और/या आकलनों के लंबित रहने तक, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव सुनिश्चित योग्य व मात्रात्मक नहीं है। पार्टीवार, आयुवार और कंपनी की नीति में निर्दिष्ट अवधि से परे इसे धारित करने के कारणों के संबंध में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के अभाव में, हम देय राशि और उसकी आवधिकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- व्यापार देय को दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी, एमएसएमई और अन्य और आगे विवादित या अन्यथा के रूप में उप-विभाजित किया गया है। विवादित व्यापार देय केवल उन मामलों में लिया जाता है जहां मामला मुकदमेबाजी में है। कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी की अवधि से परे एमएसएमई/अन्य के विरुद्ध विलंबित बकाया के मामले को प्रबंधन द्वारा निर्विवादित माना जाता है। विवादित की पहचान करने हेतु मूल्यांकन उपलब्ध नहीं

है। विवादित या अन्यथा मूल्यांकन के संबंध में किसी लेखा परीक्षा साक्ष्य के अभाव में, हम उस पर टिप्पणी करने और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

3. असंबंधित रसीदें

- कंपनी द्वारा बिलिंग के विरुद्ध देनदारों से ली गई असंबंधित रसीदें, जिसका मिलान प्राप्य के डेबिट की राशि से नहीं हो सका, कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में "ग्राहकों से अग्रिम/अन्य अग्रिम" देयताओं के रूप में खड़ी हैं। उस सीमा तक, व्यापार प्राप्य और वर्तमान देयताएं अतिरंजित हैं।

4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की हानि/कमी

- विभिन्न इकाइयों में संपत्ति संयंत्र उपकरण (स्थिर संपत्ति) के अभिलेख उपयुक्त ढंग से अनुरक्षित व अद्यतन नहीं किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा पीपीई का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है (प्रबंधन का कहना है कि अंतिम निरीक्षण वित्त वर्ष 2019-20 में किया गया था)।
- इसके अतिरिक्त, जहाँ भी भौतिक सत्यापन के लिए तैयार किए गए हैं वितीय विवरणों का कोई आधार नहीं है और जहां भी, अनुरक्षित किये गए हैं, न लेखा बहियों या न ही अचल संपत्तियों के अभिलेखों के साथ सत्यापन का मिलान नहीं हो रहा है। इसलिए परिसंपत्तियों की हानि/कमी/स्क्रैप का प्रभाव अनिश्चित रहता है। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट संख्या 2ए और 46 देखें)

5. एएआई/एमआईएएल/डीएआईएल को देय पट्टा किराया/टर्नओवर करारोपण

- भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई)/ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल)/ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) को देय पट्टा किराया और टर्नओवर करारोपण कंपनी की लेखा बहियों में दिया गया है और वित्तीय विवरण में विधिवत परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त कंपनी और एएआई/ डीआईएएल/एमआईएएल के बीच विवाद को देखते हुए, देय बकाया पर ब्याज प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन आकस्मिक देयता शीर्ष के तहत प्रकट किया गया है और यह भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट संख्या 15, 17 और 31(ix) देखें)।

6. अंतर दायित्व (डिफरेंशियल लायबिलिटी) के वेतन पुनरीक्षण का प्रावधान

- पिछला वेतन समझौता 31 दिसंबर, 2006 को समाप्त हो गया था और यूनियन ने डिमांड ऑफ़ चार्टर प्रस्तुत किया है। कंपनी ने प्रबंधन की वेतन समझौता समिति और भाहोनि यूनियनों की समन्वय समिति के बीच वार्ता की और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद, 18.08.2008 से प्रभावी 10 वर्षों की अवधि के लिए यूनियनकृत श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण लागू करने के लिए यूनियनों और कंपनी के बीच दिनांक 08.08.2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। वेतन पुनरीक्षण वित्तीय वर्ष 2019-20 में लागू किया गया था। 31.03.2023 तक कंपनी के यूनियनकृत श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन के बकाया का कुल अनुमानित प्रावधान ₹146.36 मिलियन है। प्रबंधन ने 1 जनवरी, 2017 से अधिकारियों के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह ₹5,000/- की अंतरिम राहत की घोषणा की थी, जिसका भुगतान जारी है और 31.03.2023 तक लाभ और हानि खाते के विवरण के माध्यम से ₹67.69 मिलियन की राशि खर्च की गई है। जैसे ही वेतन पुनरीक्षण को मंजूरी मिल जाती है, तो इस राशि को देय बकाया, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, जिसके लिए कर्मचारीवार विवरण लेखा बहियों में अलग से अनुरक्षित किया गया है। इसके अलावा, 08.08.2008 से प्रभावी कर्मचारियों को देय बकाया की गणना जारी है। प्रबंधन की राय है कि यदि प्रदान किया

गया वेतन अपर्याप्त है तो अंतर दायित्व का प्रावधान उस वर्ष किया जाएगा जब इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। (नोट संख्या 12, 19, 20, 31 और 34 देखें)

7. कानूनी व्यय/ब्याज आदि आकस्मिक देयताओं पर

- कंपनी के विरुद्ध आकस्मिक देनदारियों/दावों के रूप में दर्शाई गई राशि आधार मूल्य को दर्शाती है। कानूनी व्यय, ब्याज और अन्य लागतों को अनिश्चित नहीं माना गया है क्योंकि जब भी व्यय होता है उसे दर्ज किया जाएगा।

8. कंपनी अधिनियम के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करना

- कंपनी ने कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, और इसलिए, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।
- चूंकि कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, इसलिए कंपनी ने बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) और धारा 178 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।
- उपरोक्त गैर-अनुपालन के बारे में हमें वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 16 जनवरी, 2023 की हमारी पिछली ऑडिट रिपोर्ट में भी बताया गया था।

9. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

- आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करना ताकि सभी क्षेत्रों की पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित की जा सके और कंपनी की सभी इकाइयों पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
- लेखा बहियों का उचित अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सभी लेनदेन के परिचालन नियंत्रण और वास्तविक समय लेखांकन के संबंध में मानक परिचालन प्रक्रियाएं निर्धारित करना। (नोट क्रमांक 47 एवं 48 देखें)
- उपरोक्त गैर-अनुपालन के बारे में हमें वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 16 जनवरी, 2023 की हमारी पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी बताया गया था।

10. वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य

- वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य प्रबंधन द्वारा उपलब्ध या प्रदान की गई सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर निकाला गया है। हमने अन्य आवश्यक जानकारी के अभाव में उचित मूल्यांकन के लिए प्रबंधन जानकारी पर भरोसा किया है।

11. चालू संस्थान (गोइंग कंसर्न)

- कंपनी को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹685.62 मिलियन का शुद्ध घाटा हुआ है और, उस तिथि तक, कंपनी की वर्तमान देनदारियां इसकी कुल संपत्ति से ₹607.32 मिलियन अधिक है और इसे ₹8200.23 मिलियन का संचित घाटा हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की निवल संपत्ति पूरी तरह से क्षय हो गई।

यद्यपि, प्रबंधन द्वारा किए गए मूल्यांकन और उपरोक्त नोट में उल्लिखित अन्य कारकों के आधार पर, ये वित्तीय विवरण चालू संस्थान (गोइंग कंसर्न) के आधार पर तैयार किए गए हैं और रिपोर्टिंग तिथि तक कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्य में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

(नोट क्रमांक 52 देखें)

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय परिवर्तित नहीं है।

5. प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे वृत्तिक निर्णयों में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते हैं। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा तथा इन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और इन मामलों पर हमारी कोई अलग राय नहीं है। हमने नीचे वर्णित मामलों को प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है जो हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाएँगे:

क्र. सं.	**प्रमुख लेखा परीक्षा मामला**	**हमारे लेखापरीक्षक ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया है**
1	चालू संस्थान (गोइंग कंसर्न) कंपनी घाटे में है, निवल संपत्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, अतः चालू संस्थान (गोइंग कंसर्न) की जांच किया जाना अपेक्षित है।	प्रबंधन के अनुमान और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन का मत है कि यद्यपि कंपनी घाटे में है, किन्तु भारत सरकार के निरंतर सहयोग से सुनिश्चित होगा कि कंपनी चालू संस्थान के रूप में अपना व्यवसाय जारी रखे। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एयर इंडिया के साथ मास्टर सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं जो 31.12.2024 तक वैध है और 01.05.2025 तक कैटरिंग एग्रीमेंट के साथ एक नया ग्राहक यानी स्पाइसजेट लिमिटेड कंपनी के साथ जुड़ा है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि निकट भविष्य में कंपनी चालू संस्थान के रूप में अपने व्यवसाय का संचालन कर सकेगी। (नोट क्रमांक 52(iii) देखें)। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कंपनी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, वॉक-इन कस्टमर्स, इवेंट बुकिंग, कॉरपोरेट्स का भी सहारा ले रही है। कंपनी परिचालन संबंधी आवश्यक मामलों के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय शुरू करने, वर्तमान संपत्तियों के अद्यतन हेतु आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने की भी योजना बना रही है। अधिभोग स्तर में बढ़ोत्तरी के लिए सेन्टॉर होटल दिल्ली में मौजूदा 30 अतिथि कमरों के नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। कंपनी पर वित्तीय संस्थानों से प्राप्त कोई ऋण नहीं है और न ही किन्हीं लेनदारों की ओर से कंपनी के खिलाफ कोई दिवालियापन दर्ज किया गया है। उपरोक्त तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर, हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रिया की है और तदनुसार राय व्यक्त की है।

	आकस्मिक देयताएं: विभिन्न मंचों पर कंपनी के खिलाफ कई मुकदमे लंबित हैं और राशि को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटीकरण हेतु अनुमान के लिए प्रबंधन का निर्णय अपेक्षित है। हमने इसे प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना है क्योंकि जो अनुमान इन राशियों को आधार प्रदान करते हैं, उनमें मामलों की व्याख्या में महवपूर्ण श्रेणी का प्रबंधन निर्णय शामिल है और यह प्रबंधन पूर्वाग्रह के अधीन हो सकता है। *स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की नोट संख्या 31 देखें।*	हमने आकस्मिक देयताओं के आकलन और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं को समझा और निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया: - लंबित मुकदमेबाजी के मामलों के लिए प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों के स्वरुप और परिचालन प्रभावशीलता को समझा और जांचा; - कानूनी मामलों की नवीनतम स्थिति और उनके संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रबंधन के साथ चर्चा की - प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किये गए मुकदमेबाजी के मामलों से संबंधित विभिन्न पत्राचार और संबंधित दस्तावेजों और प्रबंधन द्वारा ली गई प्रासंगिक बाह्य कानूनी परामर्श को पढ़ा और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण में सहयोगी गणनाओं पर ठोस प्रक्रियाओं का निष्पादन किया; - प्रावधानों की आवश्यकता के संबंध में प्रबंधन के निर्णयों और आकलन की जांच की; - उन मामलों के प्रबंधन आकलन पर विचार किया जिनका प्रकटीकरण नहीं किया गया क्योंकि महत्वपूर्ण बहिर्वाह की संभावना पहुँच से परे मानी जाती है - प्रकटीकरण की पर्याप्तता और पूर्णता की समीक्षा की निष्पादित की गई उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, आकस्मिक देयताओं का अनुमान और प्रकटीकरण पर्याप्त और उचित माना गया है
	अनिश्चित कराधान मामले कंपनी में महत्वपूर्ण कर मामले विवाद के अधीन हैं जिनमें इन विवादों के संभावित परिणाम के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं।	हमने कर प्रावधान और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित अवधारणाओं का आकलन किया। हमने इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कंपनी के स्वयं के मामले सहित कानूनी प्राथमिकता और अन्य फैसलों पर भी विचार किया।
	अन्य मामला - माल एवं सेवा कर	कुछ इकाइयों में, कंपनी को अपने ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त हुआ है, जिस पर माल और सेवा कर अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी जमा नहीं किया गया है, जिसकी राशि उचित रिकॉर्ड के अभाव में निश्चित योग्य और मात्रात्मक नहीं है। इसके अलावा कंपनी ने लेनदारों/विक्रेताओं के बिलों पर जीएसटी इनपुट (आईटीसी) लिया है, लेकिन जीएसटी के तहत निर्धारित समयसीमा के भीतर भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में इसे वापस नहीं किया गया है। उचित रिकॉर्ड के अभाव में इसकी राशि निश्चित योग्य और मात्रात्मक नहीं है। उपरोक्त दोनों मामलों में, जीएसटी देयता नहीं दी गई है जिसका प्रभाव स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के परिणामों पर पड़ेगा, लेकिन उचित रिकॉर्ड के अभाव में इसकी राशि निश्चित/निर्धारित नहीं की जा सकती है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय परिवर्तित नहीं है

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी को तैयार करने के लिए कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट में व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी सहित बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल हैं, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी सम्मिलित नहीं होती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ, यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करने में, विचार करें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचना महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा के लिए प्राप्त हमारी जानकारी के अनुसार या अन्यथा तथ्यात्मक रूप से मिथ्याकथन की गई है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में मिथ्या कथन है; हमारे द्वारा उस तथ्य को दर्ज करना अपेक्षित है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारी

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, जो कि कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133, यथासंशोधित, के अधीन विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों सहित, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल जिम्मेदार है।इस ज़िम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और कपटों और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए उपयुक्त लेखाकरण नीतियों के चयन और लागू करने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने के लिए और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखाकरण रिकॉर्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रहे थे, के कार्यान्वयन और अनुरक्षण के लिए, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, जो वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और महत्वपूर्ण मिथ्याकथन चाहे वह कपटपूर्ण हो या गलती से मुक्त है, को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबद्ध अधिनियन के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकॉडी का अनुरक्षण करना भी शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, एक चालू संस्थान (गोइंग कंसर्न) के रूप में कंपनी की क्षमता को निर्धारित करना, चालू संस्थान (गोइंग कंसर्न) से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने, जैसा लागू हो, और लेखांकन के लिए चालू संस्थान (गोइंग कंसर्न) आधार का उपयोग करने की ज़िम्कामेदारी तब तक प्रबंधन की है, जब तक कि प्रबंधन का या तो कंपनी को परिसमाप्त करने का अथवा प्रचालन बंद करने का इरादा न हो या इसके अलावा कोई और वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी ज़िम्मेदार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में तथ्यात्मक त्रुटी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त हैं और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें

हमारी राय शामिल हो।

यथोचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है, किन्तु यह इस बात की गारंटी नहीं देता कि एसएएस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा ही एक मौजूद महत्वपूर्ण मिथ्यापूर्ण कथन का पता लगा पाएगी। मिथ्याकथन का कारण धोखाधड़ी या त्रुटि हो सकता है और उन्हें उस स्थिति में महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इनसे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए वित्तीय निर्णयों पर यथोचित रूप से प्रभाव पड़ना अपेक्षित है।

एसएएस के अनुसार लेखा परीक्षा के हिस्से के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेह कायम रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के महत्त्वपूर्ण मिथ्याकथनों, चाहे वे कपटपूर्ण या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। त्रुटि के कारण उत्पन्न मिथ्याकथनों की तुलना में कपट के परिणामस्वरूप उत्पन्न महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों का पता न लगा पाने का जोखिम अधिक है, क्योंकि कपटपूर्ण त्रुटी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुतिकरण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- लेखा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना, जो परिस्थितियों के अनुरूप हों। अधिनियम 2013 की धारा 143 (3) (i) के अधीन हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली,तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन प्रभावशीलता मौजूद है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन तथा निदेशक मंडल द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन तथा निदेशक मंडल द्वारा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न आधार का उपयोग किये जाने की उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करना कि क्या घटनाओं अथवा परिस्थितियों से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जिसके कारण एक गोइंग कंसर्न के रूप में कंपनी की क्षमता पर महत्त्वपूर्ण संदेह हो सकता है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई महत्त्वपूर्ण संदेह मौजूद है तो हमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में संबंधित प्रकटन पर हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना होगा, यदि इस प्रकार के प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी के एक गोइंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी रखने को रोक सकते हैं।

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की प्रकटन सहित संपूर्ण प्रस्तुति, संरचना तथा सामग्री का मूल्यांकन करना, तथा क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियां अंतर्निहित लेन-देन तथा घटनाओं को इस प्रकार दर्शाती हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।

तथ्यात्मकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मिथ्याकथनों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत या सकल रूप से, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित करना संभव बनाती है। (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) स्टैंडअलोन

वित्तीय विवरणों में किसी चिन्हित मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए,हम मात्रात्मक तथ्यात्मकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों सहित, लेखा परीक्षा के योजनाबद्ध दायरे तथा समय एवं महत्त्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के संबंध में प्रशासन द्वारा प्रभारित व्यक्तियों से संपर्क करते हैं।

हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ संकलित की गई विवरणी भी प्रशासन द्वारा प्रभारित व्यक्तियों को प्रदान की है तथा हमारी स्वतंत्रता, और जहाँ लागू हो, सुरक्षा के संबंध में बाधा बन सकने वाले सभी संबंधों तथा अन्य मामलों को सूचित किया है।

प्रशासन द्वारा प्रभारितों को सूचित किए गए मामलों के साथ हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण हैं और इसीलए वे प्रमुख लेखा परीक्षा मामले होते हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का उल्लेख नहीं करते यदि कानून अथवा विनियम मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम तय करते हैं कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में संबोधित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं जो इस प्रकार की सूचना के सार्वजनिक हित लाभ में वर्धन कर सकते हैं।

अन्य वैधानिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट:

1. अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (“आदेश”) द्वारा अपेक्षित अनुसार, और कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम लागू सीमा तक आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर "अनुलग्नक-ए" विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में, कंपनी की पुस्तकों और रिकॉर्डों की जांच के आधार पर, जैसा कि हम उचित समझते हैं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उपनिर्देशों पर "अनुलग्नक-बी" में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

3. (ए) अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित, और अहर्क राय, महत्वपूर्ण मामले,प्रमुख लेखा परीक्षा मामले और ऊपरलिखित अन्य मामलों के अनुभागों में वर्णित मामलों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।"

   ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथापेक्षित उचित खाता बहियाँ अनुरक्षित की गई हैं, जैसा कि हमें उन पुस्तकों और हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न से पता चलता है जो उन शाखाओं से प्राप्त हुए हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

   ग) इस रिपोर्ट में दिए गए स्टैंडअलोन तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का स्टैंडअलोन विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण और नकदी प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण लेखा बहियों और शाखाओं, जिनका जमने नहीं किया है, से प्राप्त रिटर्न के साथ मेल खाते हैं।

घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों, यथासंशोधित, के अनुपालन में हैं।

ड़) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

च) अहर्ता के मामले ऊपर अहर्क राय के अंतर्गत दिए गए हैं।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक-सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(बी) भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों में अपेक्षित अनुसार कंपनी पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है। कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी कीअपनी वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च, 2023 तक लंबित मुकद्दमेबाजी के प्रभाव का प्रकटन करते हैं - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या - 31 देखें।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके कारण कोई महत्वपूर्ण संभावित हानि हो।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

iv. (i) प्रबंधन प्रस्तुत करता है कि, उनके सर्वोत्तन ज्ञान और विश्वास के अनुसार, विदेशी संस्थाओं ('मध्यस्थ') सहित कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति (यों), संस्था(ओं) द्वारा किसी भी निधि अग्रिम या ऋण या निवेश हेतु (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से नहीं दी गई है, इस बात को समझते हुए, चाहे लिखित या अन्यथा रिकॉर्ड की गई, कि मध्यस्थ:

- चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसा कुछ प्रदान करेगा।

(ii) प्रबंधन प्रस्तुत करता है कि, उनके सर्वोत्तन ज्ञान और विश्वास के अनुसार, विदेशी संस्थाओं ('फंडिंग पार्टी') सहित कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति(यों), संस्था(ओं) से कोई भी निधि अग्रिम या ऋण या निवेश हेतु प्राप्त नहीं की गई है, इस बात को समझते हुए, चाहे लिखित या अन्यथा रिकॉर्ड की गई, कि कंपनी:

- चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगी।

(iii) ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में यथोचित व उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के अधीन प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण मिथ्याकथन है।

v. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है, अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन लागू नहीं है।

जैन जगावत कामदार एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन:122530W

सीए एग्रेल रोड्रिग्स
पार्टनर
सदस्यता सं.156128
यूडीआईएन :23156128BGUQGH6497

दिनांक: 28.12.2023
स्थान: मुंबई

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ए

('अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट)

i. संपत्ति संयंत्र उपकरण:

(क) (ए) कंपनी ने पर्याप्त रिकॉर्ड अनुरक्षित नहीं किये हैं जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हों।

(बी) कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है, अतः सी.ए.आर.ओ. 2020 के तहत खंड i(क)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन के लिए कंपनी का निजी नियमित कार्यक्रम है जिससे प्रत्येक दो वर्षों में सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सत्यापन घूर्णी आधार पर किया जाता है, किन्तु वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान यह सत्यापन नहीं किया गया। हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए भौतिक सत्यापन की यह आवधिकता उचित नहीं है। ***इस तरह के सत्यापन पर बड़ी विसंगतियां पाई गईं जैसे कि अवस्थिति, मात्रा, टैगिंग, क्रय की तारीख आदि के संदर्भ में संपत्ति की पहचान नहीं की जा सकी।***

(ग) हमें दी की गई जानकारी, स्पष्टीकरण और रिकॉर्ड के अनुसार, सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं। शेर-ए-पंजाब सोसाइटी, अंधेरी (ई), मुंबई में चार (4) आवासीय फ्लैटों के मामले में, भूमि और उक्त भवन को सोसाइटी को हस्तांतरित करने का विलेख अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है। (नोट 2ए देखें)

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ड़) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई भी बेनामी संपत्ति धारित करने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

ii. मालसूची से सत्यापन

(क) कच्चे माल, भंडारण और परिचालन आपूर्ति सहित मालसूची को केवल वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। हमारी राय में, सत्यापन की यह आवृत्ति उपयुक्त नहीं है, और प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और कवरेज उचित नहीं थे।

इसके अलावा, कंपनी में प्रचलित नियम के अनुसार, स्टॉक, भण्डारण, क्रॉकरी, कटलरी आदि की खपत की गणना खरीद में प्रारंभिक शेष जोड़कर और भौतिक सत्यापन के आधार पर अंतिम स्टॉक में से कटौती करके की गई है, अतः अपर्याप्तता, दुरुपयोग, चोरी, अपव्यय/चोरी आदि की पहचान नहीं की गई है और उपभोग में दर्शाया गया है। मालसूची के समापन स्टॉक का मूल्यांकन भौतिक मालसूची की लागत का 50% है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। अतः, आदेश के पैराग्राफ 3(ii)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

iii. निवेश, गारंटी, ऋण और अग्रिम

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निवेश नहीं किया है, कंपनियों, सीमित देयता भागीदारी और अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है, जिसके संबंध में अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को कोई गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है।

(क) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या किसी अन्य पार्टियों को गारंटीकृत ऋणों की प्रकृति में कोई अग्रिम नहीं दिया है या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(ए) पर रिपोर्ट करना कंपनी पर लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टी में कोई निवेश नहीं किया है जो कंपनी हित के प्रतिकूल हो। कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को गारंटी, सुरक्षा और ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(बी) पर अपेक्षित रिपोर्ट करना कंपनी पर लागू नहीं है।

(ग) कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या किसी अन्य पार्टियों को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(सी) (डी) (ई) और (एफ) पर अपेक्षित रिपोर्ट करना कंपनी पर लागू नहीं है।

iv. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185/186 का अनुपालन:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है या गारंटी या प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की हैं और इसलिए आदेश के खंड (iv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

v. सार्वजनिक जमा की स्वीकृति:

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा और बकाया स्वीकार नहीं किया है। इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश की धारा 3 (v) लागू नहीं होती है।

vi. लागत अभिलेखों का रखरखाव:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों का रखरखाव की व्यवस्था नहीं दी गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (VI) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

vii. वैधानिक बकाया राशि

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हमारी राय में, अविवादित वैधानिक बकाया के संबंध में लेखा बहियों में कटौती की गई/ प्रोद्त राशि सामान्यतः नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा की गई है जिसमें माल और सेवा कर ('जीएसटी'), कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, श्रम उपकर, व्यावसायिक कर, संपत्ति कर, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया शामिल हैं, जिसमें भविष्य निधि शामिल नहीं है। जैसा कि हमें बताया गया, कंपनी पर संपत्ति कर और सीमा शुल्क का कोई बकाया नहीं था।

(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, 31 मार्च 2023 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए भविष्य निधि के अतिरिक्त माल और सेवा कर ('जीएसटी'), कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया राशि के संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कुछ वैधानिक बकाया हैं जिन्हें विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है और जिस फोरम पर विवाद लंबित है, वह इस प्रकार है:

सांविधिक व्यवस्था की प्रकृति	बकाया राशि की प्रकृति	विवाद में राशि (₹ प्रति माह में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
लक्जरी टैक्स	कर	2.18	2000-2001	अतिरिक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील)
	घटा: प्रदत्त	(0.88)		
	कुल	1.3		
लक्जरी टैक्स	कर	6.51	2000-2001	अतिरिक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील)
	ब्याज	9.33		
	दंड शुल्क	0.01		
	घटा: प्रदत्त	(2.53)		
	कुल	13.31		
लक्जरी टैक्स	कर	1.98	2002-2003	आयुक्त बिक्री कर (अपील)
	ब्याज	2.08		
	दंड शुल्क	0.1		
	घटा: प्रदत्त	(3.03)		
	कुल	1.13		
लक्जरी टैक्स	कर	0.7	2002-2003	आयुक्त बिक्री कर (अपील)
	दंड शुल्क	0.01		
	घटा: प्रदत्त	(0.63)		
	कुल	0.08		
सेवा कर	कर	2.76	जुलाई 2012 से मार्च 2013 तक	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय-II

सांविधिक व्यवस्था की प्रकृति	बकाया राशि की प्रकृति	विवाद में राशि (₹ प्रति माह में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
सेवा कर	कर	5.11	2013-2014	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय-II
सेवा कर	कर	6.07	2014-2015	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय-II
सेवा कर	कर	7.83	2015-2016	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय-II
सेवा कर	कर	7.86	2016-2017	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय-II
सेवा कर	कर	0.68	2017-2018 (जून 2017 तक)	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय-II
सेवा कर	कर	7.84	2010-2011 से 2013-2014 तक	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय-II
सेवा कर	कर	3.92	2014-2015	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय-II
सेवा कर	कर	5.52	2015-2016	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय-II
सेवा कर	कर	10.43	2016-2017 और 2017-2018	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय-II
भविष्य निधि	माँग	22.29	2012-2013 से 2015-2016 तक	भविष्य निधि न्यायाधिकरण - दिल्ली
	ब्याज	5.98		
	घटा: प्रदत्त	(5.98)		
	कुल	**22.29**		

viii. लेन-देन जो बही में दर्ज नहीं:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आय के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में किसी भी लेन-देन को सरेंडर या प्रकट नहीं किया है, जो पहले खाते की किताबों में आय के रूप में दर्ज नहीं था। तदनुसार, आदेश के खंड 3(viii) पर अपेक्षित करना कंपनी पर लागू नहीं है।

ix. बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण:

हमें दी गई जानकारी के अनुसार और कंपनी की बहियों और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या बैंकों से 2.32 करोड़ रुपये (एफडी के बदले बैंक ओडी) की राशि ली है। इसके अलावा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने आदेश के खंड 3(ix) (ए),(बी),(सी),(डी),(ई), और (एफ) के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

x. सार्वजनिक प्रस्ताव/अधिमान्य आवंटन/निजी स्थानान:

(क) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है, तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(ए) कंपनी पर लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और 62 के तहत शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी स्थानन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(बी) कंपनी पर लागू नहीं है।

xi. कंपनी द्वारा/कंपनी के साथ धोखाधड़ी:

(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत अनुसार और कंपनी की बहियों और रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रथाओं के अनुसार, और लेखांकन मानकों में उल्लिखित महत्वपूर्ण सिद्धांतों के विचाराधीन, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी का मामला पाया या दर्ज नहीं किया गया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में लेखापरीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

(ग) लेखा परीक्षक के रूप में, हमें वर्ष 2021-22 के दौरान कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत नहीं मिली थी। अत: आदेश की धारा 3(xi) सी के प्रावधान लागू नहीं होते।

xii. निधि कंपनी पर लागू प्रावधान

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, निधि कंपनी के लिए आदेश के खंड 3(xii)(ए)(बी)(सी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiii. कंपनी अधिनियम की धारा 177/188 का अनुपालन

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है और इसलिए उस सीमा तक कंपनी ने अधिनियम की धारा 177 (2) के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 177(iv) का अनुपालन नहीं हुआ है।

कंपनी ने अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। यद्दपि, वित्तीय विवरणों में संबंधित पार्टियों के विवरण का खुलासा किया गया है, जिन्हें प्रबंधन द्वारा आईएनडी एएस 24 "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" में दर्शाया गया है और जिन पर हमने भरोसा किया है।

xiv. आंतरिक लेखा परीक्षा

(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी में उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है।

(ख) ***लेखापरीखा के दौरान अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को हमने संज्ञान में लिया था किन्तु कुछ टिप्पणियों का समापन/अनुपालन अभी भी प्रबंधन द्वारा लंबित था। समीक्षाधीन लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षक में बदलाव हुआ है।***

xv. निदेशकों के साथ गैर नकदी लेनदेन

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xvi. आरबीआई की धारा 45-आईए की प्रयोज्यता

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार-

(क) कंपनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (XVI) (ए) लागू नहीं है।

(ख) कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश की धारा 3 (XVI) (बी) लागू नहीं है।

(ग) कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड (3) (XVI) (सी) लागू नहीं है।

(घ) समूह के हिस्से के रूप में समूह की कोई सीआईसी (कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी) नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (XVI) (डी) लागू नहीं होता है।

xvii. नकद घाटा:

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹644.60 मिलियन का नकद घाटा हुआ है, पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹813.34 मिलियन का नकद घाटा हुआ था।

xviii. वैधानिक लेखा परीक्षकों का इस्तीफा:

वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों में कोई बदलाव नहीं हुआ। वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए पुनर्नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पत्र सं./सीए. वी/सीओवाई/केंद्र सरकार, होटल सी (1)/549 दिनांक 31-08-2022 के अनुसार की गई है।

xix. देयातओं को चुकाने की क्षमता:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, बढ़ती आवधिकता और वित्तीय परिसंपत्तियों को वसूल किये जाने की अपेक्षित तिथियों और वित्तीय देयताओं के भुगतान, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं पर हमें प्राप्त जानकारी के आधार पर और अवधारणाओं का समर्थन करते साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हम संज्ञान में लाना चाहते हैं कि कंपनी को शुद्ध घाटा हुआ है, कंपनी की वर्तमान देयताएं उसकी कुल परिसंपत्तियों से अधिक है और उसे संचित घाटा हुआ है जिसके चलते कंपनी की शुद्ध संपत्ति में पूरी तरह से गिरावट आई है। ये कारक महत्वपूर्ण अनिश्चितता की मौजूदगी का संकेत देते हैं। यद्यपि, हमारा कहना है कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। आगे हमारा मानना है कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अद्यतन तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देयताओं, जब और जैसे वे देय हो, का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाएगा।

xx. सीएसआर अनुपालन:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) स्टैंडअलोन स्तर पर लागू नहीं है, इसलिए, आदेश के खंड 3(xx) (ए) और (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xxi. समेकित वित्तीय विवरणों में अहर्ताएं या प्रतिकूल टिप्पणियाँ

कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में खंड (xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है। तदनुसार, इस रिपोर्ट के तहत उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

जैन जगावत कामदार एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन:122530W

सीए एग्रेल रोड्रिग्स
पार्टनर
सदस्यता सं.156128
यूडीआईएन :23156128BGUQGH6497

दिनांक: 28.12.2023
स्थान: मुंबई

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक बी"

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य को सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित।

हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते हैं।

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश	टिप्पणियाँ
1.	क्या सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से परिचालित करने की प्रणाली कंपनी में मौजूद है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली से अलग लेखांकन लेनदेन के परिचालन पर वित्तीय निहितार्थों और लेखों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, उल्लिखित किया जा सकता है।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी में सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से परिचालित करने की प्रणाली मौजूद है। यद्यपि, कंपनी मालसूची और इनवॉइस को मैन्युअल रूप से (एमएस ऑफिस-एक्सेल) अनुरक्षित और अद्यतन करती है, जो लेखांकन सॉफ्टवेयर के साथ प्रत्यक्ष तौर से जुड़ा नहीं है। परिचालन से प्राप्त मालसूची और राजस्व को मैन्युअल रूप से "टैली ईआरपी" सॉफ्टवेयर में अद्यतन किया जाता है। इन लेखांकन लेनदेन का आईटी सिस्टम से अलग प्रणाली से परिचालन करने पर लेखों की शुद्धता या वित्तीय निहितार्थ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
2.	क्या कंपनी के स्वामी द्वारा ऋण चुकाने में अक्षमता के कारण किसी मौजूदा ऋण का नवीनीकरण या कंपनी को दिए गए कर्जों/ऋणों/ब्याजों आदि को माफ़ करने/ बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव उल्लिखित किया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों को ठीक से लेखाबद्ध किया गया है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मौजूदा ऋण के नवीनीकरण, क़र्ज़/ ऋण/ब्याज को माफ़ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था और इसलिए उक्त खंड लागू नहीं है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित लेखा /उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी को किसी भी केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से धन प्राप्त नहीं हुआ है।

जैन जगावत कामदार एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन:122530W

सीए एग्रेल रोड्रिग्स
पार्टनर
सदस्यता सं.156128
यूडीआईएन : 23156128BGUQGH6497

दिनांक: 28.12.2023
स्थान: मुंबई

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक-सी"।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

(सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 2 (ए) (एफ) में संदर्भित)

राय

हमने 31 मार्च, 2023 तक होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, साथ ही उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट भी किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करके, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और अनुरक्षित करने हेतु ज़िम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में उन पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है, जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने कपटों और त्रुटियों की रोकथाम करने और पता लगाने लेखाकरण रिकॉड की शुद्धता और की पूर्णता और कंपनी अधिनियन, 2013 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं को समय पर तैयार करने सहित, इसके कारोबार का व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी ढंग से परिचालित हो रहे थे।

लेखापरीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी एक राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा का संचालन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में लागू सीमा तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट (द गाइडेंस नोट) और अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार की है। उन मानकों तथा मार्गदर्शक नोट में अपेक्षित है कि हम इन नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा नियोजित व निष्पादित करें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण विषयों में प्रभावकारी ढंग से परिचालित किए गए थे।

हमारी लेखा परीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। नीचे दिए गए राय के अस्वीकरण पैराग्राफ में वर्णित मामले के कारण, हम कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों पर लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखाकरण के सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की उनकी देयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित

आश्वासन प्रदान करने के लिए निर्मित एक प्रक्रिया है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और कार्यविधियां शामिल हैं, जो

(1) अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं कि वे कंपनियों की परिसंपत्तियों के लेन-देनों और प्रकृतियों को विवेकपूर्ण विवरणों, सही रूप में और उचित प्रकार से प्रदर्शित करते हैं,

(2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि वे लेन-देन सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवश्यकता अनुसार दर्ज किए गए हैं और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किए जा रहे हैं और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण प्रयोग अथवा निपटान जिनका स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, को रोकने अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

सांठ-गांठ अथवा नियंत्रणों का अनुचित प्रबंधन अध्यारोहण, त्रुटि अथवा कपट के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों की संभावना सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण हो सकते हैं और पता नहीं लगाए जा सकते हैं। साथ ही, भावी अवधियों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन हैं कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन, अथवा नीतियों या कार्यविधियों के अनुपालन के अंश में कमी आने के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं।

अहर्क राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अपेक्षित घटकों या संबंधित मानदंडों के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया है। इस कारण से, हम अपनी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं कि क्या 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण थे और क्या ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

महत्वपूर्ण कमजोरियाँ

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2023 तक निम्नलिखित सन्दर्भों में महत्वपूर्ण कमजोरियों की पहचान की गई है: -

एमएसएमईडी अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया; विशिष्ट पेंटिंग का मूल्यांकन व उसका लेखा-जोखा नहीं रखा गया, लेखांकन प्रविष्टियों के लिए किसी मेकर-चेकर प्रथा का पालन नहीं किया गया; निविदा प्रक्रिया ठीक से लागू और उसका अनुपालन नहीं किया गया; टैली ईआरपी में कोई भूमिका-आधारित पहुंच प्रतिबंध लागू नहीं; डेबिट/क्रेडिट शेष राशियों की गैर-पुष्टि/मिलान/निर्धारण; पिछले वित्तीय वर्ष की लेखा पुस्तकें फ्रीज/लॉक नहीं हैं; असंबंधित प्राप्तियां, मालसूची और उसके मूल्यांकन के उचित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया; स्वचालित उपस्थिति प्रणाली को सभी इकाइयों में लागू नहीं किया गया; टीडीएस का मिलान नहीं किया गया; कुछ इकाइयों में पीपीई के उचित रिकॉर्ड का रखरखाव न करना और भौतिक रिपोर्ट और खाते की किताबों के बीच मिलान न किया जाना; कर्मचारियों की भर्ती न करना और उनकी ड्यूटी का

नियमित आवर्तन न करना; लेखा सॉफ्टवेयर "टैली ईआरपी" के साथ इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर (जैसे शैंपेन) और राजस्व बिलिंग (पोर्टल) सॉफ्टवेयर का कोई सीधा समाकलन नहीं है।

महत्वपूर्ण कमजोरी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण में त्रुटियाँ या त्रुटियों का संयोजन है, जो इस संभावना की पुष्टि करती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण रूप से मिथ्या कथनों को समय पर रोका या उनका पता नहीं लगाया जा सकेगा।

हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में अपनाए गए लेखांकन परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में उपरलिखित अहर्ताओं व महत्वपूर्ण कमजोरियों को संज्ञान में लिया है, और अस्वीकरण महत्वपूर्ण कमजोरियां कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

जैन जगावत कामदार एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन:122530W

सीए एग्रेल रोड्रिग्स
पार्टनर
सदस्यता सं.156128
यूडीआईएन :23156128BGUQGH6497

दिनांक: 28.12.2023
स्थान: मुंबई

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय होटल निगम लिमिटेड के समेकित इंडएएस वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन का जवाब

<table>
<tr><th>लेखापरीक्षा टिप्पणी</th><th>प्रबंधन की टिप्पणियां</th></tr>
<tr><td>

1. जम्मू-कश्मीर सरकार और सेंटॉर लेक व्यू होटल (सीएलवीएच) के बीच मतभेद

- सेंटॉर लेक व्यू होटल (सीएलवीएच) विवाद में होटल संपत्ति के संबंध में स्वामित्व, प्रबंधन और देनदारियों से संबंधित मुद्दों पर विवाद में भारतीय होटल निगम (भाहोनि) और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (यूटी) शामिल हैं।
- भाहोनि और बीडीएंडपी होटल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के बीच एक प्रबंधन समझौते की समाप्ति से टकराव उत्पन्न हुआ, जिससे इसमें शामिल पक्षों के बीच कानूनी कार्यवाही और विवाद शुरू हो गए। भाहोनि द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, जम्मू-कश्मीर के माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायिक स्तरों पर विभिन्न नोटिस, अपील और याचिकाएं दायर की गईं।
- सरकारी हस्तक्षेप, विशेषकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया। जिसके परिणामस्वरूप विवाद को समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (ए.एम.आर.डी.) को संदर्भित किया गया।
- 17 जुलाई, 2023 की ए.एम.आर.डी. समाधान योजना के परिणामस्वरूप सीएलवीएच का स्वामित्व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को हस्तांतरित के दिया गया।
  - o केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ने सीएलवीएच में काम कर रहे भाहोनि लि० के 145 कर्मचारियों को अपने अधीन ले लिया।
  - o केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ने निम्नलिखित दायित्व लेने पर सहमती व्यक्त की:

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>विवरण</th><th>राशि करोड़ में</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>31.03.2022 तक नेट ब्लॉक पर सीएलवीएच का मूल्यांकन</td><td>6.07</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>01.03.2023 के बाद से जम्मू-कश्मीर सरकार के लिए कर्मचारी दायित्व</td><td>17.58*</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>श्रमिकों का वेतन भुगतान (मार्च-जून 2023)</td><td>3.08</td></tr>
<tr><td></td><td>जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा कुल देय (सहमत देनदारियाँ)</td><td>26.73</td></tr>
</table>

**** कंपनी ने वर्तमान वित्तीय अवधि के लिए कर्मचारी देयता को लेखाबद्ध नहीं किया है जो निकट भविष्य में देय है।***

</td><td>

17 जुलाई, 2023 को सूचित एएमआरडी संकल्प योजना के अनुसार, सीएलवीएच होटल को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में हस्तांतरित कर दिया गया है।

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ने सीएलवीएच में कार्यरत भाहोनि लि० के 145 से अधिक कर्मचारियों को भी ले लिया।

जम्मू-कश्मीर सरकार से शुद्ध ब्लॉक के लिए प्राप्त 6.07 करोड़ रुपये की राशि को विधिवत रूप से लेखाबद्ध किया गया है।

जम्मू-कश्मीर सरकार के लिए कर्मचारी देयता (17.58 करोड़ रुपये) वास्तव में भाहोनि की देयता नहीं है। हमने 01.03.2023 से जम्मू-कश्मीर सरकार की देयता के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार से निधि की मांग की है। संज्ञान में लिया जाए कि यह राशि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से प्राप्य राशि है।

इसलिए; देयता को लेखा बहियों में दर्ज नहीं किया गया है।

</td></tr>
</table>

लेखापरीक्षा टिप्पणी	प्रबंधन की टिप्पणियां
➢ *सीआरपीएफ/बीएसएफ के लिए दरों में पुनरीक्षण - ₹19.69 करोड़ आगे की तर्कसंगतता /विवरण प्रस्तुत करने पर, के संबंध में जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश भाहोनि के दावों की जांच करेगा।* ➢ *केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को व्ययों की साझा लागत के लिए भाहोनि के 31.03.2022 तक - ₹ 12.61 करोड़ के दावे की जांच के लिए और अधिक तर्कसंगतता/विवरण/दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता है। भाहोनि के ऐसे प्रावधान पर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर 45 दिनों के भीतर दावों की जांच करेगा और उनका निपटान करेगा।* ***(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की नोट संख्या 32 देखें)*** *इस तथ्य पर संज्ञान लें कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सीएलवीएच के आंकड़े, जैसा कि वित्तीय विवरण में बताया गया है प्रबंधन द्वारा बिना किसी सहायक दस्तावेज़/विवरण के लेखा बहियों से उपलब्ध कराए गए हैं और इसलिए प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के आंकड़ों की केवल समीक्षा की गई है और यह लेखापरीक्षा के अधीन है।* *वित्तीय विवरण में 31 मार्च, 2023 तक सीएलवीएच की कुल संपत्ति 580.07 मिलियन रुपये और वर्ष के अंत के लिए 35.68 मिलियन रुपये का कुल राजस्व शामिल है।* *इस इकाई की वित्तीय जानकारी प्रबंधन द्वारा तैयार की गई थी इसलिए हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में इसके प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं।* *इस तथ्य पर संज्ञान लें कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सीएलवीएच के आंकड़े, जैसा कि वित्तीय विवरण में बताया गया है, में ग्रेच्युटी व्यय का मूल्य और ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान शामिल हैं, लेकिन इसमें अवकाश नकदीकरण व्यय और चिकित्सा अवकाश देयता और विशेष अवकाश दायित्व के प्रावधान शामिल नहीं हैं।* *(स्टैंअलोन वित्तीय विवरण की नोट संख्या 32 देखें)*	भाहोनि ने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है और एएमआरडी के अंतर्गत अपेक्षित लागत साझा व्ययों का विवरण तर्कसंगतता के साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को सौंप दिया है। 14.06.2022 को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा सीएलवीएच को ज़ब्त किये जाने के बाद, सभी दस्तावेज़/रिकॉर्ड/विवरण नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिए गए हैं। सभी रिकार्ड सेंटॉर होटल नई दिल्ली में उपलब्ध हैं। विशेष अवकाश/ चिकित्सा अवकाश और सीएलवीएच के अवकाश नकदीकरण के प्रावधान के संबंध में, प्रस्तुत किया जाता है कि जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की संबंधित 3 कंपनियों को, जहाँ कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, अवकाश रिकॉर्ड स्थानांतरित कर दिया गया है, तदनुसार भाहोनि की ओर से कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
2. मालसूची: मालसूची अभिलेख व लेखांकन अभिलेख एकीकृत नहीं हैं। इसके अलावा, मालसूची पर आंतरिक नियंत्रण की कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी जिस पर हम लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु भरोसा कर सकें। ऐसी कोई संतोषजनक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं मौजूद नहीं हैं जिनका प्रयोग करके हम इस मालसूचियों के अस्तित्व, मात्रा और स्थितियों के बारे में खुद को संतुष्ट करने और उनके मूल्य का आकलन करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर सकें।	मालसूची को टैली में संघटित करने के लिए कंपनी द्वारा कदम उठाए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए, सम्पूर्ण मालसूची प्रबंधन प्रणाली युक्त पीएमएस सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए एक निविदा जारी की गई है। इसे वर्ष 2023-24 के लिए लागू किया जाएगा।

लेखापरीक्षा टिप्पणी	प्रबंधन की टिप्पणियां
उपरोक्त के संबंध में आवश्यक पाए गए किसी भी समायोजन का 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। इसके अलावा, मालसूची के समापन मूल्य पर पहुंचने के लिए किसी उचित मानक तंत्र को अपनाने की बजाय, नियमित उपभुक्त मालसूची का मूल्यांकन वर्ष के अंत में समापन इन्वेंट्री की 50% लागत के रूप में प्राप्त किया जाता है। "मालसूची" की श्रेणी में सीएलवीएच का अप्रयुक्त स्टॉक शामिल है, जिसका मूल्य वर्तमान में लागत पर है, जो कि इंड एएस -2 "मालसूची" के निर्दिष्ट दिशानिर्देशों से विचलन दर्शाता है। मानक के अनुसार, ऐसी मालसूची का मूल्य उसके शुद्ध वसूली योग्य मूल्य या लागत से कम होना चाहिए। अपेक्षित है कि सीएलवीएच पर स्टॉक मूल्य इसकी दर्ज लागत से कम हो सकता है। लेखांकन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन विधियों में इस विसंगति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अप्रयुक्त मालसूची के लिए मूल्यांकन दृष्टिकोण की समीक्षा और समायोजन करना इंड एएस-2 के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं में सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है। ***(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट संख्या 06 और 48 देखें)***	एएमआरडी के आदेश के अनुसार, 31.03.2022 को नेट ब्लॉक के अनुसार सीएलवीएच का मूल्यांकन 6.07 करोड़ रुपये किया गया है। मालसूची के लिए कोई अलग राशि प्रदान नहीं की गई है। वर्ष 2023-24 में इसकी समीक्षा की जाएगी और प्रबंधन की मंजूरी से आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियां की जाएंगी।
3. एमएसएमईडी अधिनियम का अनुपालन कंपनी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत एमएसएमई विक्रेताओं को वर्गीकृत किया है। खरीद का अनुपालन; एमएसएमई इकाइयों को बकाया पर ब्याज, यदि कोई हो, के प्रावधान को सत्यापित नहीं किया जा सका। इसलिए हम एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी संस्थाओं को भुगतान करने में देरी और ब्याज की देनदारी और ऐसे विलंबित भुगतान पर अनुपालन का निर्धारण करने में असमर्थ हैं। **(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट संख्या 18 और 45 देखें)।**	एमएसएमई इकाइयों को निविदा प्रक्रिया के दौरान पार्टियों द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर कंपनी के साथ पंजीकृत किया जाता है। आम तौर पर एमएसएमई के बकाया का भुगतान, धन की उपलब्धता को देखते हुए, निर्धारित समय के भीतर करने का प्रयास किया जाता है।
4. लेखांकन अभिलेखों में विसंगतियाँ: हमारे द्वारा लेखांकन अभिलेखों के व्यापक विश्लेषण के दौरान, विसंगतियों, अपूर्णता और अस्पष्टताओं की एक श्रृंखला सामने आई है। इनमें गलत लेखांकन प्रविष्टियाँ, लेखांकन दस्तावेज़ में अस्पष्टता, और ऐसी प्रविष्टियाँ शामिल हैं जो गलत लेखांकन अवधियों में की गई हैं। चिन्हित त्रुटियों में गलत-आवंटित लेनदेन से लेकर ऐसी प्रविष्टियाँ	लेखांकन रिकॉर्ड में विसंगतियां, गलत आवंटन, गलत लेखांकन प्रविष्टियों को लेखों के समापन के दौरान परिशोधित कर दिया गया है।

लेखापरीक्षा टिप्पणी	प्रबंधन की टिप्पणियां
हैं जिनमें व्यापक सहायक जानकारी नहीं है, जिसके कारण वित्तीय रिकॉर्ड में पारदर्शिता और सटीकता की कमी है। विभिन्न अवधियों से संबंधित प्रविष्टियों की मौजूदगी से वित्तीय विवरणों के कालानुक्रमिक क्रम और सुसंगतता को बनाए रखने में जटिलता और चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। हमारी वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए इन विसंगतियों को सुधारना, पूर्णता सुनिश्चित करना और द्वयर्थकता को स्पष्ट करना आवश्यक है। इन विसंगतियों को दूर करने और हमारे लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता को बढ़ाने के लिए तत्काल ध्यान देने और पूर्ण रूपेण सुधार प्रयास आवश्यक हैं।	
महत्वपूर्ण मामले **1. प्राप्य राशियां:** • कंपनी ने शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र/ई-मेल भेजे हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं प्रबंधन को प्राप्त हुई हैं किन्तु मिलान के अधीन हैं। यद्यपि, पुष्टिकरण प्राप्त करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को अधिक सुदृढ बनाना अपेक्षित है। ऐसी पुष्टियों, मिलानों और/या आकलन के लंबित रहने तक, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव सुनिश्चित योग्य व मात्रात्मक नहीं है। हम वसूली योग्य राशि और उसकी आवधिकता के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं। ***(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट संख्या 7 और 37 देखें)*** • हमारे संज्ञान में आया है कि सीएलवीएच से संबंधित संभावित अतिरिक्त राशियाँ प्राप्त हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा दावों की उचित जांच और सत्यापन पर, ये राशियाँ वर्तमान प्राप्त राशियों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। ये संभावित प्राप्त राशियाँ सीआरपीएफ/बीएसएफ के लिए दरों के पुनरीक्षण से उत्पन्न हुई हैं और हमारा मानना है कि सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और सत्यापन के साथ, ये राशि समग्र प्राप्त शेष, राजस्व के साथ-साथ कर प्रभाव, यदि कोई हो, में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है। हम इन संभावित प्राप्तियों और इसके लेखांकन उपायों की सटीकता और प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत परीक्षा और सत्यापन प्रक्रिया का प्रस्ताव करते हैं, जिससे अंततः वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। • नियमित ग्राहकों के पास क्रेडिट पॉलिसी से परे डेबिट शेष है, जिसके लिए पर्याप्त वसूली कदम उठाने के लिए कोई जांच-चार्ट तैयार नहीं किया गया है। 3 वर्ष का बकाया पूरा होने पर, इस राशि को संदिग्ध ऋण मान लिया जाता है। यद्यपि, पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना अपेक्षित है। यहां तक कि, इसे तब तक विवादित नहीं दिखाया जाता	कंपनी ने शेष राशि की पुष्टि के लिए ईमेल/पत्र भेजे हैं; कुछ पक्षों से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हो गई हैं। पार्टियों की शेष राशि के मिलान की प्रक्रिया कंपनी में जारी है। अंतर, यदि कोई हो, मिलान पूरा होने पर लेखों में समायोजित कर दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा टिप्पणी	प्रबंधन की टिप्पणियां
जब तक कि कानूनी कार्यवाही नहीं होती। पुनर्प्राप्ति, आवधिकता या विवादित या अन्यथा के संबंध में कोई लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के अभाव में, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या यह विवादित/ वसूली योग्य है या नहीं।	
• कंपनी ने कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार किए गए प्रावधानों के अतिरिक्त कुछ पक्षों के संबंध में कानूनी नोटिस/ मुकद्दमों के चलते खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया है।	
2. देय राशियां:	
• व्यापार देय की ओर देय राशि; प्राप्त जमा(एसडी/ईएमडी); सरकारी विभाग और अन्य पक्षों के संबंध में कंपनी पुष्टिकरण प्राप्त करने और मिलान करने और/या सही शेष राशि का आकलन करने की उचित प्रणाली का पालन नहीं करती है। तदनुसार, विभिन्न पक्षों को देय राशि पुष्टि, समाधान और/या मूल्यांकन के अधीन है। ***(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट संख्या 18 और 37 देखें)***	कंपनी ने शेष राशि की पुष्टि के लिए ईमेल/पत्र भेजे हैं; कुछ पक्षों से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हो गई हैं। पार्टियों की शेष राशि के मिलान की प्रक्रिया कंपनी में जारी है। अंतर, यदि कोई हो, मिलान पूरा होने पर लेखों में समायोजित कर दिया जाएगा।
• ऐसी पुष्टियों, मिलानों और/या आकलनों के लंबित रहने तक, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव सुनिश्चित योग्य व मात्रात्मक नहीं है। पार्टीवार, आयुवार और कंपनी की नीति में निर्दिष्ट अवधि से परे इसे धारित करने के कारणों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के अभाव में, हम देय राशि और उसकी आवधिकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	
• व्यापार देय को दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी, एमएसएमई और अन्य और आगे विवादित या अन्यथा के रूप में उप-विभाजित किया गया है। विवादित व्यापार देय केवल उन मामलों में लिया जाता है जहां मामला मुकदमेबाजी में है। कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी की अवधि से परे एमएसएमई/अन्य के विरुद्ध विलंबित बकाया के मामले को प्रबंधन द्वारा निर्विवादित माना जाता है। विवादित की पहचान करने हेतु मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है। विवादित या अन्यथा मूल्यांकन के संबंध में किसी लेखापरीक्षा साक्ष्य के अभाव में, हम उस पर टिप्पणी करने और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	

लेखापरीक्षा टिप्पणी	प्रबंधन की टिप्पणियां
3. असंबंधित रसीदें	
• कंपनी द्वारा बिलिंग के विरुद्ध देनदारों से ली गई असंबंधित रसीदें, जिसका मिलान प्राप्त के डेबिट की राशि से नहीं हो सका, कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में "ग्राहकों से अग्रिम/अन्य अग्रिम" देयताओं के रूप में खड़ी हैं। उस सीमा तक, व्यापार प्राप्त और वर्तमान देयताएं अतिरंजित हैं।	रद्द किये जाने, जल्दी चेक-आउट आदि जैसे कारणों से ओटीए से प्राप्त कुछ राशि एजेंसियों के खाते में जमा है। ओटीए के खाते का मिलान चल रहा है और मिलान पूरा होने पर आवश्यक समायोजन किए जाएंगे।
4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की हानि/कमी	
• विभिन्न इकाइयों में संपत्ति संयंत्र उपकरण (स्थिर संपत्ति) के अभिलेख उपयुक्त ढंग से अनुरक्षित व अद्यतन नहीं किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा पीपीई का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है (प्रबंधन का कहना है कि अंतिम निरीक्षण वित्त वर्ष 2019-20 में किया गया था)। • इसके अतिरिक्त, जहाँ भी भौतिक सत्यापन के लिए तैयार किए गए हैं वितीय विवरणों का कोई आधार नहीं है और जहां भी, अनुरक्षित किये गए हैं, न लेखा बहियों या न ही अचल संपत्तियों के अभिलेखों के साथ सत्यापन का मिलान नहीं हो रहा है। इसलिए परिसंपत्तियों की हानि/कमी/स्क्रैप का प्रभाव अनिश्चित रहता है। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट संख्या 2ए और 46 देखें)	वित्त वर्ष 2023-24 में पीपीई का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
5. एएआई/एमआईएएल/डीएआईएल को देय पट्टा किराया/टर्नओवर करारोपण	
• भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई)/ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल)/ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) को देय पट्टा किराया और टर्नओवर करारोपण कंपनी की लेखा बहियों में दिया गया है और वित्तीय विवरण में विधिवत परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त कंपनी और एएआई/डीआईएएल/एमआईएएल के बीच विवाद को देखते हुए, देय बकाया पर ब्याज प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन आकस्मिक देयता शीर्ष के तहत प्रकट किया गया है और यह भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। ***(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट संख्या 15, 17 और 31(ix) देखें)।***	एएआई के साथ उठे विवादों को देखते हुए निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार आकस्मिक देयता के तहत ब्याज का खुलासा किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा टिप्पणी	प्रबंधन की टिप्पणियां
6. अंतर दायित्व (डिफरेंशियल लायबिलिटी) के वेतन पुनरीक्षण का प्रावधान	यह तथ्यात्मक विवरण है।
• पिछला वेतन समझौता 31 दिसंबर, 2006 को समाप्त हो गया था और यूनियन ने डिमांड ऑफ़ चार्टर प्रस्तुत किया है। कंपनी ने प्रबंधन की वेतन समझौता समिति और भाहोनि यूनियनों की समन्वय समिति के बीच वार्ता की और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद, 18.08.2008 से प्रभावी 10 वर्षों की अवधि के लिए यूनियनकृत श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण लागू करने के लिए यूनियनों और कंपनी के बीच दिनांक 08.08.2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। वेतन पुनरीक्षण वित्तीय वर्ष 2019-20 में लागू किया गया था। 31.03.2023 तक कंपनी के यूनियनकृत श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन के बकाया का कुल अनुमानित प्रावधान ₹146.36 मिलियन है। प्रबंधन ने 1 जनवरी, 2017 से अधिकारियों के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह ₹5,000/- की अंतरिम राहत की घोषणा की थी, जिसका भुगतान जारी है और 31.03.2023 तक लाभ और हानि खाते के विवरण के माध्यम से ₹67.69 मिलियन की राशि खर्च की गई है। जैसे ही वेतन पुनरीक्षण को मंजूरी मिल जाती है, तो इस राशि को देय बकाया, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, जिसके लिए कर्मचारीवार विवरण लेखा बहियों में अलग से अनुरक्षित किया गया है। इसके अलावा, 08.08.2008 से प्रभावी कर्मचारियों को देय बकाया की गणना जारी है। प्रबंधन की राय है कि यदि प्रदान किया गया वेतन अपर्याप्त है तो अंतर दायित्व का प्रावधान उस वर्ष किया जाएगा जब इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। (नोट संख्या 12, 19, 20, 31 और 34 देखें)	
7. कानूनी व्यय/ब्याज आदि आकस्मिक देयताओं पर	
• कंपनी के विरुद्ध आकस्मिक देनदारियों/दावों के रूप में दर्शाई गई राशि आधार मूल्य को दर्शाती है। कानूनी व्यय, ब्याज और अन्य लागतों को अनिश्चित नहीं माना गया है क्योंकि जब भी व्यय होता है उसे दर्ज किया जाएगा।	विधिक व्यय, ब्याज और अन्य लागतें सुनिश्चित हो जाने के पश्चात दर्ज की जाएंगी।

लेखापरीक्षा टिप्पणी	प्रबंधन की टिप्पणियां
8. कंपनी अधिनियम के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करना	
• कंपनी ने कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, और इसलिए, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। • चूंकि कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, इसलिए कंपनी ने बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) और धारा 178 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। • उपरोक्त गैर-अनुपालन के बारे में हमें वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 16 जनवरी, 2023 की हमारी पिछली ऑडिट रिपोर्ट में भी बताया गया था।	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई है।
9. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	
• आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करना ताकि सभी क्षेत्रों की पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित की जा सके और कंपनी की सभी इकाइयों पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। • लेखा बहियों का उचित अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सभी लेनदेन के परिचालन नियंत्रण और वास्तविक समय लेखांकन के संबंध में मानक परिचालन प्रक्रियाएं निर्धारित करना। ***(नोट क्रमांक 47 एवं 48 देखें)*** • उपरोक्त गैर-अनुपालन के बारे में हमें वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 16 जनवरी, 2023 की हमारी पिछली ऑडिट रिपोर्ट में भी बताया गया था।	संज्ञान में लिया गया।
10. वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य	
• वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य प्रबंधन द्वारा उपलब्ध या प्रदान की गई सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर निकाला गया है। हमने अन्य आवश्यक जानकारी के अभाव में उचित मूल्यांकन के लिए प्रबंधन जानकारी पर भरोसा किया है।	यह तथ्यात्मक विवरण है।

लेखापरीक्षा टिप्पणी	प्रबंधन की टिप्पणियां
11. चालू संस्थान (गोइंग कंसर्न) • कंपनी को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹685.62 मिलियन का शुद्ध घाटा हुआ है और, उस तिथि तक, कंपनी की वर्तमान देनदारियां इसकी कुल संपत्ति से ₹607.32 मिलियन अधिक है और इसे ₹8200.23 मिलियन का संचित घाटा हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की निवल संपत्ति पूरी तरह से क्षय हो गई। यद्यपि, प्रबंधन द्वारा किए गए मूल्यांकन और उपरोक्त नोट में उल्लिखित अन्य कारकों के आधार पर, ये वित्तीय विवरण चालू संस्थान (गोइंग कंसर्न) के आधार पर तैयार किए गए हैं और रिपोर्टिंग तिथि तक कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्य में कोई समायोजन नहीं किया गया है। ***(नोट क्रमांक 52 देखें)***	कंपनी को विश्वास है कि वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी के प्रदर्शन में सुधार होगा।
अन्य मामला – माल एवं सेवा कर कुछ इकाइयों में, कंपनी को अपने ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त हुआ है, जिस पर माल और सेवा कर अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी जमा नहीं किया गया है, जिसकी राशि उचित रिकॉर्ड के अभाव में निश्चित योग्य और मात्रात्मक नहीं है। इसके अलावा कंपनी ने लेनदारों/विक्रेताओं के बिलों पर जीएसटी इनपुट (आईटीसी) लिया है, लेकिन जीएसटी के तहत निर्धारित समयसीमा के भीतर भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में इसे वापस नहीं किया गया है। उचित रिकॉर्ड के अभाव में इसकी राशि निश्चित योग्य और मात्रात्मक नहीं है। उपरोक्त दोनों मामलों में, जीएसटी देयता नहीं दी गई है जिसका प्रभाव स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के परिणामों पर पड़ेगा, लेकिन उचित रिकॉर्ड के अभाव में इसकी राशि निश्चित/निर्धारित नहीं की जा सकती है।	ये अग्रिम राशियां होटल में बैंक्वेट में होने वाले समारोह की बुकिंग से संबंधित हैं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं। हालाँकि वर्ष 2022-23 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय इसका ध्यान रखा जाएगा।
i. संपत्ति संयंत्र उपकरण: (क) (ए) कंपनी ने पर्याप्त रिकॉर्ड अनुरक्षित नहीं किये हैं जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हों। (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन के लिए कंपनी का निजी नियमित कार्यक्रम है जिससे प्रत्येक दो वर्षों में सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सत्यापन घूर्णी आधार पर किया जाता है, किन्तु वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान यह सत्यापन नहीं किया गया।	पीपीई का भौतिक सत्यापन वर्ष 2023-2024 के दौरान पूरा किया जाएगा और जानकारी/विवरण तदनुसार अद्यतन किया जाएगा। पीपीई का भौतिक सत्यापन वर्ष 2023-2024 के दौरान पूरा किया जाएगा।

लेखापरीक्षा टिप्पणी	प्रबंधन की टिप्पणियां
हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए भौतिक सत्यापन की यह आवधिकता उचित नहीं है। इस तरह के सत्यापन पर बड़ी विसंगतियां पाई गईं जैसे कि अवस्थिति, मात्रा, टैगिंग, क्रय की तारीख आदि के संदर्भ में संपत्ति की पहचान नहीं की जा सकी। (ग) हमें दी की गई जानकारी, स्पष्टीकरण और रिकॉर्ड के अनुसार, सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं। शेर-ए-पंजाब सोसाइटी, अंधेरी (ई), मुंबई में चार (4) आवासीय फ्लैटों के मामले में, भूमि और उक्त भवन को सोसाइटी को हस्तांतरित करने का विलेख अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है। (नोट 2ए देखें)	उक्त चार फ्लैटों के स्वामित्व विलेख के निष्पादन के लिए कंपनी में दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया जारी है।
ii. मालसूची से सत्यापन (क) कच्चे माल, भंडारण और परिचालन आपूर्ति सहित मालसूची को केवल वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। हमारी राय में, सत्यापन की यह आवृत्ति उपयुक्त नहीं है, और प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और कवरेज उचित नहीं थे। इसके अलावा, कंपनी में प्रचलित नियम के अनुसार, स्टॉक, भण्डारण, क्रॉकरी, कटलरी आदि की खपत की गणना खरीद में प्रारंभिक शेष जोड़कर और भौतिक सत्यापन के आधार पर अंतिम स्टॉक में से कटौती करके की गई है, अतः अपर्याप्तता, दुरुपयोग, चोरी, अपव्यय/चोरी आदि की पहचान नहीं की गई है और उपभोग में दर्शाया गया है। मालसूची के समापन स्टॉक का मूल्यांकन भौतिक मालसूची की लागत का 50% है।	भाहोनि की मालसूची का मूल्यांकन आतिथ्य उद्योग और विशेष रूप से होटल उद्योग में प्रचलित प्रथा के अनुरूप है। ज्यादातर मालसूची उपभोग्य सामग्रियों से संबंधित है, अतः वर्ष के अंत में भौतिक सत्यापन के आधार पर अंतिम स्टॉक का मूल्य लागत का 50% है, क्योंकि शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) का पता लगाना संभव नहीं है। इसके अलावा, ये सभी वस्तुएँ केवल उपभोग के लिए खरीदी जाती हैं। यह कंपनी की सतत नीति रही है जो वर्षों से जारी है।
vii. वैधानिक बकाया राशि (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, 31 मार्च 2023 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए भविष्य निधि के अतिरिक्त माल और सेवा कर ('जीएसटी'), कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया राशि के संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि बकाया नहीं थी।	नकदी प्रवाह की समस्या के कारण भविष्य निधि की राशि जमा नहीं हो सकी। कंपनी ने सरकार से निधियन में सहयोग की गुहार लगाई है। निधियन सहायता प्राप्त होते ही भविष्य निधि बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा टिप्पणी	प्रबंधन की टिप्पणियां
(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कुछ वैधानिक बकाया हैं जिन्हें विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है और जिस फोरम पर विवाद लंबित है, वह इस प्रकार है:	कंपनी ने उक्त मांगों/नोटिस के खिलाफ संबंधित मंचों पर अपील की है और मामले पर नज़र बनाए हुए है।

सांविधिक व्यवस्था की प्रकृति	बकाया राशि की प्रकृति	विवाद में राशि (₹ प्रति माह में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
लक्जरी टैक्स	कर	2.18	2000-2001	अतिरिक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील)
	घटा: प्रदत्त	(0.88)		
	कुल	1.3		
लक्जरी टैक्स	कर	6.51	2000-2001	अतिरिक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील)
	ब्याज	9.33		
	दंड शुल्क	0.01		
	घटा: प्रदत्त	(2.53)		
	कुल	13.31		
लक्जरी टैक्स	कर	1.98	2002-2003	आयुक्त बिक्री कर (अपील)
	ब्याज	2.08		
	दंड शुल्क	0.1		
	घटा: प्रदत्त	(3.03)		
	कुल	1.13		
लक्जरी टैक्स	कर	0.7	2002-2003	आयुक्त बिक्री कर (अपील)
	दंड शुल्क	0.01		
	घटा: प्रदत्त	(0.63)		
	कुल	0.08		
सेवा कर	कर	2.76	जुलाई 2012 से मार्च 2013 तक	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय-II
सेवा कर	कर	5.11	2013-2014	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय-II
सेवा कर	कर	6.07	2014-2015	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय-II
सेवा कर	कर	7.83	2015-2016	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय-II
सेवा कर	कर	7.86	2016-2017	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय-II
सेवा कर	कर	0.68	2017-2018 (जून 2017 तक)	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय-II
सेवा कर	कर	7.84	2010-2011 से 2013-2014 तक	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय-II

<table>
<tr><th>लेखापरीक्षा टिप्पणी</th><th>प्रबंधन की टिप्पणियां</th></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>सेवा कर</td><td>कर</td><td>3.92</td><td>2014-2015</td><td>आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय-II</td></tr>
<tr><td>सेवा कर</td><td>कर</td><td>5.52</td><td>2015-2016</td><td>आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय-II</td></tr>
<tr><td>सेवा कर</td><td>कर</td><td>10.43</td><td>2016-2017 और 2017-2018</td><td>आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपीलीय-II</td></tr>
<tr><td rowspan="4">भविष्य निधि</td><td>माँग</td><td>22.29</td><td rowspan="4">2012-2013 से 2015-2016 तक</td><td rowspan="4">भविष्य निधि न्यायाधिकरण - दिल्ली</td></tr>
<tr><td>ब्याज</td><td>5.98</td></tr>
<tr><td>घटा: प्रदत्त</td><td>(5.98)</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>22.29</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>xiii. कंपनी अधिनियम की धारा 177/188 का अनुपालन
हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है और इसलिए उस सीमा तक कंपनी ने अधिनियम की धारा 177 (2) के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 177(iv) का अनुपालन नहीं हुआ है।

कंपनी ने अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। यद्दपि, वित्तीय विवरणों में संबंधित पार्टियों के विवरण का खुलासा किया गया है, जिन्हें प्रबंधन द्वारा आईएनडी एएस 24 "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" में दर्शाया गया है और जिन पर हमने भरोसा किया है।</td><td>स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई है।

यह तथ्यात्मक विवरण है।</td></tr>
<tr><td>xiv. (ख) लेखापरीक्षा के दौरान अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को हमने संज्ञान में लिया था किन्तु कुछ टिप्पणियों का समापन/अनुपालन अभी भी प्रबंधन द्वारा लंबित था। समीक्षाधीन लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षक में बदलाव हुआ है।</td><td>वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति निविदा के माध्यम से की गई है। लेखांकन संबंधी मामला समाप्त कर दिया गया है और आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया संबंधी टिप्पणियाँ कार्यान्वयन/अनुपालन के अधीन हैं।</td></tr>
</table>

लेखापरीक्षा टिप्पणी	प्रबंधन की टिप्पणियां
अनुलग्नक-सी **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट** **महत्वपूर्ण कमजोरियाँ** हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2023 तक निम्नलिखित सन्दर्भों में महत्वपूर्ण कमजोरियों की पहचान की गई है: - एमएसएमईडी अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया; विशिष्ट पेंटिंग का मूल्यांकन व उसका लेखा-जोखा नहीं रखा गया, लेखांकन प्रविष्टियों के लिए किसी मेकर-चेकर प्रथा का पालन नहीं किया गया; निविदा प्रक्रिया ठीक से लागू और उसका अनुपालन नहीं किया गया; टैली ईआरपी में कोई भूमिका-आधारित पहुंच प्रतिबंध लागू नहीं; डेबिट/क्रेडिट शेष राशियों की गैर-पुष्टि/मिलान/निर्धारण; पिछले वित्तीय वर्ष की लेखा पुस्तकें फ्रीज/लॉक नहीं हैं; असंबंधित प्राप्तियां, मालसूची और उसके मूल्यांकन के उचित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया; स्वचालित उपस्थिति प्रणाली को सभी इकाइयों में लागू नहीं किया गया; टीडीएस का मिलान नहीं किया गया; कुछ इकाइयों में पीपीई के उचित रिकॉर्ड का रखरखाव न करना और भौतिक रिपोर्ट और खाते की किताबों के बीच मिलान न किया जाना; कर्मचारियों की भर्ती न करना और उनकी ड्यूटी का नियमित आवर्तन न करना; लेखा सॉफ्टवेयर "टैली ईआरपी" के साथ इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर (जैसे शैंपेन) और राजस्व बिलिंग (पोर्टल) सॉफ्टवेयर का कोई सीधा समाकलन नहीं है। महत्वपूर्ण कमजोरी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण में त्रुटियाँ या त्रुटियों का संयोजन है, जो इस संभावना की पुष्टि करती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण रूप से मिथ्या कथनों को समय पर रोका या उनका पता नहीं लगाया जा सकेगा। हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में अपनाए गए लेखांकन परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में उपरलिखित अहर्ताओं व महत्वपूर्ण कमजोरियों को संज्ञान में लिया है, और अस्वीकरण महत्वपूर्ण कमजोरियां कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।	वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की लेखापरीक्षा में सामने आई कमजोरियों पर कार्य किया जा रहा है। वित्त और लेखा विभाग में भूमिकाओं की उपयुक्त जांच की जा रही है और उन्हें एफटीसी के आधार पर तैयार किया जा रहा है। जहां तक टैली में मेकर/चेकर की अवधारणा का संबंध है, लेखा कर्मियों द्वारा तैयार किए गए सभी भौतिक वाउचर में मेकर/चेकर की अवधारणा होती है। कंपनी ने मालसूची को टैली में अद्यतन करना शुरु कर दिया है, इस उद्देश्य के लिए, सम्पूर्ण मालसूची प्रबंधन प्रणाली युक्त पीएमएस सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए एक निविदा जारी की गई है। इसे वर्ष 2023-24 के लिए लागू किया जाएगा। वर्ष 2023-24 के दौरान जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद भी शुरू की गई है।

31 मार्च 2023 तक तुलन पत्र

₹ मलियिन में

विवरण	टिप्पणी संख्या.	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
परिसंपत्तियां			
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियां			
(क) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	2A	129.55	188.79
(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां	2B	-	-
(ग) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	2C	1.65	8.80
(घ) परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	3	202.20	226.79
(ड़)वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) अन्य गैर चालू वत्तिीय परसिंपत्तयिां	4	2.30	3.26
(ड़) अन्य गैर - चालू परसिंपत्तयिां	5	15.92	17.37
कुल गैर - चालू संपत्तियां		**351.62**	**445.00**
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) वस्तुसूची	6	11.65	11.42
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) व्यापार प्राप्य	7	110.41	79.67
(ii) नकदी व नकदी समकक्ष	8	8.39	52.47
(iii) नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा बैंक शेष	9	37.54	79.79
(iv) अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	10	94.80	28.39
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	11	48.99	52.40
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	12	113.50	106.07
कुल चालू परिसंपत्तियां		**425.28**	**410.22**
कुल परिसंपत्तियां		**776.90**	**855.22**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क)इक्विटी शेयर पूंजी	13	1,376.00	1,376.00
(ख) अन्य इक्विटी		-8,200.23	-7,514.61
कुल इक्विटी		**-6,824.23**	**-6,138.61**
देयताएं			
1.गैर-चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) ऋण	14	5,482.32	5,029.59
(ii) दीर्घकालिक पट्टा देयता	15	360.12	336.47
(ख) प्रावधान	16	374.47	494.08
अन्य गैर-चालू देयताएं			
कुल गैर चालू देयताएं		**6,216.91**	**5,860.14**
2. वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) अल्पावधि पट्टा देयता	17	611.15	591.59
(ii) व्यापार प्राप्य			
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया	18	35.98	10.36
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		41.07	24.29
(iii) अन्य चालू वित्तीय देयताएं	19	301.05	245.31
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	20	253.86	154.99
(ग) प्रावधान	21	141.11	107.16
कुल वर्तमान देयताएं		**1,384.22**	**1,133.69**
कुल इक्विटी एवं देताएं		**776.90**	**855.22**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		

संलग्न टिप्पणियां 1 से 54 इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
जैन जगावत कामदार एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या. 122530W

अधोहस्ताक्षरी
सीए एग्रेल रोड्रिग्स
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 156128

स्थान : मुंबई
तारीख : 28.12.2023

निदेशक मंडल की ओर से
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अधोहस्ताक्षरी
सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएन : 07728790

अधोहस्ताक्षरी
रुबीना अली
नामित निदेशक
डीआईएन : 08453990

अधोहस्ताक्षरी
दीपक खुल्लर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अधोहस्ताक्षरी
के.गोपाल कृष्ण
मुख्य वित्तीय अधिकारी

अधोहस्ताक्षरी
सोनम गोसाईं
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20.12.2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

(रु. मिलियन में)

विवरण	टिप्पणियां	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन			
आय			
परिचालन से प्राप्त राजस्व	22	537.35	262.77
अन्य आय	23	9.97	89.59
कुल आ		**547.32**	**352.36**
आय			
उपभुक्त कच्चे माल की लागत	24	131.96	60.92
कर्मचारी लाभ	25	418.17	447.76
वित्त लागत	26	481.80	501.30
मूल्यह्रास / परिशोधन व्यय	2A & 3	38.82	29.17
अन्य व्यय	27	180.40	161.32
कुल व्यय		**1,251.15**	**1,200.47**
कर पूर्व हानि		**(703.83)**	**(848.12)**
व्यय			
वर्तमान कर			
आस्थगित कर			
पिछले वर्षों के प्रावधान जोड़ें (कम) - कमी (आधिक्य)			
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**(703.83)**	**(848.12)**
क आय			
क. लाभ एवं हानि में वर्गीकृत न की जाने वाली मदें			
(i)परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन	28	18.21	5.61
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**(685.62)**	**(842.51)**
प्रति इक्विटी शेयर आय			
मूलभूत		**(51.15)**	**(61.64)**
डाइल्यूटेड		**(51.15)**	**(61.64)**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		

संलग्न टिप्पणियां 1 से 54 इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
जैन जगावत कामदार एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या. 122530W

अधोहस्ताक्षरी
सीए एग्नेल रोड्रिग्स
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 156128

स्थान : मुंबई
तारीख : 28.12.2023

निदेशक मंडल की ओर से
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अधोहस्ताक्षरी
सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएन : 07728790

अधोहस्ताक्षरी
रुबीना अली
नामित निदेशक
डीआईएन : 08453990

अधोहस्ताक्षरी
दीपक खुल्लर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अधोहस्ताक्षरी
के.गोपाल कृष्ण
मुख्य वित्तीय अधिकारी

अधोहस्ताक्षरी
सोनम गोसाईं
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20.12.2023

31 मार्च, 2023 समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

इक्विटी के परिवर्तन का विवरण

(ए) इक्विटी शेयर पूंजी (रु.लाखों में))

	शेयरों की संख्या	
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	**1,37,60,000**	13,760.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	**1,37,60,000**	13,760.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**1,37,60,000**	13,760.00

(ख) अन्य इक्विटी **(रु. मिलियन में)**

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष				शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	कुल
	पूँजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	प्रतिधारित आय	आकस्मिक आरक्षित निधि		
1 अप्रैल 2019 तक शेष राशि			(5,050.44)			(5,050.44)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (शुद्ध कर राशि)			(555.48)			(555.48)
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन का परिवर्धन			(99.99)			(99.99)
आकस्मिक रिजर्व से अंतरण						-
आकस्मिक रिजर्व से अंतरण						-
सुरक्षा प्रीमियम पर जारी किए गए शेयर						-
वर्ष के दौरान घटौती						-
31 मार्च 2020 तक शेष राशि	-	-	**(5,705.90)**	-	-	**(5,705.90)**
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)			(973.72)			(973.72)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (शुद्ध कर राशि)			7.53			7.53
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन का परिवर्धन						-
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन का परिवर्धन						-
सुरक्षा प्रीमियम पर जारी किए गए शेयर						-
वर्ष के दौरान घटौती						-
1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	-	-	**(6,672.10)**	-	-	**(6,672.10)**
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)			(848.12)			(848.12)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (शुद्ध कर राशि)			5.61			5.61
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन का परिवर्धन						-
आकस्मिक आरक्षित निधि से अंतरण						-
सुरक्षा प्रीमियम पर जारी किए गए शेयर						-
वर्ष के दौरान घटौती						-
31 मार्च 2022 तक शेष राशि	-	-	**(7,514.61)**	-	-	**(7,514.61)**
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)			(703.83)			(703.83)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (शुद्ध कर राशि)			18.21			18.21
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन का परिवर्धन						-
आकस्मिक आरक्षित निधि से अंतरण						-
सुरक्षा प्रीमियम पर जारी किए गए शेयर						-
वर्ष के दौरान घटौती						-
31 मार्च 2023 तक शेष राशि	-	-	**(8,200.23)**	-	-	**(8,200.23)**

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
जैन जगावत कामदार एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या. 122530W

अधोहस्ताक्षरी
सीए एग्रेल रोड्रिग्स
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 156128

निदेशक मंडल की ओर से
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अधोहस्ताक्षरी
सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएन : 07728790

अधोहस्ताक्षरी
रुबीना अली
नामित निदेशक
डीआईएन : 08453990

अधोहस्ताक्षरी
दीपक खुल्लर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अधोहस्ताक्षरी
के.गोपाल कृष्ण
मुख्य वित्तीय अधिकारी

अधोहस्ताक्षरी
सोनम गोसाईं
कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई
तारीख : 28.12.2023

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20.12.2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(रु. मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
A. परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह		
कर पूर्व शुद्ध लाभ	**(703.83)**	**(848.12)**
समायोजन:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	38.82	29.17
अन्य इक्विटी और अन्य व्यापक आय में समायोजन	18.21	5.61
सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज	(3.15)	(12.24)
वित्तीय लागत	481.80	501.30
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर (लाभ)/हानि	-	(0.01)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पूर्व परिचालन नकदी प्रवाह	**(168.15)**	**(324.30)**
इन्वेंटरी में कमी / (वृद्धि)	(0.23)	0.47
व्यापार प्राप्य में कमी/(वृद्धि)	(30.74)	258.49
अन्य बैंक शेष राशि में कमी/(वृद्धि)	42.25	0.50
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)	(66.41)	(6.62)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि))/कमी	(7.43)	(11.91)
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	0.96	3.91
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	1.45	0.37
व्यापार देय में (कमी) वृद्धि	42.41	(17.03)
अन्य वित्तीय देनदारियों (चालू) में वृद्धि/(कमी)	55.74	(3.03)
अन्य वर्तमान देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	98.87	11.20
अल्पकालिक प्रावधानों में (कमी) वृद्धि	33.95	5.73
दीर्घकालिक प्रावधानों में (कमी) वृद्धि	(119.61)	(40.73)
अन्य वित्तीय देयताओं (गैर चालू) में वृद्धि/(कमी)		
अन्य गैर चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)।		
परिचालन से उत्पन्न नकदी	(116.96)	(122.95)
प्रदत्त आयकर	3.42	40.81
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह [ए]	**-113.54**	**-82.14**
B. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वृद्धि	(17.85)	(7.09)
पूंजीगत प्रगतिशील कार्यों में (वृद्धि) / कमी	7.15	(8.80)
किसी परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार में (वृद्धि)/कमी	1.66	53.37
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से आय	61.21	
सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज	3.15	12.24
निवेश गतिविधियों में शुद्ध नकदी (प्रयुक्त) [बी]	**55.32**	**49.72**
C. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
ऋणों में (कमी)/वृद्धि	452.73	636.70
प्रदत्त ब्याज	(481.80)	(501.30)
अल्पावधि पट्टा देयता में वृद्धि/(कमी)	19.56	(54.72)
दीर्घकालिक पट्टा देयता में वृद्धि/(कमी)	23.65	(32.82)
वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह [सी]	**14.15**	**47.87**
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (ए+बी+सी)	**-44.07**	**15.44**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष (नीचे नोट देखें)	52.47	37.02
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष (नीचे नोट देखें)	**8.39**	**52.47**

उप नोट्स:

1 नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है जैसा कि नकदी प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखा मानक - 7 ('इंड एएस-7') में निर्दिष्ट है।

(रु. मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
2 नकदी और बैंक शेष राशि के घटक:		
बैंक में बैंक शेष राशि		
क) अन्य शेष राशि	7.26	31.78
हाथ रोकड़	0.08	0.09
बैंक गारंटी और अन्य प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध मार्जिन मनी के रूप में रखी गई बैंक जमा, परिपक्वता 3 महीने से कम		
3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली बैंक जमाएँ	1.05	20.60
कुल	**8.39**	**52.47**

नोट: पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ भी आवश्यक हुआ, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
जैन जगावत कामदार एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या. 122530W

अधोहस्ताक्षरी
सीए एग्नेल रोड्रिग्स
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 156128

स्थान : मुंबई
तारीख : 28.12.2023

निदेशक मंडल की ओर से
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अधोहस्ताक्षरी
सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएन : 07728790

अधोहस्ताक्षरी
रुबीना अली
नामित निदेशक
डीआईएन : 08453990

अधोहस्ताक्षरी
दीपक खुल्लर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अधोहस्ताक्षरी
के.गोपाल कृष्ण
मुख्य वित्तीय अधिकारी

अधोहस्ताक्षरी
सोनम गोसाईं
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20.12.2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(रुपए लाख में यदि अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो)

नोट 1: कॉर्पोरेट जानकारी

भारतीय होटल निगम लिमिटेड, (भारत सरकार की एक कंपनी) कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक भारत में निगमित कंपनी है। कंपनी मुख्य रूप से होटल और उड़ान खान-पान (फ्लाइट कैटरिंग) के स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन के व्यवसाय में संलिप्त है। दिनांक 11.01.2022 से यह "एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड" (एआईएएचएल) की सहायक कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सेन्टॉर होटल, आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली 110037 में स्थित है।

नोट 2: तैयार करने का आधार, महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्णय, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं हालिया लेखांकन संबंधी घोषणाएँ

वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किये गये हैं:

i. तैयार करने का आधार एवं इंड एएस का अनुपालन

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष सहित सभी अवधि के लिए, कंपनी ने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133, लागू सीमा तक संशोधित, के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक (पूर्व में जी.ए.एपी) का तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रस्तुति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015, यथासंशोधित, के नियम 4ए के साथ पठित धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) और कंपनी अधिनियम, 2013 (सामूहिक रूप से, "इंड एएस") के प्रासंगिक प्रावधानों को 1 अप्रैल, 2017 से लागू किया है तथा कंपनी को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इंड एएस के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करने होंगे। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तैयार किये गए वित्तीय विवरण ("इंड एएस वित्तीय विवरण") कंपनी द्वारा इंड ए एस के अनुसरण में तैयार किये गए पहले वित्तीय विवरण हैं तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण भी उसी आधार पर तैयार किए गए हैं।

ii. माप का आधार:

ये वित्तीय विवरण, निम्नलिखित को छोड़कर, ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं:

i. उचित मूल्य पर मापी गई कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां, देयताएं और आकस्मिक प्रतिफल;

ii. उचित मूल्य घटा बिक्री की लागत पर मापी गई बिक्री हेतु धारित परिसंपत्तियां; और

iii. उचित मूल्य पर मापी गई परिभाषित लाभ योजनाएं – योजना परिसंपत्तियां।

ंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची - ।।। और इंड एएस 1- "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति" में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू या गैर- चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान/निर्णय:

वित्तीय विवरणों को इंड-एएस के अनुरूप तैयार करने हेतु प्रबंधन द्वारा अनुमान, निर्णय व धारणाएँ बनाना अपेक्षित होता है। ये अनुमान, निर्णय व धारणाएँ लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों और देयताओं की दर्ज की गई मात्रा, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रकटीकरण और अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की दर्ज की गई मात्रा को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम ऐसे अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और परिवर्तनों की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में पुनरीक्षण को संशोधित की गई और किसी भी भावी अवधि में मान्यता दी जाती है।

अनुमान और निर्णय के महत्वपूर्ण क्षेत्र (संबंधित लेखांकन नीतियों में उल्लिखित अनुसार) जिनका वित्तीय विवरणों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, वे इस प्रकार हैं:

क) परिसंपत्तियों की क्षति।

ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों का मापन और यह आकलन कि लागत के किन घटकों को पूंजीकृत किया जा सकता है।

ग) बिक्री हेतु धारित गैर- चालू परिसंपत्तियों के वर्गीकरण का आधार।

घ) आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता।]

ड़) परिभाषित लाभ दायित्वों की मान्यता और मापन।

च) पट्टा वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित निर्धारण।

छ) उचित मूल्यों और अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन।

ज) यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय अपेक्षित है कि कराधान विवादों और कानूनी दावों के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या नहीं ।

iv. परिचालन चक्र और वर्तमान एवं गैर- वर्तमान का वर्गीकरण:

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत प्रदान किए गए वर्तमान / गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों और देयताओं की प्रस्तुति की गई है। चूँकि कंपनी सेवा क्षेत्र में है, कोई विशिष्ट परिचालन चक्र नहीं है; हालाँकि, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।।। के प्रावधानों के अनुसार 12 महीने की अवधि को "परिचालन चक्र" के रूप में अपनाया गया है। तदनुसार, वर्तमान देयताओं और वर्तमान परिसंपत्तियों में गैर-वर्तमान वित्तीय देयताओं और परिसंपत्तियों का वर्तमान भाग शामिल है।

v. कोविड-19 की विश्व स्तर पर हुई स्वास्थ्य महामारी पर अनुमान की अनिश्चितता:

वैश्विक स्तर पर और भारत में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के प्रकोप के कारण आर्थिक गतिविधियों में काफी नकारात्मक उतार-चढ़ाव और मंदी देखने को मिली। कोविड-19 के कारण वर्ष के दौरान कंपनी के संचालन और राजस्व पर भी प्रभाव पड़ा। हालांकि चालू वर्ष के दौरान स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी दिल्ली में हमारे होटल और मुंबई और दिल्ली में फ्लाइट किचन में अधिभोग कम है। कंपनी द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जैसे मौजूदा कमरों का नवीनीकरण करना, कॉर्पोरेट ग्राहकों से संपर्क और अन्य तरीके।

vi. **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ:**

क. <u>मालसूची (इंड एएस - 2)</u>

मालसूची में मुख्य रूप से नरम साज-सज्जा कपड़ा (लिनन), कटलरी/क्रॉकरी और भंडार व पुर्जे शामिल हैं। मालसूची की लागत में गैर-वापसी योग्य छूट और रियायत, साथ ही माल को उनके वर्तमान स्थान व स्थिति में पहुँचाने में लगने वाली अन्य सभी लागतों को घटाने के बाद खरीद की सभी लागतें शामिल हैं और इसका निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है।

नियमित रूप से उपभोग की गई मालसूची की इन्वेंटरी का मूल्यांकन वर्ष के अंत में समापन इन्वेंट्री की लागत से 50% कम करके निकाला गया है।

मरम्मत योग्य वस्तुओं की मरम्मत के लिए नियत को छोड़कर जिन्हें मरम्मत कार्य पूरा होने पर कार्य-आदेश की समाप्ति पर बट्टे खाते में डाल दिया गया है, प्रारंभ में जारी करने के समय उत्सर्जनीय एवं उपभोज्य वस्तुओं को बट्टे खाते में डाला जाता है।

नरम साज-सज्जा कपड़ा (लिनेन) और भंडारण व आपूर्तियों (कटलरी और क्रॉकरी) का मूल्य कम लागत या एनआरवी पर लगाया जा रहा है तथा उपभोग हेतु जारी किए जाने पर लाभ एवं हानि विवरण में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

ख. <u>नकदी प्रवाह विवरण (इंड एएस-7)</u>

इंड एएस-7 “नकदी प्रवाह का विवरण" में निर्धारित अनुसार नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके दर्ज किया गया है, जिसके तहत कर-पूर्व लाभ/(हानि) को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन और भूत या भविष्य में किये गये भुगतान की नकदी रसीद के किसी भी स्थगन या संचय के प्रभाव के लिए समायोजित किया गया है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह को पृथक किया जाता है।

ग. <u>आय कराधान (इंड एएस - 12)</u>

आयकर व्यय में वर्तमान कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्ति या देयता में हुआ शुद्ध परिवर्तन शामिल है। वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ एवं हानि विवरण में दर्ज किया गया है, सिवाय जब वे उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें अन्य व्यापक

आय या सीधे इक्विटी में दर्ज किया गया हो, ऐसे में, वर्तमान और आस्थगित कर को भी क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में दर्ज किया गया है।

वर्तमान कर

राजस्व व व्यय से संबंधित अवधि में ही वर्तमान कर व्यय को लेखाबद्ध किया गया है। लागू कर दरों और प्रचलित कर कानूनों के अनुसार निर्धारित कर भत्तों, कटौतियों और छूटों पर विचार करने के बाद कर-योग्य आय पर देय कर-देयता के लिए वर्तमान आयकर का प्रावधान किया गया है। चिन्हित राशियों को बराबर करने का कानूनी अधिकार प्राप्त होने और आस्ति और देयता का निपटान शुद्ध आधार पर करने का इरादा होने पर ही वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देयताओं की भरपाई की जाती है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी गई है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत (कैरिंग) राशियों और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई संबंधित राशियों के बीच अस्थायी अंतर प्राप्त होते हैं।

सभी कर-योग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता दी गई है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस सीमा तक मान्यता दी गई है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध इनका उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि की समीक्षा की गई है और उस सीमा तक घटा दिया गया है कि अब ऐसी संभावना नहीं है कि आस्ति का पूर्ण या उसके भाग की पुनर्प्राप्ति के लिए पर्याप्त कर-योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

रिपोर्टिंग तिथि तक लागू या मूल रूप से लागू किए गए कानूनों के आधार पर, आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा गया है जो उस अवधि पर लागू हैं जब परिसंपत्तियों की वसूली या देनदारी का निपटान हुआ हो।

आस्थगित कर का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जिसकी प्रत्याशा कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग तिथि पर इसकी परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत (कैरिंग) राशि की वसूली या निपटान के लिए की गई है।

यदि वर्तमान कर देयताओं और परिसंपत्तियों को समायोजित (ऑफसेट) करने के लिए विधिक लागू अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंध रखती हैं, लेकिन वे वर्तमान कर देयताओं और परिसंपत्तियों का निपटान शुद्ध आधार पर करना चाहती हैं या उनकी कर परिसंपत्तियां और देयताएं एक साथ वसूल ली जाएंगी, तो आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को समायोजित (ऑफसेट) किया जाता है।

घ. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण: (पीपीई) (इंड एएस - 16)

i. संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण संक्रमण की तारीख से मानित लागत पर रखे जा रहे हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की प्रारंभिक लागत में अप्रतिदेय शुल्क एवं कर, आरोपणीय ऋण लागत सहित इसका क्रय मूल्य और किसी आस्ति को कार्यशील स्थिति में और इसके इच्छित उपयोग हेतु अवस्थिति में लाने में लगने वाली कोई भी अन्य प्रत्यक्ष आरोपणीय लागतें शामिल हैं। इसमें किसी आस्ति को बंद करने और हटाने और इसके उपयोग के बाद साइट को पुनर्स्थापित करने के लिए अपेक्षित लागत का वर्तमान मूल्य भी शामिल है, यदि प्रावधान के लिए मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को परिचालन में लाने के बाद किए गए व्यय, जैसे कि मरम्मत और रखरखाव, को लाभ एवं हानि विवरण में आम तौर पर उस अवधि में दर्ज किया गया है जिसमें लागत खर्च की गई है। यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं तो प्रमुख निरीक्षण व मरम्मत व्यय को पूंजीकृत किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद के निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अग्रणीत (कैरिंग) राशि से निपटान की आय को घटाकर किया गया है और लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय/ अन्य व्यय के भीतर शुद्ध माना गया है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास की विधि की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

इसके अलावा संपत्तियों का भौतिक सत्यापन बारी-बारी से किया जाता है ताकि प्रत्येक संपत्ति का हर दो साल में सत्यापन किया जा सके और सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों को उस वर्ष में समायोजित किया जा सके जिसमें रिपोर्ट जमा और अंतिम रूप में तैयार की गई है।

ii. पूंजीगत –प्रगतिशील- कार्य

निर्माण के दौरान परिसंपत्तियों को पूंजीगत-प्रगतिशील-कार्य खाते में पूंजीकृत किया जाता है। जब परिसंपत्ति प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन हेतु सक्षम हो जाती है, उस बिंदु पर निर्माण की लागत को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उचित श्रेणी में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. अवमूल्यन / परिशोधन:

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को संचित मूल्यह्रास और क्षति के लिए निर्धारित प्रावधान घटाकर लागत पर दर्ज किया गया है। मूल्यह्रास कि गणना तब शुरू होती है जब परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास को, मूल लागत के 5% का अवशिष्ट मूल्य रखते हुए, स्ट्रैट लाइन विधि पर दिया गया है (यदि अन्यथा उल्लिखित न हो)। प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा मूल्यह्रास पद्धति, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

प्रमुख नवीनीकरण, आधुनिकीकरण/रूपांतरण कार्यों पर होने वाली लागत उपयोगी जीवन और/या पट्टे की अवधि, जैसा भी मामला हो, के दौरान कम कर दिया जाता है।

नई इकाई के लिए पहली बार क्रय लिए गए रसोई के बर्तनों को चार वर्षों में समान रूप से बट्टे खाते में डाल दिया गया है। बाद के वर्षों में किसी भी और क्रय को खरीद के वर्ष में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

एक नई इकाई/प्रमुख नवीकरण के लिए शुरूआत में खरीदे गए कालीनों को खरीद के वर्ष में अचल संपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया गया है और उपरोक्त पैरा डी में निर्दिष्ट स्ट्रैट लाइन विधि पर मूल्यह्रास किया गया है। बाद के वर्षों में खरीदे गए कालीनों को खरीद के वर्ष में सॉफ्ट फर्निशिंग के रूप में बट्टे खाते में डाला जा रहा है।

भारी पर्दों को जारी करने के वर्ष में बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

ङ. कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ (इंड एएस - 19)

कर्मचारियों को मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभों में "परिभाषित योगदान योजनाएँ" और "परिभाषित लाभ योजनाएँ" शामिल हैं।

क) **परिभाषित अंशदान योजनाओं** में कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अंशदान शामिल है। पीएफ और ईएसआई का बकाया नियमित रूप से सरकारी अधिकारियों के पास जमा किया जाता है।

ख) **परिभाषित लाभ योजनाएं** जो वित्त पोषित नहीं हैं, उनमें ग्रेच्युटी, और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ और अन्य लाभ शामिल हैं। भारतीय कानूनों के अनुसार वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के तहत इन लाभों के लिए देयताओं का निर्धारण बीमांकिक रूप से किया गया है।

दायित्व का मापन भविष्य के नकदी प्रवाह अनुमान के वर्तमान मूल्य पर किया गया है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत दायित्व के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दरें, बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार की उपज पर आधारित होती हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि संबंधित दायित्वों की अवधि के आसपास होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक अवधारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुन: मापन लाभ और हानि को उसी अवधि में सीधे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है जिसमें वे हुए हैं। ये "इक्विटी में परिवर्तन के विवरण" और बैलेंस शीट में "अन्य इक्विटी" में शामिल हैं।

निपटान या कटौती के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में होने वाले परिवर्तन को विगत सेवा लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है।

ग) अवकाश नकदीकरण के रूप में **अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों** को अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के रूप में लेखाबद्ध किया गया है। अवकाश नकदीकरण के मामले में कंपनी का शुद्ध दायित्व लाभ की वह राशि है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पिछले वर्षों में अपनी सेवा के बदले अर्जित की है और जिसका निपटान भविष्य में किया जाना है। लाभ का वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए इसमें छूट दी जाती है। दायित्व को अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मापा जाता है। पुन: मापन को उस अवधि में जिसमें वे मापे गए हैं, लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है ।

घ) **अल्पकालिक लाभ**: पारिश्रमिक एवं वेतन और साथ ही गैर-मौद्रिक लाभों के लिए देयताओं, जो उस अवधि के अंत के बाद 12 माह के भीतर पूरी तरह से चुकता की जानी होती हैं जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, को कर्मचारी सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई है और देयताओं के चुकता होने पर व्यय होने वाली अपेक्षित राशि पर मापन किया गया है। देयताओं को बैलेंस शीट में अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्वों के रूप में दर्शाया गया है।

च. विदेशी मुद्रा लेनदेन (इंड एएस - 21)

प्रबंधन द्वारा प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा यानी कार्यात्मक मुद्रा जिसमें कंपनी का संचालन होता है, भारतीय रुपये (रुपये) निर्धारित की गई है । वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें:

i) विदेशी स्टेशनों से संबंधित विदेशी मुद्रा राजस्व और व्यय लेनदेन स्थापित मासिक दरों (प्रकाशित आईएटीए दरों के आधार पर) पर दर्ज किए जाते हैं। संबंधित माह के लिए परिवहन के लिए एयरलाइंस के साथ इंटरलाइन निपटान आईएटीए द्वारा प्रकाशित विनिमय दर पर किया जाता है।

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफ़ईडीएआई) द्वारा परिचालित विनिमय दर का उपयोग करके बदला जाता है। विदेशी मुद्रा लेनदेन की वसूली/निपटान और मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देयताओं के बदले जाने से उत्पन्न होने वाले लाभ/(नुकसान) को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है।

iii) 1 अप्रैल, 2016 से पूर्व होने वाली लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के संबंध में, दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के, अवधि के दौरान प्रारंभिक दर्ज की गई दरों से भिन्न दरों पर रिपोर्टिंग या निपटान, या विगत वित्तीय विवरण में दर्ज की गई दरों के कारण उत्पन्न विनिमय भिन्नता के प्रभाव को अब तक परिसंपत्तियों की लागत में वृद्धि या कटौती के रूप में दर्ज किया जाता है क्योंकि यह मूल्यह्रासयोग्य पूंजीगत संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित है साथ ही संबंधित संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है और अन्य मामलों में इस प्रकार कि भिन्नता को "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों अनुवाद अंतर खाते" में स्थानांतरित करके जमा किया जाता है, जिसे ऐसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों या देयताओं की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

वर्ष के अंत में उन ऋणों और अग्रिमों के लिए **विनिमय भिन्नता** पर विचार नहीं किया गया है जिनके लिए संदिग्ध प्रावधान मौजूद हैं क्योंकि उनकी वसूली अपेक्षित नहीं है।

छ. उधार लागत: (इंड एएस - 23)

उधार लागत जो सीधे अधिग्रहण, पूंजीगत कार्य-प्रगति सहित अर्हता प्राप्त परिसंपत्तियों के निर्माण के फलस्वरूप होती हैं, को परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में, परिसंपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग की शुरुआत की तारीख तक पूंजीकृत किया गया है।

अन्य ऋण लागतें उसी वर्ष में लिखी गई हैं जिसमें वे व्यय की गई हैं।

ज. प्रति शेयर आय (इंड एएस - 33)

प्रति शेयर मूल आय: अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर पश्चात वर्ष के लिए शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है।

प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय: बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिसमें ऐसे इक्विटी शेयर भी शामिल हैं जो सभी डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए गए होंगे, जब तक कि उन्हें प्रकृति में एंटी-डाइल्यूटिव न माना जाए द्वारा इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर पश्चात वर्ष के लिए शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना की जाती है।

झ. परिसंपत्तियों की क्षति (इंडएएस - 36)

परिशोधन के अधीन परिसंपत्तियों की समय-समय पर क्षति की समीक्षा की जाती है, जिसमें घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन के संकेत कि अग्रणीत (कैरिंग) राशि की वसूली संभव नहीं है, भी शामिल है। क्षति हानि को उस राशि की मान्यता दी गई है जिससे आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है।

वसूली योग्य राशि निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के टाइम वैल्यू और आस्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है जिसके लिए भविष्य के नकदी प्रवाह के अनुमानों को समायोजित नहीं किया गया है।

यदि किसी आस्ति (या नकदी उत्पादक इकाई) की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि से कम होने का अनुमान है, तो आस्ति (या नकदी पैदा करने वाली इकाई) की अग्रणीत (कैरिंग) राशि उसकी वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है। क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

जब कोई क्षति हानि बाद में व्युत्क्रम हो जाती है, तो आस्ति (या नकदी उत्पादक इकाई) की अग्रणीत (कैरिंग) राशि उसकी वसूली योग्य राशि के पुनरीक्षित अनुमान तक बढ़ जाती है, लेकिन ताकि बढ़ी हुई अग्रणीत (कैरिंग) राशि निर्धारित अग्रणीत (कैरिंग) राशि से अधिक न हो, यह निर्धारित किया गया जाएगा कि पूर्व-वर्षों में आस्ति (या नकदी उत्पादक इकाई) के लिए किसी प्रकार की क्षति हानि को मान्यता नही दी गई थी। क्षति हानि में व्युत्क्रमण को तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि उसकी गैर-वित्तीय परिसंपत्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि की क्षति हो गई है। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है, तो हानि का प्रावधान इंड एएस -36 के अनुसार किया जाता है।

ट. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं / पूंजीगत प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां (इंड एएस - 37)

प्रावधान जिनके मापन में पर्याप्त मात्रा में अनुमान शामिल होते हैं, को तब मान्यता दी जाती है जब अतीत की घटनाओं के परिणाम स्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है और यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा।

यदि धन के टाइम वैल्यू का प्रभाव महत्वपूर्ण है, तो मौजूदा कर-पूर्व दर का उपयोग करके प्रावधानों में छूट दी जाती है, जो उचित होने पर, दायित्व के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। इन अनुमानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा और समायोजन किया जाता है ताकि यह वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाएं। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

संभावित दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं का खुलासा एक नोट के माध्यम से किया गया है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन जिनके होने की पुष्टि एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटने या न घटने से होती है जो पूर्णतया कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं हैं।

आकस्मिक परिसंपत्तियां वे संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हुई हैं और जिनके होने की पुष्टि केवल भविष्य की एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं के घटने या न घटने से होती है जो पूर्णतया कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक आस्ति का खुलासा तब किया जाता है, जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है।

ठ. बिक्री हेतु धारित गैर-चालू परिसंपत्तियां और बंद परिचालन (इंड एएस-105)

परिसंपत्तियों को बिक्री हेतु धारित के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब अत्यधिक संभावना हो कि इनकी वसूली इनके निरंतर उपयोग के बजाय वर्तमान स्थिति में इसकी बिक्री के माध्यम से होगी। ऐसी परिसंपत्तियों का शुद्ध बही मूल्य, अचल संपत्तियों के ब्लॉक से अग्रेषित (कैरिंग) मूल्य या उचित मूल्य घटा विक्रय लागत, जो कम हो, पर "बिक्री हेतु धारित संपत्तियों" में स्थानांतरित किया जाता है। बिक्री हेतु धारित संपत्तियों को बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। एक बार जब आस्ति को बिक्री हेतु धारित संपत्ति में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो कोई मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाता है।

ड. अमूर्त परिसंपत्तियां (इंड एएस – 38)

अर्जित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है; प्रारंभिक मान्यता के बाद अमूर्त संपत्तियों को लागत घटा किसी भी संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि (यदि कोई हो) पर अग्रणीत किया जाता है। अमूर्त संपत्तियों के उपयोगी जीवन का मूल्यांकन तीन वर्षों के लिए किया जाता है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के वार्षिक लाइसेंस शुल्क, विकास, अद्यतनीकरण, कार्यान्वयन और रखरखाव संबंधी लागत राजस्व खाते में ली जाती है।

सेवानिवृत्ति या निपटान आय से होने वाले लाभ या हानि और परिसंपत्तियों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को लाभ एवं हानि विवरण में आय या व्यय के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब आस्ति की मान्यता रद्द कर दी गई हो।

ढ. वित्तीय साधन (इंड एएस – 109)

वित्तीय साधन एक ऐसा अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और अन्य इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

(i) वर्गीकरण

एक कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के अपने व्यवसाय मॉडल और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह पैटर्न के आधार पर अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करेगी जिसे बाद में परिशोधन लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य या लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

(ii) प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही, लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, लेनदेन लागत पर मान्यता दी जाती है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार होती है।

(iii) बाद का माप

बाद के माप के प्रयोजनों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(क) **परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां:** डेरिवेटिव और विशिष्ट निवेशों के अलावा एक वित्तीय आस्ति को, बाद में परिशोधन लागत पर तब मापा जाता है यदि यह व्यवसाय मॉडल के भीतर आती है जिसका उद्देश्य आस्ति को संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए रखना है और जिसकी वित्तीय आस्ति की संविदात्मक अवधि निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं जो बकाया मूलधन राशि पर मूल और ब्याज का एकमात्र भुगतान होता है।

(ख) **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां**: विशिष्ट निवेश वाली एक वित्तीय संपत्ति को बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि यह व्यवसाय मॉडल में आती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय संपत्ति विक्रय करने दोनों माध्यमों से पूरा होता है और जिसकी वित्तीय आस्ति की संविदात्मक अवधि निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं जो बकाया मूलधन राशि पर मूल और ब्याज का एकमात्र भुगतान होता है। कंपनी ने अपने निवेशों के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव किया है, जिसे उसके व्यवसाय मॉडल के आधार पर अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए इक्विटी साधनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) **लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति:** एक वित्तीय संपत्ति जिसमें डेरिवेटिव शामिल हैं, जिन्हें उपरोक्त किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य दिया जाता है।

(iv) मान्यता रद्द करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता मुख्य रूप से तब रद्द कर दी जाती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है या कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार स्थानांतरित कर दिए होते हैं।

(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्य और सभी पट्टा प्राप्य आदि वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षति हानि की माप और पहचान के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल के आधार पर हानि का आकलन करती है।

(vi) बट्टे खाते में डालना

एक वित्तीय आस्ति की सकल अग्रणीत (कैरिंग) राशि को (आंशिक या पूर्ण रूप से) इस सीमा तक बट्टे खाते में डाल दिया जाता है कि पुनर्प्राप्ति की कोई वास्तविक संभावना नहीं होती है। आम तौर पर ऐसा तब होता है जब कंपनी निष्कर्ष निकालती है कि प्रतिपक्ष के पास इतनी संपत्ति या आय के स्रोत नहीं हैं जो बट्टे-खाते के अधीन राशि चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न कर सकें। हालाँकि, बट्टे खाते में डाली गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ अभी भी देय राशि की वसूली के लिए कंपनी की प्रक्रियाओं के अनुपालन हेतु प्रवर्तन गतिविधियों के अधीन हो सकती हैं।

ख. वित्तीय देयताएं

(i) प्रारंभिक पहचान और माप

सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक रूप में उचित मूल्य पर और, ऋण और उधार और देय राशियों के मामले में, शुद्ध प्रत्यक्ष लेनदेन लागतों पर मान्यता दी जाती है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण और उधार और व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

(ii) वर्गीकरण

कंपनी द्वारा सभी वित्तीय देयताओं को वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें वित्तीय देयताओं को छोड़कर जिनकें लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है। डेरिवेटिव सहित ऐसी देयताओं को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाना होगा।

(iii) बाद में माप

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है, जैसा कि नीचे बताया गया है।

क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं:

प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति से ब्याज वाले ऋण और उधार को बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ एवं हानि विवरण में तब मान्यता दी जाती है जब देयताओं की मान्यता रद्द कर दी जाती है और उन्हें ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता दी जाती है। अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी छूट या प्रीमियम जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को संज्ञान में लेते हुए परिशोधन लागत की गणना की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ख) लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं:

लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार हेतु धारित वित्तीय देयताएं और लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निकट अवधि में उन्हें पुनः क्रय के प्रजोनार्थ व्यय किया जाता है। इस श्रेणी में प्रतिष्ठान द्वारा लिए गए डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं जो इंड एएस 109 द्वारा परिभाषित हेज रिलेशनशिप में हेजिंग साधनों में नहीं आते हैं। पृथक किए गए एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि वे प्रभावी हेजिंग साधनों की श्रेणी में नहीं आते। व्यापार हेतु धारित देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है।

(iv) मान्यता रद्द करना

किसी वित्तीय दायित्व की मान्यता तब रद्द की जाती है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है।

(v) वित्तीय साधनों का समायोजन (ऑफसेटिंग)

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का समायोजन (ऑफसेट) किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में दर्ज किया जाता है यदि मान्यता प्राप्त राशियों के समायोजन का वर्तमान में लागू-योग्य कानूनी अधिकार है और परिसंपत्तियों की वसूली के लिए शुद्ध आधार पर बेचने, और देयताओं को एक साथ बेचने का इरादा है।

त. <u>उचित मूल्य मापन (आईएनडी एएस - 113)</u>

प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर वित्तीय साधनों और विशिष्ट निवेशों (सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगियों के अलावा) को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

सभी परिसंपत्तियों और देयताओं जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य मापा या प्रकट किया गया है, उन्हें निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है, जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

स्तर 1: समरूप परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्त (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर 2: मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन-योग्य है।

स्तर 3: मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन-योग्य नहीं है।

आवर्ती आधार पर बैलेंस शीट में मान्यता दी जाने वाली आस्तिओं और देयताओं के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) यह निर्धारित करती है कि पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुए हैं या नहीं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए, प्रतिष्ठान ने आस्ति या देयता की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियां निर्धारित की हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

थ. <u>राजस्व मान्यता (इंड एएस-115)</u>

राजस्व को उस राशि पर मान्यता दी जाती है जो उस प्रतिफल को दर्शाती है जिस पर कंपनी ग्राहक को माल या सेवाएं अंतरित करने अर्थात ग्राहक को माल या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करने के विरुद्ध हकदार है। प्रदत्त सेवाओं के माल के विक्रय से प्राप्त राजस्व में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, प्रतिफल और छूट शामिल है।

<u>परिचालनों से आय</u>

क) कमरे, भोजन और पेय तथा बैंक्वेट: प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित किये जाने वाले लेनदेन मूल्य पर राजस्व को मान्यता दी जाती है। राजस्व में कमरे का राजस्व, भोजन और पेय पदार्थ की बिक्री तथा बैंक्वेट सेवाएँ शामिल हैं, जिन्हें कमरों के अधिभोग, भोजन और पेय पदार्थ के विक्रय और ग्राहक के साथ अनुबंध के अनुसार बैंक्वेट सेवाएँ प्रदान करने के बाद मान्यता दी जाती है। विक्रेताओं से प्राप्त क्रेडिट नोट को दावे की स्वीकृति/क्रेडिट नोट की प्राप्ति पर मान्यता दी जाती है।

ख) जगह और दुकान का किराया: किराये में मूलतः संपत्तियों पर खुदरा बिक्री और कार्यालय के लिए जगह किराये पर देने से अर्जित किराये का राजस्व शामिल होता है। किराये पर दिए जाने वाले ये संपर्क आम तौर पर अल्पकालिक प्रकृति के होते हैं। राजस्व को उस अवधि में मान्यता दी गई है जिसमें सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

ग) अन्य संबद्ध सेवाएं: लॉन्ड्री आय, संचार आय, स्वास्थ्य, क्लब आय और अन्य संबद्ध सेवाओं के संबंध में, राजस्व को प्रदान की गई सेवा के समय के अनुसार मान्यता दी गई है। शुद्ध मूल्यह्रास मूल्य पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की बिक्री/निपटान से होने वाले लाभ या हानि को गैर-परिचालन राजस्व या व्यय के रूप में लाभ और हानि के विवरण में लिया गया है।

घ) अन्य विषय:

i) रद्दी- विक्रय, कर्मचारियों को चिकित्सा हेतु प्रतिपूर्ति, अवकाश वेतन, आपूर्तिकर्ताओं से ब्याज के दावे, अन्य कर्मचारी दावे आदि को नकद आधार पर मान्यता दी जाती है।

ii) देय राशि के लिए देयता/दावों को प्राप्त किये गए दावों/बिलों की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

<u>अनुबंध शेष राशि</u> (1 अप्रैल 2018 से प्रभावी)

क) अनुबंध परिसंपत्तियां

ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवा के बदले में प्रतिफल के अधिकार को अनुबंध आस्ति कहते हैं। यदि कंपनी ग्राहक द्वारा भुगतान किए जाने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी ग्राहक को माल या

सेवाएं हस्तांतरित करती है, तो अनुबंध आस्ति को अर्जित प्रतिफल के लिए मान्यता दी जाती है जो सशर्त है।

ख) अनुबंध देयताएं

अनुबंध देयताएं एक ग्राहक को सेवाएं हस्तांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी ग्राहक से प्रतिफल लेती है। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहकों को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने पर अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत कार्य करती है तो अनुबंध देयताओं को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

i. **ब्याज**

प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके समय अनुपात के आधार पर ब्याज आय प्रोद्त की जाती है।

ii. **लाभांश**

कंपनी के राशि प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाने पर लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

द. पट्टे (इंड एएस - 116)

एक अनुबंध तब होता है, या इसमें पट्टा शामिल होता है, जब यह प्रतिफल के विरुद्ध चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को एक निश्चित अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

इस बात का आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी आकलन करती है कि क्या:

(i) अनुबंध में चिन्हित परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है।

(ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं।

(iii) कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग का निर्देश देने का अधिकार है।

पट्टे के शुरू होने की तारीख पर, कंपनी उपयोग-के-अधिकार वाली परिसंपत्ति ("आरओयू") और सभी पट्टा व्यवस्थाओं जिनमें वह एक पट्टेदार है, के लिए संबंधित पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें बारह महीने या उससे कम की अवधि वाले (अल्पकालिक पट्टे) और कम मूल्य के पट्टे शामिल नहीं हैं। इन अल्पकालिक और कम मूल्य वाले पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान स्ट्रैट लाइन के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है। पट्टा अनुबंध में पट्टा और गैर-पट्टा दोनों घटक शामिल हो सकते हैं। कंपनी अनुबंध में पट्टा और गैर-पट्टा घटकों को उनकी सापेक्ष कीमतों के आधार पर भुगतान आवंटित करती है और पट्टा लेखांकन मॉडल को केवल पट्टा घटकों पर लागू करती है।

उपयोग-के-अधिकार वाली परिसंपत्तियों को प्रारंभिक तौर पर लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों के लिए समायोजित पट्टा देनदारी की प्रारंभिक राशि, प्रारंभ तिथि पर या उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान, घटा प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन शामिल हैं। बाद में उन्हें संचित मूल्यह्रास और क्षति हानि घटा कर लागत पर मापा जाता है। पट्टा देयताओं के किसी भी पुन: मापन के लिए उपयोग-के-अधिकार वाली संपत्तियों को भी समायोजित किया जाता है। यदि कंपनी पट्टे पर दी गई संपत्तियों का स्वामित्व प्राप्त करने या पट्टा-अवधि के अंत में पट्टों के नवीनीकरण के लिए यथोचित रूप से निश्चित नहीं होती, तो मान्यता दी गई उपयोग-के-अधिकार वाली परिसंपत्तियों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन या पट्टे की अवधि से कम समय में अवशिष्ट मूल्य पर मूल्यह्रास कर दिया जाता है।

प्रारंभिक पट्टा देयता को पट्टा अवधि के दौरान किए जाने वाले पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य की गणना में, यदि पट्टे में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारण-योग्य नहीं है, तो कंपनी पट्टा प्रारंभ तिथि पर अपने बढ़े हुए ऋण दर का उपयोग करती है।

पट्टा अवधि में विस्तार विकल्पों के अधीन अवधियां शामिल हैं जिनके उपयोग के लिए कंपनी को समुचित निश्चितता है और इसमें शीघ्र समाप्ति विकल्पों के प्रभाव को बाहर रखा गया है जिनके लिए कंपनी को समुचित निश्चितता नहीं है कि वह विकल्प का उपयोग करेगी।

कंपनी द्वारा अपना आकलन परिवर्तित किये जाने की स्थिति में कि वह कोई विस्तार या समाप्ति विकल्प और कोई पट्टा संशोधन करती है, तो पट्टा देयताओं को संबंधित उपयोग-के-अधिकार की संपत्ति के अनुरूप समायोजन के साथ फिर से मापा जाता है। 'इन-सब्सटांस फिक्स्ड' भुगतानों को पट्टा देयताओं के लिए दर्ज किया जाता है।

पट्टा देयताओं और उपयोग-की-संपत्ति के अधिकार को तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया गया है और पट्टा भुगतान को कंपनी के नकदी प्रवाह के विवरण में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

- अल्पकालिक पट्टा भुगतान, कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टा भुगतान और परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो पट्टा देनदारियों के माप में शामिल नहीं हैं, परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं;
- मान्यता दी गई पट्टा देयताओं के ब्याज राशि के भुगतान परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह के भीतर 'प्रदत्त ब्याज' में शामिल है; और
- मान्यता दी गई पट्टा देयताओं की मूल राशि के लिए भुगतान वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं

इंड एएस 116 में परिवर्तित करना

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2019 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) दूसरे संशोधन नियमों के माध्यम से, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा मौजूदा पट्टा मानक, इंड एएस 17 पट्टों और अन्य व्याख्याओं के स्थान पर इंड एएस 116 पट्टों को अधिसूचित किया गया है। इंड एएस 116 में पट्टेदारों और पट्टेदारों दोनों के लिए पट्टों की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांत निर्धारित किया गए हैं। यह पट्टेदारों के लिए एकल, ऑन-बैलेंस शीट लीज अकाउंटिंग मॉडल पेश करता है। कंपनी में इंड एएस 116 को अपनाया गया है जो 1 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि से प्रभावी है और मानक इसके पट्टों पर संभवतः प्रारंभिक रूप से लागू करने के प्रभाव से लागू होंगे जिन्हें प्रारंभिक आवेदन की तारीख (1 अप्रैल, 2019) को मान्यता दी गई है। तदनुसार, कंपनी ने तुलनात्मक जानकारी पुनः उल्लिखित नहीं की है, इसके बजाय, इस मानक को प्रारंभिक रूप से लागू करने के संभावित प्रभाव को 1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार मान्यता दी गई है।

परिवर्तित करने के लिए, कंपनी ने इंड एएस 116 की आवश्यकताओं को उन पट्टों पर लागू नहीं करने का निर्णय लिया है जो परिसंपत्ति के वर्ग और पट्टों के अनुसार परिवर्तित करने की तारीख से 12 महीने के भीतर समाप्त हो रहे हैं, जिसके लिए पट्टे-दर-पट्टे के आधार पर अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है।

ध. **निर्माता का ऋण (नकद एवं गैर नकद प्रोत्साहन)**

निर्माता की ऋण पात्रता प्रोद्‌त आधार पर लेखाबद्ध की जाती है और 'अग्रिम' के विपरीत डेबिट द्वारा 'आकस्मिक राजस्व' में जमा किया जाता है; जब क्रेडिट पात्रता का उपयोग किया जाता है, तो 'अग्रिम' को किसी परिसंपत्ति को प्राप्त करने या व्यय करने के लिए बनाई गई देयता के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

न. **नकद और नकद समतुल्य**

नकद और नकद समतुल्य में बैंक में और हाथ में रोकड़ और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल होते हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन होते हैं।

प. **खंड रिपोर्टिंग**

परिचालन खंडों की रिपोर्ट मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप होती है।

निदेशक मंडल समूह के वित्तीय प्रदर्शन और स्थिति का आकलन करके रणनीतिक निर्णय लेता है तथा व्यवसाय खंड को समूह के इसके प्राथमिक खंड के रूप में मान्यता दी गई है।

फ. <u>नकदी प्रवाह विवरण</u>

नकदी प्रवाह विवरण , इंड एएस 7 के अनुसार, अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया जाता है, जिसके द्वारा नकदी से भिन्न किस्म के लेनदेन के प्रभावों, किसी अतींत या भावी परिचालन की नकद प्राप्तियों अथवा भुगतानों के स्थगन अथवा उपचय, एवं निवेश अथवा वित्तपोषण द्वारा नकदी प्रवाह से संबंद्ध आय अथवा व्यय मदों का लाभ अथवा हानि में समायोजन किया जाता है। कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाह को पृथक किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में हुए संशोधन के अनुरूप अतिरिक्त नियामक जानकारी

क) कंपनी के पास स्पष्ट स्वामित्व विलेख के साथ अचल संपत्तियां हैं। तदनुसार, जो अचल संपत्तियां तुलन पत्र की तिथि तक कंपनी के नाम पर दर्ज नहीं हैं उनके स्वामित्व विलेख से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है।

ख) कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है। तदनुसार, निवेश संपत्ति के उचित मूल्यांकन पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने किसी भी संपत्ति संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

घ) कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है। तदनुसार, अमूर्त संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है

ड़) कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को ऋण के रूप में कोई अग्रिम ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है।

च) 31 मार्च की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास पूंजीगत- प्रगतिशील-कार्य है। तदनुसार, पूंजीगत- प्रगतिशील- कार्य की अवधि और समापन समय-सारणी पर रिपोर्टिंग नीचे दी गई है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत-प्रगतिशील-कार्य की अवधि समय-सारणी (जैसा कि प्रबंधन द्वारा हस्तचालित बिलवार और पक्षवार निकाली गई है)

31 मार्च, 2023 तक पूंजीगत-प्रगतिशील- कार्य	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं	-	1.65	-	-	1.65
अस्थायी रूप से निलंबित योजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	-	1.65	-	-	1.65

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत-प्रगतिशील-कार्य की अवधि समय-सारणी (जैसा कि प्रबंधन द्वारा हस्तचालित बिलवार और पक्षवार निकाली गई है)

31 मार्च, 2022 तक पूंजीगत-प्रगतिशील- कार्य	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं	8.80	-	-	-	8.80
अस्थायी रूप से निलंबित योजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	8.80	-	-	-	8.80

छ) कंपनी के पास विकासाधीन कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है। तदनुसार, विकास अवधि बढ़ने और पूर्णता की समय-सारणी के अंतर्गत अमूर्त संपत्तियों पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ज) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जिसके लिए कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

झ) कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है

ट) कंपनी को वर्ष के दौरान बैंक या वित्तीय संस्थान या ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ठ) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है।

ड) कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी है।

ढ) कंपनी का सहायक कंपनियों में कोई निवेश नहीं है। तदनुसार, कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन लागू नहीं है।

त) व्यवस्थाओं की अनुमोदित योजना(योजनाओं) के अनुपालन के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

थ) कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या कंपनी (कंपनियों) को इस समझ के साथ अग्रिम राशि या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ:

(i) कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से चिन्हित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा।

(ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करेगा।

द) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति या कंपनी से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी:

(i) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से चिन्हित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगी या निवेश करेगी या

(ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसा कुछ भी प्रदान करेगी।

ध) कंपनी में ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो लेखा बहियों में दर्ज नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अध्यार्पित या खुलासा किया गया हो।

न) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

प) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

नोट 2ए और 2बी: संपत्ति संयंत्र और उपकरण

(रु. मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
		अप्रैल 01, 2022 तक	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	मार्च 31, 2023 तक	अप्रैल 01, 2022 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	मार्च 31, 2023 तक कुल	मार्च 31, 2023 तक	मार्च 31, 2022 तक
	मूर्त परिसंपत्तियां : (नोट 2ए)										
1	भूमि (पट्टे पर ली गई)	1.68	-	1.68	-	0.17	-	0.17	-	**-**	1.51
2	भवन एवं स्वामित्व फ्लैट	326.52	1.23	61.94	265.80	181.83	6.75	12.56	176.02	**89.78**	144.69
3	संयत्र एवं मशीनरी	59.04	5.58	18.91	45.71	38.05	2.30	9.61	30.73	**14.97**	20.99
4	फर्नीचर व फिक्सचर	4.06	0.45	0.57	3.94	3.04	0.25	0.24	3.04	**0.90**	1.02
5	कार्यालय उपकरण, विद्युत संस्थापन आदि	33.96	0.91	0.63	34.24	26.46	2.25	0.29	28.43	**5.81**	7.49
6	वाहन	17.34	7.87	0.30	24.91	4.54	4.02	0.08	8.48	**16.43**	12.80
7	ऑब्जेक्ट डी'आर्ट.	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-	-	**0.00**	0.00
8	कंप्यूटर	0.97	1.80	0.50	2.28	0.70	0.31	0.39	0.62	**1.66**	0.28
	मूर्त परिसंपत्तियों के लिए कुल योग	**443.57**	**17.85**	**84.53**	**376.88**	**254.78**	**15.89**	**23.34**	**247.33**	**129.55**	188.79
	अमूर्त परिसंपत्तियां : (नोट 2बी)	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए कुल योग	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	कुल परिसंपत्तियां	**443.57**	**17.85**	**84.53**	**376.88**	**254.78**	**15.89**	**23.34**	**247.33**	**129.55**	188.79
	पिछला वर्ष	433.99	7.08	(4.52)	436.56	227.58	16.46	(4.33)	239.70	196.85	206.41

* ऑब्जेक्ट डी आर्ट में पुरानी परसिंपत्तियां शामलि हैं, जनिका पूरण मूल्यहरास हो जाने के कारण 1 रुपये प्रतकि अवशष्टि मूल्य पर दर्शाया गया है।

** वर्ष 1981-82 के दौरान खरीदे गए शीर-ए-पंजाब सोसाइटी अंधेरी मुंबई में 0.89 मिलियन रुपये की लागत वाले 4 फ्लैटों के संबंध में स्वामित्व दस्तावेज निगम के पक्ष में निष्पादित नहीं किए गए हैं।

शीर्षक विलेखों के निष्पादन पर होने वाले व्यय का लेखा निष्पादन वर्ष में किया जाएगा, क्योंकि इन व्ययों का पता नहीं लगाया जा सकता।

नोट 2सी: प्रगति पर पूंजीगत कार्य

प्रगति पर पूंजीगत कार्य	8.80		7.15	**1.65**	

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत प्रगतिशील कार्य आयु निर्धारण अनुसूची (प्रबंधन द्वारा मैन्युअल रूप से बिलवार और पार्टीवार प्राप्त)

31 मार्च 2023 तक प्रगति पर पूंजीगत कार्य	**सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि**				
	एक वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
प्रगति पर परियोजनाएं		1.65			1.65
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं					-
कुल		1.65	-	-	1.65

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत प्रगतिशील कार्य आयु निर्धारण अनुसूची (प्रबंधन द्वारा मैन्युअल रूप से बिलवार और पार्टीवार प्राप्त)

31 मार्च 2022 तक प्रगति पर पूंजीगत कार्य	**सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि**				
	एक वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
प्रगति पर परियोजनाएं	8.80				8.80
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं					-
कुल	8.80	-	-	-	8.80

नोट 3 - परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार

₹ मिलियन में

विवरण	पट्टा-भूमि	कुल
01 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	**349.28**	**349.28**
- अन्य अधिग्रहण	-53.37	-53.37
इंड 116 का संक्रमण प्रभाव	0.00	0.00
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	**295.92**	**295.92**
-अन्य अधिग्रहण	-1.66	-1.66
IND 116 का संक्रमण प्रभाव	0.00	0.00
31 मार्च 2023 तक शेष राशि	**294.26**	**294.26**
परिशोधन और हानि		
01 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	**55.33**	**55.33**
-वर्ष के लिए परिशोधन प्रभार	13.80	13.80
इंड 116 का संक्रमण प्रभाव		
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	**69.13**	**69.13**
- वर्ष के लिए परिशोधन प्रभार	22.93	22.93
IND 116 का संक्रमण प्रभाव		
31 मार्च 2023 तक शेष राशि	**92.06**	**92.06**
अग्रेषित मूल्य (केरींग वैल्यू)		
31 मार्च 2021 को	**293.96**	**293.96**
31 मार्च, 2022 को	**226.79**	**226.79**
31 मार्च 2023 को	**202.20**	**202.20**

नोट 4 - गैर चालू परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2023 तक ₹ मिलियन में	31 मार्च 2022 तक ₹ मिलियन में
12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमाराशियां	2.30	3.26
कुल	**2.30**	**3.26**

नोट 5 - अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2023 तक ₹ मिलियन में	31 मार्च 2022 तक ₹ मिलियन में
असुरक्षित माना जाने वाला माल		
सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष राशि	6.74	7.74
पूर्वदत्त व्यय		
कर्मचारियों को अग्रिम		
उप-योग (ए)	**6.74**	**7.74**
अन्य ऋण और जमा		
सार्वजनिक निकायों और विविध पक्षों के पास जमा राशि	7.74	8.24
सुरक्षा जमा	1.44	1.39
असुरक्षित (शंकास्पद माने जाने वाले)		
सुरक्षा जमा		
	9.18	9.63
घटाएँ:- खराब और शंकास्पद परिसंपत्तियों के लिए भत्ता		
उप-योग (बी)	**9.18**	**9.63**
कुल (ए+बी)	**15.92**	**17.37**

खराब एवं शंकास्पद परिसंपत्तियों के लिए भत्ते में उतार-चढ़ाव इस प्रकार है:

वर्ष के आरंभ में शेष राशि		
वर्ष के दौरान खराब और शंकास्पद परिसंपत्तियों के लिए भत्ता		
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया		
वर्ष के अंत तक शेष राशि		

नोट 6 - वस्तुसूची

विवरण	31 मार्च 2023 तक ₹ मिलियन में	31 मार्च 2022 तक ₹ मिलियन में
कच्चे माल/खाद्य एवं पेय पदार्थों का स्टॉक	2.66	1.69
भंडारगृह मालसूची का स्टॉक	6.95	6.35
परिचालन आपूर्ति का स्टॉक	2.04	3.38
कुल	**11.65**	**11.42**

नोट 7 - व्यापार प्राप्य

विवरण	31 मार्च 2023 तक ₹ मिलियन में	31 मार्च 2022 तक ₹ मिलियन में
असुरक्षित, अच्छा माना गया	38.42	7.68
असुरक्षित, शंकास्पद माना गया	79.99	79.99
	118.41	**87.67**
घटाएँ: अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता	8.00	8.00
कुल	**110.41**	**79.67**

अपेक्षित ऋण हानि हेतु भत्ते में परिवर्तन निम्नानुसार है:

वर्ष के आरंभ में शेष राशि	**79.99**	**88.24**
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान		
घटाएँ: एकत्रित राशि/प्रावधान का प्रत्यावर्तन		8.25
वर्ष के अंत तक शेष राशि	**79.99**	**79.99**

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची (प्रबंधन द्वारा बिलवार और पार्टीवार मैन्युअल रूप से प्राप्त)

₹ मिलियन में

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						कुल
	देय नहीं	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष तक	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाने वाला		38.29	32.74	24.26	15.55	7.57	118.41
निर्विवाद व्यापार प्राप्य- जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							
अविवादित व्यापार प्राप्य- ऋण क्षति							
विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माने जाने वाले							
विवादित व्यापार प्राप्य- जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है							
विवादित व्यापार प्राप्य- ऋण क्षति							
कुल	-	38.29	32.74	24.26	15.55	7.57	118.41
घटाएँ: अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता							
कुल व्यापार प्राप्य	**-**	**38.29**	**32.74**	**24.26**	**15.55**	**7.57**	**118.41**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची। (प्रबंधन द्वारा मैन्युअल रूप से बिलवार और पार्टीवार प्राप्त की गई)

₹ मलियिन में

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						कुल
	देय नहीं	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष तक	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाने वाला		10.43	17.45	13.58	46.21	-	87.67
अविवादित व्यापार प्राप्य- जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है							
अविवादित व्यापार प्राप्य- ऋण क्षति							
विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माने जाने वाले							
विवादित व्यापार प्राप्य- जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है							
विवादित व्यापार प्राप्य- ऋण क्षति							
कुल	-	10.43	17.45	13.58	46.21	-	87.67
घटाएँ: अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता							
कुल व्यापार प्राप्य	**-**	**10.43**	**17.45**	**13.58**	**46.21**	**-**	**87.67**

नोट 8 - नकदी व नकदी समकक्ष

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
	₹ मिलियन में	₹ मिलियन में
बैंकों के पास शेष राशि		
चालू खातों में	7.26	31.78
हाथ रोकड़	0.08	0.09
3 महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमाराशियां	1.05	20.60
कुल	**8.39**	**52.47**

नोट 9 - नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
	₹ मिलियन में	₹ मिलियन में
मार्जिन जमा राशि	0.44	0.44
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियां	37.10	79.35
कुल	**37.54**	**79.79**

नोट 10 - अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
	₹ मिलियन में	₹ मिलियन में
पार्टियों से वसूली योग्य अग्रिम राशि		
असुरक्षित अच्छा माना जाने वाला	13.41	13.41
असुरक्षित शंकास्पद माना जाने वाला	245.90	177.24
ब्याज प्रोद्त किन्तु बकाया नहीं	0.14	0.78
अन्य प्राप्य राशि	6.23	7.04
कर्मचारियों से वसूली योग्य अग्रिम राशि	2.74	3.53
	268.42	**202.01**
घटाएँ : शंकास्पद अग्रिम/प्राप्य के लिए भत्ता	173.62	173.62
कुल	**94.80**	**28.39**

नोट 11 - वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
	₹ मिलियन में	₹ मिलियन में
सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष राशि		
आयकर और टीडीएस का अग्रिम भुगतान	48.99	52.40
कुल	**48.99**	**52.40**

नोट 12 - अन्य चालू परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
	₹ मिलियन में	₹ मिलियन में
अंतरिम राहत के लिए अग्रिम	70.15	65.64
वेतन पुनरीक्षण के लिए अग्रिम (यूनियन)	34.48	34.48
पूर्वदत्त व्यय	2.88	3.65
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	4.43	1.20
अन्य अग्रिम	1.56	1.10
कुल	**113.50**	**106.07**

नोट 13-इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
	₹ मिलियन में	₹ मिलियन में
अधिकृत शेयर पूंजी		
150,00,000 (प्रति वर्ष - 150,00,000) रु. 100/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर	1,500	1,500
	1,500.00	**1,500.00**
जारी, सब्सक्राइब्ड और पूर्णतः प्रदत्त शेयर		
1,37,60,000 (प्रति वर्ष. - 137,60,000) इक्विटी शेयर 100/- रुपये प्रत्येक	1,376	1,376
	1,376.00	**1,376.00**

क. इक्विटी शेयर पूंजी में उतार-चढ़ाव

वर्ष के दौरान, कंपनी ने न तो कोई शेयर जारी किया है और न ही कोई शेयर वापस खरीदा है।

ख. इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें और अधिकार:

कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिसका पारमूल्य 100 रुपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश घोषित और उसका भुगतान करती है।

परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में, सभी अधिमान्य राशि के वितरण के बाद शेष बची कंपनी की परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

13.बी. होल्डिंग कंपनी और भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित शेयर

कंपनी द्वारा जारी इक्विटी शेयरों में से, इसकी होल्डिंग कंपनी और भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित शेयर निम्नानुसार हैं:

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
भारत के राष्ट्रपति	27,00,000.00	27,00,000.00
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) और उसके नामित व्यक्ति	1,10,60,000.00	1,10,60,000.00

13.सी. कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2023		31 मार्च 2022	
	Nos	%	Nos	%
भारत के राष्ट्रपति	27,00,000	19.62%	27,00,000	19.62%
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) और इसके नामित व्यक्ति	1,10,60,000	80.38%	1,10,60,000	80.38%
कुल	**1,37,60,000**	**100%**	**1,37,60,000**	**100%**

नोट 14 - ऋण

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
	₹ मिलियन में	₹ मिलियन में
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	5,482.32	5,029.59
कुल	**5,482.32**	**5,029.59**

नोट 15 - दीर्घकालिक पट्टा देयताएं

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
	₹ मिलियन में	₹ मिलियन में
दीर्घकालिक पट्टा देयता	360.12	336.47
कुल	**360.12**	**336.47**

नोट 16 - दीर्घकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
	₹ मिलियन में	₹ मिलियन में
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	48.24	92.28
ग्रेच्युटी का प्रावधान	138.28	202.44
पीआरएमएस के लिए प्रावधान	177.52	186.64
बीमारी अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	10.43	
सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ योजना अंशदान	0.00	12.72
कुल	**374.47**	**494.08**

नोट 17 - अल्पावधि पट्टा देयता

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
	₹ मिलियन में	₹ मिलियन में
अल्पावधि पट्टा देयता	29.75	27.79
देय पट्टा किराया	581.40	563.80
कुल	**611.15**	**591.59**

नोट 18 - व्यापार देय

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
	₹ मिलियन में	₹ मिलियन में
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की बकाया राशि	35.98	10.36
अन्य व्यापार देय	41.07	24.29
कुल	**77.05**	**34.64**

नोट:

(i) "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का निर्धारण प्रबंधन द्वारा एकत्रित सूचना के आधार पर ऐसी पार्टियों को चिन्हित करके किया गया है।

(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से संबंधित खुलासे निम्नानुसार हैं:

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
	₹ मिलियन में	₹ मिलियन में
(क) लेखा वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को अदा नहीं की गई मूल राशि	35.98	10.36
(ख) लेखा वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को भुगतान नही किया गया ब्याज	-	-
(ग) धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	-	-
(घ) वर्ष के लिए बकाया और भुगतान योग्य ब्याज की राशि	-	-
(ई) लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त शेष ब्याज की राशि	-	-
(च) आगामी वर्ष में भी उस तारीख तक बकाया और भुगतान योग्य ब्याज की राशि, जब तक कि उपर्युक्त ब्याज की बकाया राशि वास्तव में चुकाई नहीं जाती।	-	-

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार देय आयु निर्धारण अनुसूची (प्रबंधन द्वारा मैन्युअल रूप से बिलवार और पार्टीवार प्राप्त)

(रु.मिलियन में)

Particulars	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
(i) एमएसएमई	-	26.51	9.18	0.21	0.08
(ii) अन्य	-	13.58	11.13	7.18	9.18
(iii) विवादित बकाया- एमएसएमई					
(iv) विवादित बकाया- अन्य					
कुल व्यापार देय	**-**	**40.09**	**20.31**	**7.39**	**9.26**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार देय आयु निर्धारण अनुसूची (प्रबंधन द्वारा मैन्युअल रूप से बिलवार और पार्टीवार प्राप्त)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
(i) एमएसएमई	-	10.36			
(ii) अन्य	-	21.66	2.03	0.08	0.52
(iii) विवादित बकाया- एमएसएमई					
(iv) विवादित बकाया- अन्य					
कुल व्यापार देय	**-**	**32.02**	**2.03**	**0.08**	**0.52**

नोट 19 - अन्य चालू वित्तीय देयताएं

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
	₹ मिलियन में	₹ मिलियन में
कर्मचारियों को देय	45.58	34.92
अन्य देय	80.26	34.52
बयाना राशि	4.63	4.03
विक्रेताओं से सुरक्षा जमा	1.43	1.74
वेतन पुनरीक्षण बकाया का प्रावधान	146.36	146.36
दुकान व अन्य जमा	22.79	23.73
कुल	**301.05**	**245.31**

नोट 20 - चालू - अन्य चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
	₹ मिलियन में	₹ मिलियन में
वैधानिक देयताएं	121.48	35.71
बकाया देयताएं	3.56	3.73
अंतरिम राहत के लिए प्रावधान	67.69	66.81
अन्य अग्रिम	6.83	2.33
अन्य	54.30	46.41
कुल	**253.86**	**154.99**

नोट 21 - अल्पावधि प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
	₹ मिलियन में	₹ मिलियन में
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
अवकाश - अल्पावधि	14.66	24.29
ग्रेच्युटी - अल्पावधि	106.55	75.13
पीआरएमएस के लिए प्रावधान	15.87	7.75
बीमारी की छुट्टी - अल्पावधि	4.03	
कुल	**141.11**	**107.16**

नोट 22. परिचालन से राजस्व

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
होटल और फ्लाइट की रसोई से राजस्व		
कमरे - अतिथि आवास	130.40	120.58
भोजन, सिगार और सिगरेट	321.40	93.11
अन्य सेवाएं	79.98	45.02
दुकानों और कार्यालयों के लिए लाइसेंस शुल्क	5.57	4.05
कुल	**537.35**	**262.77**

नोट 23 :. अन्य आय

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	3.15	12.24
परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ	-	0.01
वापस लिखी गई (रिटन बैक) अतिरिक्त प्रावधान	2.17	74.73
विविध शेष राशि वापस लिखी गई (शुद्ध)	(0.02)	0.70
अन्य	4.67	1.91
कुल	**9.97**	**89.59**

नोट 24 : उपभुक्त कच्चे माल की लागत

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
उपभुक्त भोजन (सिगार और सिगरेट सहित)		
आरंभिक स्टॉक	1.69	2.70
जोड़ें: खरीदारी	124.43	56.56
घटाएँ: अंतिम स्टॉक	(2.66)	(1.69)
	123.46	**57.57**
उपभुक्त पेय पदार्थ		
आरंभिक स्टॉक	-	-
जोड़ें: खरीदारी	-	-
घटाएँ: अंतिम स्टॉक	-	-
	-	**-**
भंडार और आपूर्ति की खपत		
आरंभिक स्टॉक	6.73	6.73
जोड़ें: खरीदारी	8.72	2.98
घटाएँ: अंतिम स्टॉक	(6.95)	(6.35)
	8.50	**3.35**
उपभुक्त कच्चे माल की लागत	**131.96**	**60.92**

नोट 25 : कर्मचारी लाभ

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, बोनस	345.80	341.68
ग्रेच्युटी	25.36	26.19
अवकाश नकदीकरण	(19.53)	17.25
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	16.87	16.19
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान	36.34	36.01
कर्मचारी कल्याण व्यय	13.33	10.45
कुल	**418.17**	**447.76**

नोट 26 : वित्तीय लागत

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
होल्डिंग कंपनी से ऋण पर ब्याज	452.66	482.75
वैधानिक बकाया पर ब्याज	0.60	0.06
पट्टा देयता पर ब्याज	27.64	17.84
ब्याज- अन्य	0.90	0.65
कुल	**481.80**	**501.30**

नोट 27 : अन्य व्यय

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली और ईंधन	78.62	83.59
पट्टा किराया	16.86	15.30
सुरक्षा शुल्क	10.77	13.58
मरम्मत और रख रखाव:		-
भवन	4.69	3.64
संयंत्र एवं मशीनरी	3.82	4.94
अन्य	9.75	7.26
विविध व्यय	7.78	4.68
यात्रा एवं परिवहन:		-
यात्रा व्यय	1.46	0.36
परिवहन	0.44	0.31
किराया शुल्क	0.11	-
वाहन व्यय	6.65	1.95
सॉफ्ट फर्निशिंग	2.99	1.71
दरें और कर	9.03	8.24
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	2.46	1.33
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	13.74	9.42
संचार लागत	1.35	0.93
बीमा	3.88	2.91
विज्ञापन और प्रचार	0.38	0.56
आयोग	4.77	0.08
लेखा परीक्षक को भुगतान (नीचे नोट देखें)	0.29	0.31
अतिथि परिवहन	0.33	0.23
शंकास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.23	-
कुल	**180.40**	**161.32**

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ऑडिट फीस के लिए	0.27	0.27
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.02	0.05
	0.29	**0.31**

नोट 28 : अन्य व्यापक आय

विवरण	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ऑडिट फीस के लिए	0.43	(16.65)
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	17.78	22.26
	18.21	**5.61**

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अंगभूत टिप्पणियां

(रूपये लाख में, यदि अन्यथा उल्लिखित न हो)

29 कर्मचारी लाभ

क. परिभाषित अंशदान योजना:

भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की परिभाषित योगदान योजना में अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में दर्ज किया गया है, 36.34 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 36.01 मिलियन रुपये)

ख. परिभाषित लाभ योजना:

ग्रेच्युटी: ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर कंपनी के सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देय है।

ग. विशेषाधिकार अवकाश नकदीकरण: विशेषाधिकार अवकाश नकदीकरण सभी पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/सेवा-समाप्ति के समय अधिकतम 300 दिनों तक देय है।

घ. विशेषाधिकार बीमारी छुट्टी नकदीकरण: विशेषाधिकार बीमारी छुट्टी नकदीकरण सभी पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/समाप्ति के समय अधिकतम 120 दिनों तक देय है।

ङ.· सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना: सभी स्थायी कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति के समय इस योजना का विकल्प चुनते हैं, को सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना देय है। स्वयं और जीवनसाथी के पूरे जीवनकाल के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम 10 लाख रुपये तक है

च. इंड एएस-19 के अनुरूप प्रकटीकरण

क्रमांक	विवरण	ग्रेच्युटी	
		31.03.23 तक	**31.03.22 तक**
क)	लाभ का प्रकार	ग्रेच्युटी	ग्रेच्युटी
	देश	भारत	भारत
	रिपोर्टिंग मुद्रा	भारतीय रुपया	भारतीय रुपया
	रिपोर्टिंग मानक	भारतीय लेखा मानक 19 (इंड एएस 19)	भारतीय लेखा मानक 19 (इंड एएस 19)
	वित्त पोषण की स्थिति	वित्तपोषित नहीं	वित्तपोषित नहीं
	प्रारंभिक अवधि	01-Apr-22	01-Apr-21
	रिपोर्टिंग की तिथि	31-Mar-23	31-Mar-22
	रिपोर्टिंग की अवधि	12 माह	12 माह
	आर.ई.एफ़ आईडी	816489	641332
ख)	**अनुमान (पूर्व अवधि)**		
	योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	N.A.	N.A.
	छूट की दर	7.29%	6.41%
	वेतन वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
	कर्मचारी कारोबार की दर	4.00%	4.00%
	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	निश्चित भारतीय जीवन मृत्यु दर (2012-14) अंतिम	निश्चित भारतीय जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

ग)	**धारणाएँ (वर्तमान अवधि)**		
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	लागू नहीं	लागू नहीं
	छूट की दर	7.29%	6.41%
	वेतन वृद्धि दर	5.00%	5.00%
	कर्मचारी कारोबार की दर	4.00%	4.00%
	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	निश्चित भारतीय जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी)	निश्चित भारतीय जीवन मृत्यु दर (2012-14) अंतिम
घ)	**तालिका में अनुमानित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को दर्शाया गया है**		
	अवधि की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**277.56**	**294.57**
	ब्याज लागत	17.79	17.85
	वर्तमान सेवा लागत	7.57	8.34
	पूर्व सेवा लागत	-	-
	भीतर अंतरित देयता / अधिग्रहण	-	-
	(बाह्य अंतरित देयता / विनिवेश)	-	-
	कटौती पर (लाभ) / हानि	-	-
	(निपटान पर समाप्त देयताएं)	-	-
	(नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष प्रदत्त लाभ)	(57.67)	(59.85)
	(निधि से प्रदत्त लाभ)	-	-
	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
	जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण- दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	(0.03)
	वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण - दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(42.27)	(29.10)
	अनुभव के कारण- दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	38.02	19.68
	अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**244.83**	**277.56**
ड़)	**तालिका में योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाया गया है**		
	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
	ब्याज आय	-	-
	नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-
	कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	-	-
	परिसंपत्तियों का भीतर हस्तांतरण/अधिग्रहण	-	-
	(परिसंपत्तियों का बाह्य हन्तान्तरण / विनिवेश)	-	-
	(निधि से प्रदत्त लाभ)	-	-
	(निपटान पर वितरित परिसंपत्तियां)	-	-
	(लाभ दायित्वों के प्रबंधन के लिए व्यय और कर- निधि से भुगतान)	-	-
	परिसंपत्ति सीमा के प्रभाव	-	-
	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न, ब्याज आय सम्मिलित नहीं,	-	-
	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-

च)	**तुलन पत्र में मान्यता दी गई राशि**		
	(अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य)	(244.83)	(277.56)
	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
	वित्तपोषित स्थिति (अधिशेष/(घाटा))	(244.83)	(277.56)
	तुलन पत्र में मान्यता दी गई शुद्ध (देयता)/संपत्ति	**(244.83)**	(277.56)
छ)	**वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत**		
	अवधि की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	277.56	294.57
	(अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य)	-	-
	प्रारंभ में शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	277.56	294.57
	ब्याज आय	17.79	17.85
	ब्याज आय)		
	वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत	**17.79**	**17.85**
ज)	**लाभ या हानि विवरण में वर्तमान अवधि के लिए मान्यता दिया गया व्यय**		
	वर्तमान सेवा लागत	7.57	8.34
	शुद्ध ब्याज लागत	17.79	17.85
	पूर्व सेवा लागत	-	-
	(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित योगदान)	-	-
	कटौती और निपटान पर (लाभ)/हानि	-	-
	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
	मान्यता दिए गए व्यय	**25.36**	**26.19**
झ)	**वर्तमान अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दिए गए व्यय**		
	अवधि के लिए दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.43)	16.65
	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न, ब्याज आय सम्मिलित नहीं	-	-
	परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन	-	-
	अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	**(0.43)**	**16.65**
ट)	**तुलन पत्र मिलान**		
	प्रारंभिक शुद्ध देयता	**277.56**	**294.57**
	लाभ या हानि विवरण में मान्यता दिया गया व्यय	25.36	26.19
	अन्य व्यापक आय में मान्यता दिया गया व्यय	(0.43)	16.65
	भीतर अंतरित शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	-	-
	बाह्य अंतरित शुद्ध (देयता)/परिसंपत्ति	-	-
	(नियोक्ता द्वारा सीधे प्रदत्त लाभ)	(57.67)	(59.85)
	(नियोक्ता का अंशदान)	-	-
	तुलन पत्र में मान्यता दी गई शुद्ध देनदारी/(परिसंपत्ति)	**244.83**	**277.56**

ठ)	<u>परिसंपत्ति की श्रेणी</u>		
	भारत सरकार की परिसंपत्तियां	-	-
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	-
	विशेष जमा योजना	-	-
	ऋण उपकरण	-	-
	कॉरपोरेट बॉन्ड	-	-
	नकद एवं नकद समकक्ष	-	-
	बीमा निधि	-	-
	परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां	-	-
	संरचित ऋण	-	-
	अन्य	-	-
	कुल	-	-
ड)	<u>**अन्य विवरण**</u>		
	सक्रिय सदस्यों की संख्या	386	460
	सक्रिय सदस्यों हेतु प्रति माह वेतन (000)	16.07	17.97
	अनुमानित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	3.00	4.00
	औसत अपेक्षित भविष्य सेवा	3.00	5.00
	अनुमानित लाभ दायित्व	244.83	277.56
	अगले वर्ष में अपेक्षित अंशदान	-	-
ढ)	<u>**अगले वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत**</u>		
	अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	244.83	277.56
	(अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य)	-	-
	अवधि के अंत में शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	244.83	277.56
	ब्याज लागत	17.85	17.79
	(ब्याज आय)	-	-
	अगले वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत	**17.85**	**17.79**
त)	<u>**लाभ या हानि विवरण में अगले वर्ष के लिए मान्यता दिए गए व्यय**</u>		
	वर्तमान सेवा लागत	4.89	7.57
	शुद्ध ब्याज लागत	17.85	17.79
	(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान)	-	-
	मान्यता दिए गए व्यय	**22.74**	**25.36**
थ)	<u>**लाभ भुगतान का परिपक्वता विश्लेषण:**</u>		
	रिपोर्टिंग तिथि से भावी वर्षों में देय अनुमानित लाभ		
	प्रथम आगामी वर्ष	106.55	75.13
	दूसरा आगामी वर्ष	39.44	28.33
	तीसरा आगामी वर्ष	32.16	49.10
	चौथा आगामी वर्ष	16.42	37.75
	पांचवा आगामी वर्ष	20.94	22.72
	6 से 10 वर्षों का योग	64.87	100.82
	11 और उससे अधिक वर्षों का योग	7.88	32.67

द)	**संवेदनशीलता विश्लेषण**		
	वर्तमान धारणाओं पर अनुमानित लाभ दायित्व	**244.83**	**277.56**
	छूट की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(4.54)	(8.16)
	छूट की दर में -1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	4.82	8.76
	वेतन वृद्धि की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	4.88	8.80
	वेतन वृद्धि की दर में -1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(4.68)	(8.35)
	कर्मचारी टर्नओवर की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	0.38	0.48
	कर्मचारी टर्नओवर की दर में -1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	0.40	(0.50)

अन्य सभी धारणाओं को स्थिर रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उत्पन्न संबंधित धारणाओं के उचित संभावित परिवर्तनों के आधार पर संवेदनशीलता विश्लेषण निर्धारित किया गया है।

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण अनुमानित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन नहीं दर्शाता हो सकता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि धारणाओं में परिवर्तन एक दूसरे से अलगाव में ही होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं।

इसके अलावा, उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण की प्रस्तुति में, अनुमानित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति के उपयोग के साथ की गई है, जिसका उपयोग तुलन पत्र में मान्यता दी गई अनुमानित लाभ दायित्व की गणना के लिए किया गया है।

पिछले वर्षों की तुलना में संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में उपयोग की जाने वाली विधियों और धारणाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

II **सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ**

क्र.सं.	**विवरण**	**सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ**	
		31.03.23 तक	**31.03.22 तक**
क)	**लाभका प्रकार**	चिकित्सा	चिकित्सा
	देश	भारत	भारत
	रिपोर्टिंग मुद्रा	भारतीय रुपया	भारतीय रुपया
	रिपोर्टिंग मानक	भारतीय लेखा मानक 19 (इंड एएस 19)	भारतीय लेखा मानक 19 (इंड एएस 19)
	वित्तपोषण स्थिति	वित्तपोषित नहीं	वित्तपोषित नहीं
	शुरू करने की अवधि	01-Apr-22	01-Apr-21
	रिपोर्टिंग की तिथि	31-Mar-23	31-Mar-22
	रिपोर्ट करने की अवधि	12 महीने	12 महीने
	संदर्भ पहचान पत्र	825585	0
ख)	**धारणाएं (पिछली अवधि)**		
	योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
	छूट की दर	7.40%	6.83%
	चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति	4.00%	4.00%
	कर्मचारी पण्यावर्त दर	2.00%	2.00%
	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	निश्चित भारतीय जीवन मृत्यु दर (2012-14) शहरी	निश्चित भारतीय जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम
	रोजगार के बाद मृत्यु दर	निश्चित भारतीय जीवन मृत्यु दर (2012-14)शहरी	निश्चित भारतीय जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

ग)	<u>**धारणाएं (वर्तमान अवधि)**</u>		
	योजनागत परिसंपत्ति पर संभावित प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
	छूट की दर	7.53%	7.40%
	चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति	4.00%	4.00%
	कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%
	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	निश्चित भारतीय जीवन मृत्यु दर (2012-14) शहरी	निश्चित भारतीय जीवन मृत्यु दर (2012-14) शहरी
	रोजगार के बाद मृत्यु दर	निश्चित भारतीय जीवन मृत्यु दर (2006-08)अंतिम	भारतीय व्यक्तिगत एएमटी (2012-2015)
घ)	<u>**तालिका में अनुमानित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाया गया है**</u>		
	अवधि की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**207.11**	**221.31**
	ब्याज लागत	15.32	15.29
	वर्तमान सेवा लागत	1.55	2.02
	पूर्व सेवा लागत	-	-
	अंतरित देयता/अधिग्रहण	-	-
	(देयता अंतरित बाह्य/ विनिवेश)	-	-
	कटौतियों पर (लाभ)/ हानि	-	-
	(निपटान पर समाप्त देयताएं)	-	-
	(नियोक्ता द्वारा सीधे प्रदत्त लाभ)	(12.81)	(9.26)
	(निधि से प्रदत्त लाभ)	-	-
	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण - दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	
	वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण - दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(2.72)	(20.13)
	दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि - अनुभव के कारण	(15.05)	(2.13)
	अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**193.40**	**207.11**
ड़)	<u>**तालिका में योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाया गया है**</u>		
	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
	ब्याज आय	-	-
	नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-
	कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	-	-
	अंतरित परिसंपत्तियां/अधिग्रहण	-	-
	(अंतरित परिसंपत्तियां बाह्य/ विनिवेश)	-	-
	(निधि से प्रदत्त लाभ)	-	-
	(निपटान पर वितरित परिसंपत्तियां)	-	-
	परिसंपत्ति सीमा के प्रभाव	-	-
	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज आय सम्मिलित नहीं	-	-
	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-

च)	**तुलन पत्र में मान्यता दी गई राशि**		
	(अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य)	193.40	207.11
	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
	वित्तपोषित स्थिति (अधिशेष/(घाटा))	193.40	207.11
	तुलन पत्र में मान्यता दी गई शुद्ध (देयता)/परिसंपत्ति	**193.40**	**207.11**
छ)	**वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत**		
	अवधि की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	207.11	221.31
	(अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य)	-	-
	शुरुआत में शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	207.11	221.31
	ब्याज लागत	15.32	15.29
	(ब्याज आय)	-	-
	वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत	**15.32**	**15.29**
ज)	**वर्तमान अवधि के लिए लाभ या हानि विवरण में मान्यता दिया गया व्यय**		
	वर्तमान सेवा लागत	1.55	2.02
	शुद्ध ब्याज लागत	15.32	15.29
	पूर्व सेवा लागत	-	-
	(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान)	-	-
	(लाभ)/कटौती और निपटान पर हानि कटौती और निपटान पर (लाभ)/हानी	-	-
	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
	मान्यता दिया गया व्यय	**16.87**	**17.32**
झ)	**वर्तमान अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी गई व्यय**		
	अवधि के लिए दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(17.77)	(22.26)
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज आय सम्मिलित नहीं	-	-
	परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन	-	-
	अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	**(17.77)**	**(22.26)**
ट)	**तुलन पत्र मिलान**		
	आरंभिक शुद्ध देयता	**207.11**	**221.31**
	लाभ या हानि विवरण में मान्यता दिया गया व्यय	16.87	17.32
	अन्य व्यापक आय में मान्यता दिया गया व्यय	(17.77)	(22.26)
	शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति) अंतरण	-	-
	शुद्ध (देयता)/परिसंपत्ति अन्तरण बाह्य	-	-
	(नियोक्ता द्वारा सीधे प्रदत्त लाभ)	(12.81)	(9.26)
	(नियोक्ता का अंशदान)	-	-
	तुलन पत्र में मान्यता दी गई शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	**193.40**	**207.11**
ठ)	**परिसंपत्तियों की श्रेणी**		
	भारत सरकार की परिसंपत्तियां	-	-
	राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	-	-
	विशेष जमा योजना	-	-
	ऋण उपकरण	-	-
	कॉरपोरेट बॉन्ड	-	-
	नकद और नकद समकक्ष	-	-
	बीमा निधि	-	-
	परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां	-	-
	संरचित ऋण	-	-
	अन्य	-	-
	कुल	-	-

ड)	<u>अन्य विवरण</u>		
	सक्रिय सदस्यों की संख्या	362	460
	औसत भावी अवधि	14.87	17.97
	अनुमानित लाभ दायित्व (पीबीओ) कुल	30	30
	अनुमानित लाभ दायित्व (पीबीओ) देय है किन्तु प्रदत्त नहीं	30	30
	अगले वर्ष में अपेक्षित अंशदान	193.39	207.11
ढ)	**<u>अगले वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत</u>**		
	अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	193.39	207.11
	(अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य)	-	-
	अवधि के अंत में शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	193.39	207.11
	ब्याज लागत	14.56	15.33
	(ब्याज आय)		
	अगले वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत	**14.56**	**15.33**
ण)	**<u>अगले वर्ष के लाभ या हानि विवरण में मान्यता दिया गया व्यय</u>**		
	वर्तमान सेवा लागत	1.31	15.46
	शुद्ध ब्याज लागत	14.56	15.33
	(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान)	-	-
	मान्यता दिए गए व्यय	**15.87**	**30.79**
त)	**<u>लाभ भुगतान का परिपक्वता विश्लेषण:</u>**		
	रिपोर्टिंग की तिथि से भविष्य के वर्षों में देय अनुमानित लाभ		
	प्रथम आगामी वर्ष	8.80	7.75
	दूसरा आगामी वर्ष	10.03	8.88
	तीसरा आगामी वर्ष	11.15	10.15
	चौथा आगामी वर्ष	12.08	11.31
	पांचवा आगामी वर्ष	13.23	12.30
	वर्ष 6 से 10 का योग	82.84	78.94
	11 वर्ष और उससे अधिक का योग	-	-
थ)	**<u>संवेदनशीलता विश्लेषण</u>**		
	वर्तमान धारणाओं पर परिभाषित लाभ दायित्व	**193.40**	**207.11**
	छूट की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(18.86)	(20.54)
	छूट की दर में -1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	22.85	25.60
	वेतन वृद्धि की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-	-
	वेतन वृद्धि की दर में -1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-	-
	कर्मचारी टर्नओवर की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-	-
	कर्मचारी टर्नओवर की दर में -1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-	-

अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखते हुए, संवेदनशीलता विश्लेषण का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उत्पन्न संबंधित धारणाओं में यथोचित संभावित परिवर्तनों के आधार पर किया गया है।

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण अनुमानित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन नहीं दर्शाता हो सकता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि धारणाओं में परिवर्तन एक दूसरे से अलगाव में ही होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं।

इसके अलावा, उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण की प्रस्तुति में, अनुमानित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति के उपयोग के साथ की गई है, जिसका उपयोग तुलन पत्र में मान्यता दी गई अनुमानित लाभ दायित्व की गणना के लिए किया गया है।

पिछले वर्षों की तुलना में संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में उपयोग की जाने वाली विधियों और धारणाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

30 आस्थगित कर परिसंपत्तियां

कंपनी ने अग्रेषित कर घाटे और अनवशोषित मूल्यह्रास के कारण उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आस्थगित कर देयता की सीमा तक मान्यता नहीं दी है, क्योंकि पर्याप्त भावी कर योग्य आय की उपलब्धता, जिसके विरुद्ध उक्त लाभों को समायोजित किया जा सके, को वस्तुतः निश्चितता के साथ सुनिश्चित करना संभव नहीं है।

31 आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

क आकस्मिक देयताएं

भारतीय लेखा मानक 37 के अनुपालन में, "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां" पर आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है:

No.	विवरण	1 अप्रैल 2022 तक प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्धन	वर्ष 2022-23 के दौरान उपयोग	वर्ष 2022-23 के दौरान व्युत्क्रमण	31 मार्च 2023 तक समापन शेष
i)	लक्जरी टैक्स	22.89	-	-		**22.89**
ii)	सेवा कर	58.00	-	-		**58.00**
iii)	सहारा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड का प्रतिदावा	23.57	-	-	-	**23.57**
iv)	बी डी एंड पी होटल्स के लिए मध्यस्थता निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी गई	5.40	-	-	-	**5.40**
v)	एन एस एसोसिएट्स के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही	6.96	-	-	-	**6.96**
vi)	पूर्व सेंटॉर होटल जुहू बीच की तटीय भूमि के लिए महाराष्ट्र सरकार को देय प्रीमियम	44.80	-	-	-	**44.80**
vii)	सेंटॉर होटल श्रीनगर के भूनिर्माण पर शेर-ए-कश्मीर कन्वेंशन सेंटर, जम्मू- कश्मीर सरकार का दावा, एचसीआई द्वारा विवादग्रस्त	50.62				**50.62**
viii)	जो निर्णय कंपनी के विरुद्ध गए और अपील की गई	1.06	-	-	-	**1.06**
ix)	एएआई/डायल/एमआईएएल को देय बकाया पर ब्याज	693.65	245.63	-		**939.28**
x)	कर्मचारियों के दावे	-				**-**
	कुल	**906.95**	**245.63**	**-**	**-**	**1,152.58**

कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया

i) वित्तीय वर्ष 2000-01 और 2002-03 के लिए लक्ज़री टैक्स अधिकारियों के दावे, जिसके लिए कंपनी ने बिक्री कर के अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष अपील की है, जिसके लिए कंपनी ने विरोध स्वरूप 7.07 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 7.07 मिलियन रुपए) का भुगतान किया है।

ii) 58 मिलियन रुपये के सेवा कर के दावे जिसके लिए कंपनी ने अपील की है

iii) सेंटूर होटल मुंबई एयरपोर्ट के खरीदार, मेसर्स सहारा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स बत्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियों के संबंध में 23.57 मिलियन रुपए का प्रतिदावा, जिसका कंपनी द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि खरीदार की शुद्ध वर्तमान संपत्ति और अन्य दायित्वों का निपटान 18.4.2002 के विक्रय समझौते के अनुसार किया जाना था। पूर्ववर्ती वर्षों में, माननीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय प्रकाशित किया था, जिसके अंतर्गत खरीदार को 18.8 मिलियन रुपए और उस पर ब्याज के साथ-साथ 0.40 मिलियन रुपए की कानूनी लागत का भुगतान करना था। खरीदारों ने निर्णय के खिलाफ माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील की। माननीय उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता निर्णय को खारिज कर दिया है। इसे कंपनी द्वारा माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजनल बेंच के समक्ष चुनौती दी गई है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और सुनवाई के लिए लंबित है।

iv) सेंटूर होटल लेक व्यू, श्रीनगर (सीएलवीएच) को प्रबंधन अनुबंध के अंतर्गत चलाने के लिए मेसर्स बीडी एंड पी होटल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रबंधन अनुबंध समझौता 15 सितंबर 2010 निष्पादित किया गया। यद्दपि, इकाई को सौंपने से पहले, मंत्रालय से एक संचार प्राप्त हुआ जिसमें भारत सरकार के सचिवों की समिति की बैठक में लिए गए निर्णय को अग्रेषित किया गया था जिसमें कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने संकेत दिया था कि चूंकि जमीन जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कंपनी को पट्टे पर दी गई थी, प्रबंधन अनुबंध सुसंगत नहीं था और प्रबंधन अनुबंध के तहत इकाई को सौंपने के निर्णय की समीक्षा की जा सकती है। तदनुसार, बोर्ड के अनुमोदन से उक्त प्रबंधन अनुबंध 26 सितंबर 2011 को समाप्त कर दिया गया और पार्टी द्वारा जमा की गई 100 मिलियन रुपये की ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा और 10.8 मिलियन रुपये की आनुपातिक न्यूनतम गारंटी राशि बोलीदाता, मेसर्स बीडी एंड पी होटल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को वापस कर दी गई।

मेसर्स बी.डी. एंड पी होटल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने मध्यस्थता लागू करने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने पार्टी की अपील मंजूर कर ली और एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया। पार्टी ने समझौते को समाप्त करने के निर्णय को चुनौती दी और कंपनी से 3410 मिलियन रुपये और 18% ब्याज का दावा किया, 14 अगस्त 2015 को मध्यस्थता निर्णय प्राप्त हुआ जिसमें संपत्ति के साथ 5.4 मिलियन रुपये की कानूनी लागत पार्टी को सौंपने का निर्देश एचसीआई को दिया गया, जिसे कंपनी ने माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 8 जनवरी 2019 को एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के तहत मध्यस्थता याचिका खारिज कर दी गई है।

इसके बाद, कंपनी ने मार्च 2019 में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दी और यह अभी भी सुनवाई के लिए लंबित है। मामले में वरिष्ठ वकील के मार्गदर्शन में कंपनी के लिए उपलब्ध विकल्पों का पता लगाया जा रहा है।

v) कंपनी ने सेंटूर होटल दिल्ली एयरपोर्ट (सीएचडीए) में अतिथि कक्षों और साथ ही कनेक्टेड शाफ्ट और कॉरिडोर के नवीनीकरण के लिए मेसर्स एन एस एसोसिएट्स के साथ एक समझौता किया था। उक्त पक्ष के साथ कुछ विवाद और मतभेद हो गए और अंतिम बिल का भुगतान नहीं हुआ। तदनुसार, पक्ष ने मध्यस्थता खंड लगाते हुए 78.78 मिलियन रुपये की राशि और उस पर 15% ब्याज का दावा किया। 19.10.2019 को विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता निर्णय प्रकाशित किया गया जिसमें कहा गया कि कंपनी द्वारा पक्ष को 8.84 मिलियन रुपये और साथ ही 0.5 मिलियन रुपये की मुकदमेबाजी लागत का भुगतान किया जाना है। कंपनी ने विवादित निर्णय को आंशिक रूप से ख़ारिज करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत याचिका दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। मामले में सुनवाई लंबित है। निर्णय के अनुसार देय राशि 9.343 मिलियन रुपये है, जिसमें से 2.388 मिलियन रुपये (बयाना राशि जमा के रूप में 0.03 मिलियन रुपये सहित) की राशि खाता बहियों में देय के रूप में दर्शाई गई है। अतः 6.96 मिलियन रुपये की शेष राशि आकस्मिक देयता के अंतर्गत दर्शाई गई है।

vi) 2002 में जुहू बीच स्थित सेंटूर होटल की बिक्री के बाद, होटल संपत्ति से लगती हुई 1810 वर्ग मीटर भूमि के अंतरण पर देय प्रीमियम के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मेसर्स वी. होटल्स लिमिटेड और कंपनी से 44.8 मिलियन रुपए की राशि का दावा किया, जो राज्य सरकार से पट्टे पर थी और इसे खुला रखा जाना था - जिसका उपयोग केवल बगीचे के रूप में किया जाना था। कंपनी ने बिक्री समझौते का हवाला देते हुए महाराष्ट्र सरकार के राजस्व मंत्री के समक्ष इसका विरोध दर्ज किया। 1.6.2014 के राज्य सरकार के आदेश में मेसर्स वी. होटल्स को उक्त प्रीमियम का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। मेसर्स वी. होटल्स लिमिटेड ने बॉम्बे हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कंपनी को एक पक्ष बनाया गया है।

vii) यह मामला सेंटॉर होटल श्रीनगर के भूनिर्माण में लगी लागत में कंपनी के हिस्से से संबंधित है, जिसका दावा शेरे कश्मीर कन्वेंशन सेंटर/जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा किया गया है, जिस पर कंपनी की ओर से विवाद है।

viii) कंपनी के विरुद्ध दिए गए निर्णय जिनके लिए अपील की गई है

ix) भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई)/डीआईएएल /एमआईएएल को 581.40 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 563.80 मिलियन रुपये) का पट्टा किराया और टर्नओवर लेवी देय है और कंपनी के कामकाज के अनुरूप खाता बहियों में इसका उल्लेख किया गया है, जो पुष्टि के अधीन है। एएआई/डीआईएएल/एमआईएएल के साथ विवादों के दृष्टिगत, एएआई/डीआईएएल/एमआईएएल को देय बकाया राशि 939.28 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 693.65 मिलियन) का ब्याज आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

x) कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे - कंपनी के मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा बहाली, पदोन्नति, स्थायित्व, वेतन पुनरीक्षण आदि के लिए किये गए विभिन्न दावों में मुकदमे जारी हैं और दावों की राशि मुकदमों के परिणाम पर निर्भर करेगी। अतः राशि तय नहीं है.

ख <u>आकस्मिक परिसंपत्तियां</u>

माननीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय प्रकाशित हुआ जिसके अंतर्गत पूर्व सेंटॉर होटल मुंबई एयरपोर्ट के खरीदार मेसर्स सहारा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स बत्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा कंपनी को 18.8 मिलियन रुपये की राशि और उस पर ब्याज के साथ-साथ 0.40 मिलियन रुपये की कानूनी लागत का भुगतान किया जान था। यद्यपि, खरीदारों ने निर्णय के खिलाफ माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील की। माननीय उच्च न्यायालय ने मध्यस्तता निर्णय को रद्द कर दिया, जिसे कंपनी ने माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजनल बेंच के समक्ष चुनौती दी है जिसे स्वीकार कर लिया गया है और सुनवाई के लिए लंबित है। (ऊपर 30 ए iii) देखें)।

32 सेंटॉर लेक व्यू होटल श्रीनगर के निर्माण की लागत और होटल तथा शेर-ए-कश्मीर कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) के बीच लागत साझा करने की व्यवस्था से संबंधित मामलों पर कंपनी और जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच 15 अक्टूबर 2004 को हुई संयुक्त बैठक में दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी और मतों में भिन्नता वाले सभी मामलों को सुलझा लिया गया था। समझौते के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित राशियाँ प्राप्य/देय थीं:

क) एस.के.आई.सी.सी. के साथ लागत साझा करने की व्यवस्था के संबंध में जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्य राशि 135.42 मिलियन रुपये है - (पिछले वर्ष 127.04 मिलियन रुपये) - (नोट 10)

ख) 1982 में होटल और एस.के.आई.सी.सी. के संयुक्त निर्माण के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्य राशि - 29.78 मिलियन रुपये और ब्याज सब्सिडी 12.00 मिलियन रुपये, कुल 41.78 मिलियन रुपये (नोट 10)

ग) 1982 में होटल और एस.के.आई.सी.सी. के संयुक्त निर्माण के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार को देय राशि 39.68 मिलियन रुपये है (नोट संख्या 20) इस शेष राशि का मिलान और पुष्टि किया जाना है। समायोजन, यदि कोई है, तो उसे अंतिम निर्णय लिए गए वर्ष में लेखाबद्ध किया जाएगा।

यद्दपि, अत्यधिक सावधानी के तौर पर, कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान उपरोक्त मामले पर संदिग्ध अग्रिमों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

33 <u>तुलन पत्र की तिथि के बाद का घटनाक्रम:</u>

जम्मू-कश्मीर सरकार ने आदेश दिनांक 03.05.2021 के अंतर्गत होटल के विक्रय से जुड़े सभी मामलों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से एचसीआई के साथ बातचीत के दृष्टिगत एक समिति का गठन किया। तत्कालीन सचिव, एम.ओ.सी.ए. द्वारा 6 सितंबर, 2021 को एचसीआई प्रबंधन के साथ चर्चा शुरू करने के लिए भेजे गए स्मरण-पत्र के बावजूद, जम्मू-कश्मीर सरकार ने दिनांक 27.12.2021 को यह आरोप लगाते हुए समाप्ति-नोटिस भेजा कि एचसीआई ने परिसर को किराए पर दे दिया था और इस उल्लंघन के दृष्टिगत, पट्टा स्थित है तथा 15 दिनों के भीतर जम्मू-कश्मीर सरकार को होटल सौंपने की मांग की। एचसीआई ने दिनांक 24.01.2022 को एक विस्तृत अभ्यावेदन जमा किया और समाधान के लिए एक बैठक का अनुरोध किया। जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक संपदा अधिकारी नियुक्त किया, जिसने जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत दिनांक 05.04.2022 को एचसीआई से कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि उन्हें हटाया क्यों न जाए। इसका जवाब समय-सीमा के भीतर दिया गया। 09.04.2022 को उनके द्वारा एक विरोधपत्र भी दायर किया गया। इसके बाद 25.04.2022 को संपदा अधिकारी ने एक बेदखली नोटिस भेजा जिसमें एचसीआई को खाली करने के लिए 45 दिन का समय दिया गया। 04.05.2022 को एचसीआई ने डीएम के पास अपील दायर की। 06.05.2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, एचसीआई ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायलय में समाप्ति नोटिस के खिलाफ एक रिट दायर की, जिसे दिनांक 02.06.2022 को खारिज कर दिया गया। एचसीआई ने सर्वोच्च न्यायलय में एसएलपी दायर की और सर्वोच्च न्यायालय के 08.06.2022 के आदेशों के बावजूद, जम्मू-कश्मीर सरकार ने 14.06.2022 को संपत्ति को सील करने के लिए सेना भेजी और होटल पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। मुकदमा फिर से जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में लड़ा गया। एचसीआई, जम्मू-कश्मीर सरकार, वर्कर्स यूनियन और बीडी एंड पी होटल द्वारा तर्क-वितर्क पूरा हो चुका है और फैसला सुरक्षित है। इसके बाद, विवाद को एएमआरडी के संकल्प द्वारा सुलझा लिया गया जैसा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पत्र संदर्भ एफ.एवी17046/43/2021/ एआई दिनांक 17.07.2023 के माध्यम से सूचित किया गया था। सेंटूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर, जिसे जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को सौंप दिया गया था, अब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित हो गया है। जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने पहले ही सेंटूर लेक व्यू होटल श्रीनगर में कार्यरत एचसीआईएल के 145 कर्मचारियों को अपने अधीन ले लिया है, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने निम्नलिखित दावों पर सहमति व्यक्त की है, जिनका भुगतान एक महीने के भीतर एचसीआईएल को किया जा सकता है:

(i) 31.03.2022 तक नेट ब्लॉक पर सीएलवीएच श्रीनगर का मूल्यांकन 6.07 करोड़ रुपये
(ii) 01.03.2023 से जम्मू-कश्मीर सरकार के लिए कर्मचारी देयता 17.58 करोड़ रुपये
(iii) मार्च, अप्रैल, मई और जून 2023 के महीनों के लिए श्रमिकों (2.79 करोड़ रुपये) और अधिकारियों (0.29 करोड़ रुपये) का वेतन।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को निम्नलिखित दावों की आगे जांच करनी होगी और जांच के बाद दावों का निपटारा पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा:
(i) सीआरपीएफ/बीएसएफ के लिए दरों में पुनरीक्षण 19.69 करोड़ रुपये।
निम्नलिखित दावों की जांच के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को और तर्कसंगतता/विवरण/दस्तावेजीकरण की आवश्यकता है। तर्कसंगतता/विवरण/दस्तावेजीकरण के ऐसे प्रावधान पर और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर द्वारा जांच के बाद दावों का निपटारा 45 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा:
(i) 31.03.2022 तक बहियों के अनुसार लागत साझा व्यय।
तदनुसार, 31.03.2022 तक सीएलवीएच इकाई के शुद्ध ब्लॉक के प्रति 61.19 मिलियन रुपये को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार से प्राप्य राशि के रूप में दिखाया गया है।

34 <u>वेतन पुनरीक्षण:</u>

a) कामगारों के साथ पहले हुए वेतन समझौते 31.12.2006 को समाप्त हो गए थे। यूनियनों ने अअपना मांग-पत्र प्रस्तुत किया
प्रबंधन की वेतन वार्ता समिति और एचसीआई यूनियनों की समन्वय समिति के बीच लंबी बातचीत के बाद और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद, यूनियनों और कंपनी के बीच दिनांक 08.08.2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत 18.08.2008 से प्रभावी 10 वर्षों की अवधि के लिए कर्मचारियों की संघीकृत श्रेणी के लिए वेतन पुनरीक्षण लागू किया जाएगा। वेतन पुनरीक्षण वित्तीय वर्ष 2019-20 में लागू किया गया था।
उपरोक्त के मद्देनजर, 31.3.2023 तक कर्मचारियों की यूनियनीकृत श्रेणी के लिए वेतन संशोधन के बकाया के लिए कुल अनुमानित प्रावधान 146.36 मिलियन रुपये है (नोट संख्या 19 देखें) जिसके लिए लेखा बहियों में 34.48 मिलियन रुपये का अग्रिम दर्शाया गया है (नोट संख्या 12 देखें)। 08.08.2008 से प्रभावी कर्मचारियों को देय बकाया की गणना की जा रही है। इसलिए कोई भी अंतर प्रावधान इसे अंतिम रूप दिए वाले वर्ष में किया जाएगा।

b) अधिकारी संवर्ग से संबंधित वेतन संशोधन जो 01.01.2007 को 10 वर्ष की अवधि के लिए देय था, अभी लंबित है। कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए अधिकारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण स्थगित कर दिया गया है।
प्रबंधन ने 1.1.2017 से अधिकारियों के लिए प्रति कर्मचारी 5,000/- रुपये की अंतरिम राहत की घोषणा की थी, जिसका भुगतान जारी है और इसे लाभ-हानि खाता विवरण में लेखाबद्ध किया गया है। जब भी वेतन पुनरीक्षण को मंजूरी दी जाएगी, तो इस राशि को देय बकाया राशि, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, जिसके लिए लेखा बहियों में कर्मचारीवार विवरण अलग से रखा गया है, जैसे कि अंतरिम राहत के लिए अग्रिम राशि 70.15 मिलियन रुपये और अंतरिम राहत के लिए प्रावधान राशि 67.69 मिलियन रुपये (नोट संख्या 12 और 20 देखें)।

35 होटलों का नवीनीकरण :

कंपनी को होटलों के नवीनीकरण के लिए भारत सरकार से इक्विटी शेयर जारी करने के बदले 2015-16 के दौरान 50 मिलियन रुपये की राशि प्राप्त हुई। अप्रैल 2017 में, कंपनी ने सेंटौर श्रीनगर के लिए 75 अतिथि कमरों के उन्नयन और नवीनीकरण तथा अन्य संबद्ध कार्यों को करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया। घाटी में स्थिति और श्रीनगर होटल की संपत्ति को जम्मू-कश्मीर सरकार को सौंपने के दृष्टिगत इस पर सक्रिय रूप से काम नहीं किया गया।

36 प्रतिबद्धताएँ:

पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत खाते पर निष्पादित किये जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि नीचे दी गई है:

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31st मार्च 2022 तक
	-	-
कुल	-	-

37 शेष राशि की पुष्टि

i) कंपनी ने 31 मार्च 2023 तक होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संदर्भ में व्यापार प्राप्य, व्यापार देय के संबंध में शेष राशि का मिलान कर लिया है।

ii) कंपनी में 31 मार्च, 2023 तक व्यापार देय, अन्य व्यापार प्राप्तियां, ऋण और अग्रिम, जमा और अन्य देयताओं के संबंध में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। तदनुसार, ऐसे खाते अपने संबंधित लेखा बही के अनुसार शेष राशि दर्शाते हैं और खातों के मिलान पर समायोजन के अधीन हैं। यदि कोई अंतर है, तो समाधान पूरा होने पर खातों में समायोजित किया जाएगा।

38 पट्टे - इंड एएस 116

कंपनी ने पट्टे पर जमीन ली है जो आम तौर पर अलग-अलग शर्तों, वृद्धि खंड और तीस से निन्यानबे साल तक समाप्ति वाले नवीनीकरण अधिकार के साथ लंबी अवधि की होती है। नवीनीकरण पर, पट्टे की शर्तों पर पुनः मोलभाव किया जा सकता है।

क) कुल पट्टा देयताओं का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

विवरण	31.3.2023	31.3.2022
चालू	**29.75**	**27.79**
गैर-चालू	**360.12**	**336.47**
कुल	**389.87**	**364.26**

ख) भविष्य में नकदी प्रवाह का जोखिम:

कंपनी ने एएआई/डीआईएएल/एमआईएएल को पट्टा भुगतान और टर्नओवर लेवी नहीं दी है (नोट संख्या 17 देखें) यहां तक कि मूल राशि पर अर्जित ब्याज को भी आकस्मिक माना गया है (नोट संख्या 30 देखें), इसलिए पट्टा देयताओं और टर्नओवर लेवी का बिना छूट वाला नकदी प्रवाह निश्चित नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई भुगतान प्रोफ़ाइल नहीं है और इसलिए परिपक्वता विश्लेषण तैयार नहीं किया जा सकता है।

39 प्रति शेयर आय:

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
कर पश्चात लाभ/(हानि) और असाधारण मदें	**(703.83)**	**(848.12)**
घटा: असाधारण मदें	-	-
कर पश्चात और असाधारण मदों से पहले लाभ/(हानि)	**(703.83)**	**(848.12)**
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**13.76**	**13.76**
ईपीएस		
क) मूलभूत	**(51.15)**	**(61.64)**
ख) डाइल्यूटेड	**(51.15)**	**(61.64)**

40 लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक:

लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा फीस और व्यय का विवरण:-

विवरण	2021-22	2021-22
लेखापरीक्षा शुल्क- वर्ष के लिए	0.27	0.27
पिछले लेखा परीक्षकों के ऊपरी व्यय	0.02	0.04
कुल	**0.29**	**0.31**

41 कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के अंतर्गत भारतीय लेखा मानक 108 "प्रचालन खंड" के अनुसार खंड संबंधी जानकारी अनुलग्नक "I" में दी गई है।

42 संबंधित पार्टी लेनदेन:

वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान भारतीय लेखा मानक (इंड एएस-24) द्वारा अपेक्षित संबंधित पक्षों के नाम और पदनाम का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

संबंधित पार्टी संबंध

i) **होल्डिंग कंपनी**

एयर इंडिया लिमिटेड 11.01.2022 तक

एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड 11.01.2022 से प्रभावी

ii) **समूह/सहयोगी कंपनियाँ**

क) एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) (पूर्व में एआईएटीएसएल)

ख) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल)

ग) एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) (पूर्व में एयरलाइंस एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एएएसएल))

ii) **महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले व्यक्ति**

भारत के राष्ट्रपति (अपने प्रतिनिधि के माध्यम से)

क **प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं रिश्तेदार:**

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक एवं रिश्तेदार

दीपक खुल्लर - मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टी.सी.दलाल - मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्यामला पी. कुंदर - कंपनी सचिव (01.04.2021 से 30.09.2021)

ईशा जैन - कंपनी सचिव (22.08.2022 तक)

सोनम गोसाईं- कंपनी सचिव (06.12.2022 से प्रभावी)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन-देन:

i) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या उनके संबंधियों के साथ कोई व्यापारिक लेन-देन नहीं किया गया है

ii) **प्रमुख प्रबंधकीय पारिश्रमिक**

(Rs in million)

क्र.सं.	विवरण	31.3.2023 तक	31.3.2022 तक
1	दीपक खुल्लर - मुख्य कार्यकारी अधिकारी	**2.40**	**2.40**
2	टी.सी.दलाल - मुख्य वित्तीय अधिकारी	**0.90**	**0.90**
3	श्यामला कुंदर- कंपनी सचिव (01.04.2021 से 30.09.2021)		**0.37**
4	ईशा जैन- कंपनी सचिव (22.08.2022 तक)	**0.63**	**0.75**
5	सोनम गोसाईं- कंपनी सचिव (06.12.2022 से प्रभावी)	**0.42**	**0.75**
		4.35	**5.17**

ख भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार, कुछ सरकारी संबद्ध संस्थाओं अर्थात भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाओं (उपर्युक्त सूची में शामिल नहीं) के साथ लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:

(रु.मिलियन में)

क्र.सं.	संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति	2022-23	2021-22
1	**एयर इंडिया लिमिटेड (11.01.2022 तक)**		
	वर्ष के दौरान बिक्री		**113.66**
	वर्ष के लिए वित्त लागत		**(385.45)**
	एसओडी टिकट		**(0.01)**
	विविध व्यय (सुरक्षा प्रशिक्षण)		
	विविध व्यय (चिकित्सा)		
	एसएपी रखरखाव व्यय		
	वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण		
	एयर इंडिया से व्यापार प्राप्य		**50.70**

	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड		
	देय ऋण	**(5,482.32)**	**(5,029.59)**
	वर्ष के लिए वित्त लागत	**(452.66)**	**(482.75)**
	विक्रय	**0.02**	
2	**एआईएएचएल सहायक कंपनियां**		
i)	**वर्ष के दौरान बिक्री**		
	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) (पूर्व में एआईएटीएसएल)	**13.82**	**2.19**
	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल)	**18.49**	**13.45**
	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) (पूर्व में एयरलाइंस एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एएएसएल))	**1.98**	**0.43**
		-	-
ii)	**31.3.2023 तक व्यापार प्राप्य**		
	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड.	**0.01**	
	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) (पूर्व में एआईएटीएसएल)	**5.28**	**2.61**
	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल)	**3.88**	**7.20**
	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) (पूर्व में एयरलाइंस एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एएएसएल))	**0.52**	**0.52**

नोट: संबंधित पार्टियों को कंपनी द्वारा चिन्हित किया गया है और लेखा परीक्षकों द्वारा उन पर भरोसा किया गया है।

43 31 मार्च 2023 तक सेंटौर दिल्ली की लग्जरी टैक्स देनदारी शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)। कंपनी 2012-13 में लग्जरी टैक्स अधिकारियों द्वारा फ्रीज किए गए बैंक खातों को डीफ्रीज करने की प्रक्रिया में है, अतः फ्रीजिंग की तारीख पर बैंक खातों में 0.61 मिलियन रुपये की राशि होने की पुष्टि हुई है।

44 भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) और कंपनी के बीच हुए समझौते के अनुसार, जिस भूमि पर सेंटूर होटल दिल्ली और शेफेयर दिल्ली स्थित हैं, उसकी पट्टा अवधि 31.3.2032 तक वैध है। यद्यपि एएआई ने भूमि के पट्टे को समय पूर्व समाप्त करने के लिए 8 नवंबर 2016 को नोटिस दिया था क्योंकि उन्हें हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के हस्तक्षेप से, उक्त लीज़होल्ड भूमि को खाली करने के लिए 31 दिसंबर 2019 तक का समय बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार कंपनी को 30.11.2019 तक भूमि का खाली कब्जा देना था और 31 दिसंबर 2019 तक उक्त लीज़होल्ड भूमि एएआई को सौंपनी थी। इस संबंध में, मंत्रालय के परामर्श से एएआई से मुआवजे का दावा करने के लिए बातचीत की गई।

तदनुसार, एचसीआई को पट्टा समझौते की समाप्ति पर मुआवजे के मामले पर चर्चा करने के लिए नागरिक उड्डयन सचिव द्वारा 04.11.2019 को एक बैठक बुलाई गई थी। उक्त बैठक में एएआई ने स्पष्ट किया कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान 2016 के अनुसार एचसीआई होटल स्थल पर परियोजना को 2026 से शुरू होने वाले मास्टर प्लान चरण के तहत विकसित किया जाना है और यह भी पुष्टि की गई कि एचसीआई संपत्ति प्रस्तावित रनवे के मार्ग में नहीं आ रही है, लेकिन विमानों की पार्किंग के लिए भूमि की आवश्यकता होगी।

नागरिक उड्डयन सचिव ने कहा कि एएआई को एचसीआई को शेष पट्टा अवधि के लिए परिचालन जारी रखने की अनुमति देने के अर्थशास्त्र को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। उपरोक्त के मद्देनजर, बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि एएआई यह निर्णय लेता है कि एएआई को वैमानिकी उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं है, तो पट्टे की शेष अवधि के लिए ओएंडएम अनुबंध सहित वाणिज्यिक उपयोग के लिए एचसीआई को पूर्ण अनुमति दी जा सकती है। उक्त निर्णय को मंत्रालय के पत्र 20.12.2019 के माध्यम से एचसीआई को सूचित किया गया, जिसमें एचसीआई को मौजूदा पट्टा अवधि यानी 31.03.2032 तक भूमि/संरचना का उपयोग करने और लीज़ अवधि समाप्त होने पर भूमि को खाली करने की अनुमति दी गई। यह भी बताया गया कि चूंकि एचसीआई ने समझौते की शर्तों के अनुसार 2002 से एएआई के बकाए का भुगतान करने में चूक की है, इसलिए विवाद को सुलझाने के लिए मौजूदा समझौते के प्रावधानों के अनुसार एक मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है, जो लंबित है। इस बीच, डीआईएएल ने मंत्रालय के 20.12.2019 के पत्र को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की। डब्ल्यूपी (सी) 134/2021 के तहत दिनांक 20.10.2022 के आदेश के तहत एकल न्यायाधीश की पीठ ने 20.12.2019 के मंत्रालय के पत्र को रद्द कर दिया और डीएआईएल के पक्ष में फैसला सुनाया। एचसीआई ने एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में डिवीजनल बेंच में एलपीवी संख्या 619/2022 के तहत अपील की है

45 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम

"सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आपूर्तिकर्ताओं को चिन्हित किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के तहत आने वाले ऐसे उपक्रमों को भुगतान आम तौर पर आपूर्तिकर्ता के साथ तय किये गए निर्धारित क्रेडिट अवधि के भीतर किया जा रहा है और इसलिए देरी से किए गए भुगतान पर कोई ब्याज नहीं लगाया गया है।

46 कंपनी में 2019-20 में अचल संपत्तियों के प्रत्येक समूह का भौतिक सत्यापन किया गया था। सत्यापित की गई सभी संपत्तियों को वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान अचल संपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया गया है। कोई बड़ी विसंगतियां नहीं पाई गई हैं।

47 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस 36) 'परिसंपत्तियों की हानि' के अंतर्गत परिकल्पित कोई परिसंपत्ति क्षति नहीं हुई है।

48 कंपनी निम्नलिखित प्रक्रिया में है:

क) वर्ष के दौरान मद-वार भण्डारगृह रिकॉर्ड की आवाजाही और भण्डारगृह बहीखाते को अनुरूप बनाने की दिशा में रिपोर्ट तैयार करने के संदर्भ में वस्तुसूची रिपोर्टिंग प्रणाली को सुव्यवस्थित करना। वर्ष के अंत में, भण्डारगृह रिकॉर्ड के अनुसार खपत का मिलान वित्तीय रिकॉर्ड के साथ किया गया है और समायोजन को विधिवत लेखाबद्ध किया गया है।

ख) खरीद तथा दुरुपयोग के माध्यम से राजस्व की हानि को रोकने और खरीद तथा उपभोग चक्रों पर उचित नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए जांच और संतुलन की प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से मेकर चेकर प्रक्रिया की स्थापना करना।

49 कंपनी निम्नलिखित प्रक्रिया में है:

क) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करना ताकि सभी क्षेत्रों की पर्याप्त कार्य सुनिश्चित किया जा सके और कंपनी की सभी इकाइयों पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

ख) कोषपाल के अलावा आंतरिक लेखापरीक्षा/अधिकारियों के माध्यम से नकदी, चेक, ड्राफ्ट आदि के सत्यापन की आवृत्ति की समीक्षा करना।

ग) सभी लेन-देन का समय पर लेखाबद्ध किये जाने के संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रियाएं निर्धारित करना ताकि लेखा-बहीयो का उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके।

50 कंपनी की राय में, चालू परिसंपत्तियाँ और ऋण और अग्रिम राशि बताई गई राशि की लगभग उतनी होती है जो सामान्य व्यवसाय के दौरान वसूल किया गया हो। सभी ज्ञात देयताओं के लिए पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं और यथोचित रूप से अपेक्षित राशि से अधिक नहीं है।

51 कोविड-19 का प्रभाव

वर्ष 2020-21 में विश्व स्तर पर और भारत में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के प्रकोप के कारण आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण व्यवधान और मंदी देखने को मिली। चालू वर्ष के दौरान कंपनी के संचालन और राजस्व में सुधार हुआ।

52 सुनाम प्रतिष्ठान (गोइंग कंसर्न):

कंपनी को महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसने कंपनी के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। प्रबंधन का मानना है कि प्रचलित प्रथाओं के अनुमानों के अनुसार, कंपनी एक सुनाम-प्रतिष्ठान (गोइंग कंसर्न) के रूप में जारी रहेगी और 31 मार्च, 2023 तक अपनी देयताओं का निर्वहन करने और अपनी परिसंपत्तियों की अग्रेषित (कैरिंग) राशि प्राप्त करने में सक्षम होगी।

तुलन पत्र की तिथि के अनुसार कंपनी के नकारात्मक निवल मूल्य की बजाय भारत सरकार के निरंतर समर्थन को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कंपनी का व्यवसाय सुनाम प्रतिष्ठान (गोइंग कंसर्न) के रूप में चालू रहे। साथ ही, कंपनी ने एयर इंडिया के साथ मास्टर सर्विस समझौता किया है जो 31.12.2024 तक वैध है और एक नए ग्राहक मेसर्स स्पाइसजेट लिमिटेड को 01.05.2025 तक केटरिंग समझौते के साथ जोड़ा गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कंपनी निकट भविष्य में अपने व्यवसाय को सुनाम प्रतिष्ठान (गोइंग कंसर्न) के रूप में जारी रख सकेगी। तदनुसार कंपनी ने अपने खातों को "गोइंग कंसर्न" के आधार पर तैयार किया है। कंपनी के परिचालन प्रदर्शन में सुधार और राजस्व में वृद्धि के लिए प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पहल की गई हैं:

कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट, वॉक-इन कस्टमर, इवेंट बुकिंग, कॉरपोरेट्स का भी सहारा ले रही है। कंपनी परिचालन संबंधी आवश्यक मामलों के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय शुरू करने की भी योजना बना रही है। कंपनी ने आईएसओ प्रमाणन प्राप्त कर लिया है और मौजूदा सुविधाओं को अद्यतन करने की प्रक्रिया में है।

Refurbishment of additional 30 Guest Rooms at Centaur Hotel Delhi Airport to increase the occupancy level.

53 अधिनियम की अनुसूची III द्वारा अपेक्षितनुसार प्रस्तुति को भारतीय लेखा मानक के अनुरूप पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/ पुनः वर्गीकृत किया गया है।

54 निदेशक मंडल द्वारा 20.12.2023 को वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अधिकृत किए गए थे

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
जैन जगावत कामदार एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या. 122530W

अधोहस्ताक्षरी
सीए एग्नेल रोड्रिग्स
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 156128

स्थान : मुंबई
तारीख : 28.12.2023

निदेशक मंडल की ओर से
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अधोहस्ताक्षरी
सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएन : 07728790

अधोहस्ताक्षरी
रुबीना अली
नामित निदेशक
डीआईएन : 08453990

अधोहस्ताक्षरी
दीपक खुल्लर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अधोहस्ताक्षरी
के.गोपाल कृष्ण
मुख्य वित्तीय अधिकारी

अधोहस्ताक्षरी
सोनम गोसाईं
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20.12.2023

अनुपात

विवरण	सूत्र			31-Mar-23			31-Mar-22			% भिन्नता	भिन्नता का कारण*
		अंश (राशि)	हर (राशि)			अनुपात			अनुपात		
वर्तमान अनुपात	चालू परिसंपत्तियां / चालू देयताएं	कुल चालू परिसंपत्ति	कुल वर्तमान देयता	425.28	1,384.22	0.31	410.22	1,133.69	0.36	-15%	लागू नहीं
ऋण- इक्विटी अनुपात	कुल ऋण/शेयरधारक की इक्विटी	ऋण	इक्विटी + रिजर्व	5,482.32	-6,824.33	-0.80	5,029.59	-6,138.61	-0.82	-2%	लागू नहीं
इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	[कर के बाद शुद्ध लाभ – वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)]/ औसत शेयरधारक इक्विटी	पीएटी	औसत इक्विटी	-703.83	-6,481.42	0.11	-848.12	-5,717.35	0.15	-27%	वर्ष के दौरान अर्जित लाभ में कमी के कारण इक्विटी पर रिटर्न में कमी आई
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की लागत या बिक्री/ औसत मालसूची	प्रचालन से राजस्व	औसत मालसूची	537.35	11.54	46.58	262.77	11.65	22.55	107%	अधिक खरीद और कम स्टॉक के कारण इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात में वृद्धि हुई
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	शुद्ध ऋण बिक्री/ औसत प्राप्य खाते	प्रचालन से राजस्व	प्रावधान पूर्व औसत व्यापार प्राप्य	537.35	23.05	23.31	262.77	133.21	1.97	1082%	इस अवधि के दौरान प्राप्य शेष राशि में कमी के कारण व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात में वृद्धि हुई है।
व्यापार देय कारोबार अनुपात	शुद्ध क्रेडिट खरीद/औसत व्यापार देय	खपत किये गये कच्चे माल की लागत	औसत व्यापार देय	131.96	55.85	2.36	60.92	43.16	1.41	67%	क्रय एवं व्यय में वृद्धि तथा लेनदारों को समय पर भुगतान के कारण व्यापार देय टर्नओवर अनुपात में वृद्धि हुई।
शुद्ध पूंजीगत कारोबार अनुपात	शुद्ध बिक्री/कार्यशील पूंजी	प्रचालन से राजस्व	वर्तमान परिसंपत्ति - वर्तमान देयताएं	537.35	-958.94	-0.56	262.77	-723.47	-0.36	54%	एक प्रमुख इकाई के बंद होने के कारण शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी और अन्य समापन व्यय में वृद्धि हुई।
शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ/शुद्ध बिक्री	पीएटी	प्रचालन से राजस्व	-703.83	537.35	-1.31	-848.12	262.77	-3.23	-59%	वित्त वर्ष 2022-23 में कम EBITDA उत्पादन और उसके परिणामस्वरूप घाटे के कारण शुद्ध लाभ मार्जिन में कमी आई
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और कर पूर्व आय / नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	शेयरधारक इक्विटी + ऋण	-222.04	-1,341.91	0.17	-346.82	-1,109.02	0.31	-47%	लाभप्रदता में कमी के कारण नियोजित पूंजी पर रिटर्न कम है

* अपेक्षित जहां % भिन्नता 25% से अधिक हो

* अनुपात की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि हर ऋणात्मक है।

अनुलग्नक I

होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

वर्ष 2022-2023 के लिए खंडवार रिपोर्टिंग

क. प्राथमिक व्यवसाय खंड :

विवरण	होटल	उड़ान रसोइयाँ	अन्य	कुल
1. खंड राजस्व	**174.30**	**369.62**	**3.40**	**547.32**
	185.39	155.45	11.52	352.36
2. खंड परिणाम (हानि)				
ब्याज, असाधारण और अतिसाधारण मदों के बाद हानि	**(141.39)**	**(59.17)**	**(485.06)**	**(685.62)**
	(228.78)	(119.12)	(494.61)	(842.51)
3. खंड परिसंपत्तियां	**431.24**	**244.61**	**107.04**	**782.89**
	469.49	221.75	163.99	855.22
4. खंड देयताएं	**1,158.44**	**925.77**	**5,521.25**	**7,605.46**
	1,154.91	804.14	5,034.77	6,993.83
5. नियोजित पूँजी	**(727.20)**	**(681.16)**	**(5,414.21)**	**(6,822.57)**
	(685.42)	**(582.40)**	**(4,870.79)**	**(6,138.61)**
6. कुल पूंजीगत व्यय	**5.61**	**12.23**	**-**	**17.85**
	2.32	13.57	-	15.89

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

B. भौगोलिक खंड :

कंपनी भारत के भीतर सेवाएँ प्रदान करती है और इसलिए, विभिन्न जोखिम और रिटर्न वाले आर्थिक परिवेश में इसका कोई परिचालन नहीं है। अतः यह माना जाता है कि कंपनी एक ही भौगोलिक क्षेत्र में काम कर रही है।

CENTAUR